राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सप्तम दिवस [संख्या ६

गुरुवार, ३० अक्टूबर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या २१७

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१८

रावराजा सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न संख्या २१९

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२०

रावराज सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२१

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२२

रावराजा सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नगरपालिकाओं के जमीन बेचने के अधिकार

२२३. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) (डॉ० चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नगरपालिकाओं को अपनी सीमान्तर्गत सरकारी जमीन बेचने का अधिकार है? क्या बिक्री की रकम का उपयोग नगर के विकास कार्य में ही होता है?

(२) नगरपालिकाओं को यह अधिकार किस कानून के अनुसार दिया गया है? क्या बिना नीलाम किये भी जमीन बेची जा सकती है?

(३) उपरोक्त अधिकार मिलने के बाद नागौर नगरपालिका ने कितनी कितनी जमीन किस किस को किस भाव में बेची? इसमें से कितनी जमीन नीलाम करके दी और कितनी बिना नीलाम किये किस किस को दी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, आज्ञा इसी आशय की दी गई है।

(२) नोटिफिकेशन नं० एफ १।१६-५६। स्वा० शा० वि०। ५० दिनाक ३१ मार्च १६५६, द्वारा मकानों से चिपती जमीनें हों वैसी सूरत पर निर्धारित दाम पर दी जाती है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : निर्धारित रेट का क्राइटेरिया क्या रखा जाता है और क्या रखा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट ने रेट्स फिक्स कर रखी हैं, सारी लोकल बोडीज़ के लिए राजस्थान बेसिस पर फिक्स कर रखी हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या गवर्नमेंट ने १०) रुपया वर्ग गज भी जमीन की रेट रख छोड़ी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डेफिनिट कुछ याद नहीं है। वह सब के लिए एप्लाई करता है, सारी लोकल बोडीज़ के लिए, लेकिन मंडियों में ज्यादा कीमत होती है।

डॉ० बहादुरसिंह : निर्धारित रेट १०) रुपया वर्ग गज में जिनको दी गई है वे कौन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्डिविज्युअल केस मुझे मालूम नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जिन लोगों को बिना नीलाम के दी गई है, क्या उनका नोटिफिकेशन शाया हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिन लोगों को बिना नीलाम के दी गई है वे शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं अथवा किसी स्पेशल केस में बिना नीलाम के दी गई है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किसान छात्रावास को दो आना प्रति गज के हिसाब से दी गई है, तो क्या उनको मुफ्त नहीं दी जा सकती थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपेलिटियों को फ्री देने का अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट फ्री दे सकती है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा सरदारसिंह।

जयपुर शहर में यातायात दुर्घटनाएं

२२४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि दिन प्रतिदिन जयपुर शहर में यातायात दुर्घटनाएं, कत्ल और चोरियां बढ़ती जा रही हैं ?

(२) अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कृपा करके यह बतलावें कि सन् १६५६-५७ व ५८ में कितने कितने कत्ल, चोरियां, डाकेजनी और मोटर के एक्सीडेन्ट्स से मनुष्य हताहत हुए ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, कुछ बढ़ोतरी यातायात दुर्घटनाओं के बढ़ने के कारण हुई हैं। इस बढ़ोतरी का कोई कारण नहीं है, केवल जनसंख्या और यातायात के बढ़ने से हुई है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कत्ल और चोरियों का तो नहीं कहा।

Page No.3

श्री रामकिशोर व्यास : जिसका पूछा है उसका कहा है।

श्री पी० के० चौधरी : कत्ल और चोरियों का भी पूछा है।

श्री रामकिशोर व्यास : बढ़ोतरी उस किस्म में हुई है उसका जवाब दिया है।

प्रश्न संख्या २२५

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

बीकानेर क्लॉथ मर्चेन्ट एसोसियेशन

२२६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बीकानेर क्लॉथ मर्चेन्ट्स एसोसियेशन कब स्थापित हुई ? व्यापारियों के कितने रुपये उक्त एसोसियेशन के द्वारा सरकार के पास जमा है ? क्या उक्त एसोसियेशन ने सरकार से जमा शुदा राशि को वापिस देने की मांग की है ? अगर हां, तो सरकार ने इस मांग पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का फाइनेन्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट अपनी टर्न पर इसका उत्तर देगा।

श्री अध्यक्ष : डॉ चन्द्रकला ।

मवेशी की चोरी

२२७. **डॉ० बहादुरसिंह** (डॉ० चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या गृह मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :

(१) पिछले एक साल से जयपुर तहसील में कितने मवेशी चुराये गये ? उनमें से कितनों को पुलिस ने बरामद किया ?

(२) क्या यह सच है कि कुछ दिन पहले दुर्गापुरा के पास के गांव मोणावास से किसी महिला के बैल चोरी चले। गयेचोरी पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या कार्यवाही की और उसका क्या परिणाम आया ?

(३) मवेशियों की चोरियां को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १९५८ में २३ मवेशी चुराये गये जिनमें से २० प्राप्त किये गये।

(२) जी हां, दो बैलों की चोरी हो जाने की रिपोर्ट आने पर मुकद्दमा दिनांक १४–७–५८ को धारा ३७९ भारतीय दंड संग्रह के अन्तर्गत पुलिस थाना सांगानेर में दर्ज किया गया और उसका पता नहीं लगने पर इस्तगासा अदम पते में दी गई।

(३) पुलिस द्वारा हल्के में लगातार गश्त और बुरे चाल–चलन वाले व्यक्तियों पर कड़ी दृष्टि रखने के अतिरिक्त पंचायतों के मेम्बरों और विलेज सरवैंटों को यह कहा जाता है कि वे ढोरों के मालिकों में अपने ढोर सम्हाल कर रखने की आदत डालने की चेष्टा करें।

डॉ० बहादुरसिंह : यहां राजस्थान में मवेशियों की चोरियां बहुत अधिक बढ़ रही हैं; इसकी रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आपने कैसे समझ लिया है कि बढ़ रही हैं ?

Page No.4

डॉ॰ बहादुरसिंह : क्योंकि मेरे इलाके में बढ़ रही हैं काफी।

श्री रामकिशोर व्यास : आपके इलाके का मुझे मालूम नहीं।

श्रीमती गंगादेवी : और इलाकों में भी ऐसा हो रहा है, और रिपोर्ट्स भी दर्ज हो रही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या मवेशियों की चोरी जरायमपेशा जातियां के लोग ज्यादा कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कानूनन जरायम पेशा कोई कौम नहीं है।

प्रश्न संख्या २२८

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२९

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

सड़क-निर्माण

२३०. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरूपगंज (सिरोही ज़िला) से कोटड़ा छावणी (उदयपुर मेवाड़) तक की सड़क का कार्य सरकार कितने समय में सम्पन्न करने का विचार रखती है ?

(ख) क्या सरकार पिन्डवाड़ा (सिरोही ज़िले) से उदयपुर तक सड़क बनाने की योजना को कार्यान्वित करने हेतु अग्रसर है ? यदि हां, तो यह काम कब से आरम्भ होगा, कितने समय में पूरा होगा व कितना रुपया लगेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) (क) आशा है वर्ष १९६०–६१ तक।

(ख) जी हां। गोगरूद गोगुन्दा होकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में आरम्भ होकर तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। लगभग १८,६०,०००) रुपया।

प्रश्न संख्या २३१

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

बीकानेर पॉवर हाउस का खर्चा

२३२. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या विद्युत् मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर पॉवर हाउस में मार्च से जुलाई तक सन् १९५८ तक वेतन के अलावा कोयला, तेल, टर्बाइन व इन्जनों की मरम्मत, नई मशीनरी की खरीद तथा अन्य रेकरिंग खर्चा कितना हुआ तथा इस अर्से में कितनी आमदनी हुई ?

(२) रतनगढ़ से किस तारीख को इन्जन बीकानेर पहुंचे तथा वे कब चालू किये गये ?

(३) मार्च से जुलाई सन् १९५७ में कुल कितनी आमदनी हुई ?

(४) क्या यह सही है कि इस वर्ष माह

(श्री भीमसेन)

मई, जून की भीषण गर्मी में बीकानेर पॉवर हाउस पर निर्भर रहने वाली जनता को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं ? अगर हां, तो भविष्य में स्थिति सुधारने के लिए सरकार या बिजली बोर्ड क्या विशेष कदम उठाने का प्रयत्न कर रही है ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) खर्चा ६,२६,७३१ व आमद १०, ८२,३०८ मार्च सन् १९५८ से जुलाई सन् १९५८ तक।

(२) मई के अन्त में बीकानेर में पहुंचे। ये इन्जन अब चालू कर दिये गये हैं।

(३) ६,७५,८२४ रु०।

(४) जी हां। ३०००. के डबलू सेट के स्टेटर में पन्चर हो जाने के कारण बिजली सप्लाई में कुछ कमी आ गई थी, परन्तु यथा-सम्भव पानी की सप्लाई चालू रखी गई। टर्बाइन में सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा २५०० के० डब्ल्यू वाले सेट के इन्सूलेटर्स बदलने का इन्तजाम किया गया है व तीन डीज़ल सेट नये लगाये गये हैं जो २०४-२४ के० डब्ल्यू के हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को आदेश दिये गये हैं कि यथासम्भव बीकानेर पॉवर स्टेशन को भाखरा से बिजली मिलने के बाद भी स्टेन्डबाई के तोर पर रखने के विषय में योजना बनावें।

श्री भीमसेन : क्या यहां पर जो रतनगढ़ से डीज़ल एन्जिन आया था, वह २ महीने बेकार पड़ा रहा और लोगों को इससे बिजली की कमी महसूस हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : लगाने में टाइम लगता है।

श्री भीमसेन : बिना काम के बेकार पड़ा रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें २–४ महीने लग जाते हैं।

श्री भीमसेन : वह कब लाया गया और इन्स्टाल कब हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह सितम्बर के शुरू हफ्ते में लगा है।

प्रश्न संख्या २३३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

राज्य में बाढ़ नियन्त्रण

२३४. श्री **श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:

1. Did the Government appoint a Committee to go into the matter of flood control in the State? If so, when was this Committee appointed and who are its members?

2. Has the Committee submitted its proposals to the Government? If not, why? Please give the date of every sitting of the Committee in 1957 and 1958?

If the Committee has submitted its proposals when will the Government implement them specially in regard to the Bayana and Roopbas Tehsils of Bharatpur district?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

1. No.

2. Question does not arise.

3. Question does not arise.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon. Minister aware that in the first Session, in the Budget Session, he assured this House that a Committee has been appointed to go into the matter of flood control in Rajasthan and it will very shortly submit a scheme ?

श्री आर० के० व्यास : We shall look into the matter.

प्रश्न संख्या २३५

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३६

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३७

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

पाली से मंडिया आदि कस्बों तक सड़क निर्माण

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाली से मंडिया, रूपवास, गिरादड़ां होती हुई भांवरी तक सड़क बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो उसका सर्वे तथा सड़क बनाने का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हाँ ।

(ख) तृतीय योजना काल में ।

प्रश्न संख्या २३६

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

भरतपुर पॉवर हाउस विभाग द्वारा भूमि-खरीद

२४० **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Electrical & Mechanical Department please state :

1. Is it a fact that the Electrical & Mechanical Department purchased land for the Power House at Bhartpur City ? If so, to whom did the land belong and for how much sum was it purchased ? Who was the officer who fixed its value. What was the area of the land ?

2. What is the level of the land ? For how many months does the land remain submerged under water ? Is the land still under water ?

3. Did the Birla Wagon Factory and the Bharat Oil Mill offer land for the above purpose to the Goverment free of cost ? If yes, what were the reasons for not accepting their offer ?

(श्री श्रीभानसिंह)

4. Is the Government convinced about the suitability of the land purchased ?

5. Is the land purchased accessible by any road of any type ? If not, will the Government connect this land with new road ? If so, what will be the cost of such road ?

विद्युत् मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

1. It is a fact that land has been purchased for the instalation of a steam power station at Bharatpur but the land was purchased by the Rajasthan State Electricity Bord and not by Government. The land belonged to Shri Ratan Singh, a retired Tehsildar and was purchased for Rs. 60,000/-. The price was fixed by the Collector of Bharatpur. The area of the land is 80 bighas.

2. The level of the land vis a-vis mean sea level is not known. The land normally does not remain submerged under water. Due to breaches in the Bharatpur Gurgaon area, Bharatpur city has been flooded this year. These last floods cover the entire area of the Bharatpur city but the water on this particalar plot never went beyond 6 to 12 inches. The land is wet but there is no water on the plot at percent, where sets are to be installed.

3. No offer had been made of land free of cost for the purpose by the Birla Wagon Factory or the Bharat Oil Mills. The second part of the question, therefore, does not arise.

4. The site was selected by the Rajasthan State Electricity Board in consultation with the Central Water and Power Commission. The question of the Government being convinced about its suitability, therefore, does not arise.

5. There is no road actually leading to this plot but a road passes nearby. The Government will not be taking any action to build any new roads but the Electricity Board will construct an approach road to this plot from the main road, the cost of such road being met by the Electricity Board.

श्री पी० के० चौधरी : On what date the land was purchased ?

श्री रामकिशोर व्यास : The date is not available with me.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार को पता है कि कम कीमत पर बहुतेरी जमीन वहां मिल रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यही साइट मुनासिब समझी होगी ।

श्री भोमसेन : क्या यह सही है कि यह जमीन उस वक्त खरीदी गई, जिस समय बोर्ड नहीं बना था ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी बात नहीं है ।

श्री अर्जुनदास : Was this land under water this year ?

श्री रामकिशोर व्यास : That I have already told, from 6 to 12 inches.

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that this land always remains under water during monsoon ?

श्री रामकिशोर व्यास : No.

श्री बहादुरसिंह : क्या इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की जिम्मेदारियां सरकार पर नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके बाबत इनेक्टमेन्ट है ।

श्री श्रीभानसिंह : If I can produce a letter from the Birla Wagon Factory and the Oil Mills that they made on offer to the Electricity Board that they are willing to give land free of cost for construction of power House, then will the Government take any action taking this dealing to be of suspicious nature ?

श्री रामकिशोर व्यास : As far as I know there was certain condition attached with the offer. They wanted some concessions. It was not free of cost.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या भरतपुर में जमीन की यही कीमत है जो पे कीगई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आप ही ज्यादा जान सकते हैं ।

प्रश्न संख्या २४१

श्री बी. एन. जोशी ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २४२

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

पाली तहसील में लघु सिंचाई योजना

२४३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

पाली तहसील में मादड़ी का धोरा और खांडीका बांध नामक दो लघु सिंचाई योजना का सर्वे आदि कार्य कब तक शुरू करने का सरकार इरादा रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : मादडी के धोरे की सर्वे जारी है और खांडी बांध की सर्वे भी शीघ्र ही शुरू करने का इरादा है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह शीघ्रता कब हो जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : नेक्स्ट फाइनेन्शियल ईयर तक ।

सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा

२४४. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकारी अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा दी जाती है ?

(२) यदि हां, तो अब तक तहसील कोटपुतली के किस किस कर्मचारी व अध्यापक को ये सुविधायें दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) उनको सुविधा किस किस रूप में किस वस्तु की दी गई ?

(श्री रामकरणसिंह)

(४) क्या यह सत्य है कि उन्हें पट्टी का कपड़ा व दवा तक बाजार से मोल लेना पड़ता है ?

स्वास्थ्यमंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां ।

(२) सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य बीमारों का पृथक् पृथक् विवरण नहीं रखा जाता है ।

(३) जो औषधियां आदि चिकित्सालय में उपलब्ध होती हैं, सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त दी जाती हैं ।

(४) जी नहीं, केवल दवाइयां जो चिकित्सालय में नहीं रखी जाती हैं तथा जो बीमार के लिये आवश्यक समझी जती हैं, बीमार को बाजार से खरीदनी पड़ती हैं । सरकारी कर्मचारियों को उनका पैसा राजस्थान सर्विसेज़ मेडिकल अटेन्डेन्ट्स रूल्स, १६५८ के अंतर्गत उनके विभाग से चुका दिया जाता है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या कोई राज्य कर्मचारी आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा इलाज कराना चाहे तो उसको यह सुविधा प्राप्त है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न विचाराधीन है ।

कोटपुतली में बिजली

२४५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सिचाई व विद्युत् मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कोटपुतली नगर में बिजली लगाने की कोई योजना है ?

(२) यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ?

विद्युतमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जिन ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है, उनमें कोटपुतली भी शामिल है ।

(२) लोड सर्वे के आने पर यदि स्कीम लाभप्रद सिद्ध हुई और वांछित धनराशि उपलब्ध हुई तो यह कार्य किया जा सकेगा ।

बसों के पहुंचने और रवाना होने का समय

२४६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जयपुर से अलवर और कोटपुतली जाने वाली बसों का हर स्टेशन पर पहुँचने और रवाना होने का समय निर्धारित है ?

(ख) क्या इसका खास खास बस स्टेशनों पर रिकॉर्ड रजिस्टर रखा जाता है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) नहीं । केवल जयपुर से रवाना और आखरी स्टेशन पर से गाड़ियों के रवाना होने व पहुंचने के समय निर्धारित है ।

(ख) नहीं ।

आर. पी. एस. सुपरिन्टेन्डेट

२४७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान के किन किन जिलों में कौन कौन आर. पी. एस. सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

(२) ये नियुक्तियां किन आधारों पर की जाती हैं ?

Page No.10

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१)
१. श्री मदनलाल कश्यप, आर. पी. एस, एस. पी., जालोर।

२. श्री पी. एल. बनर्जी, आर. पी. एस. एस. पी., सवाई माधोपुर।

३. श्री पी. सी. सजनानी आर. पी. एस., एस. पी., नागौर।

४. श्री कुन्दनलाल, आर. पी. एस., एस. पी., जोधपुर।

(२) केवल वे ही आर. पी. एस. सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पद पर नियुक्त किये जाते हैं जिनका नाम आई. पी. एस., केडर में उन्नत किये जाने योग्य अधिकारियों की मान्य सूची (एप्रूव्ड लिस्ट) में हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह भी सही है कि आई. पी. एस., सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर आर. पी. एस. को एस. पीज. के पद पर क्यों रखा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आई. पी. एस. का सिलेक्शन होता है उसके अलावा एक एप्रूव्ड लिस्ट और बनती है जिनके द्वारा आर. पी. एस. का प्रमोशन होता है और उस लिस्ट में से चान्स दिया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सूची में उनका नाम किस नम्बर पर है ?

श्री रामकिशोर व्यास : in accordance with the list

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Exactly

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्कुल।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २४८

वैद्यों और कम्पाउन्डरों के ग्रेड

२४६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

आयुर्वेदिक औषधालय के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के वैद्यों और उनके कम्पाउन्डरों के क्या क्या ग्रेड हैं ?

स्वास्थ्यमंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : आयुर्वेदिक औषधालय के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के वैद्यों का ग्रेड क्रमशः १५०-१०-२२० दक्षतावरोध १०-२५०-१२½-३००, ११०-५-१३५ दक्षतावरोध-१०-२२५ व ६०-४-८० दक्षतावरोध-५-१२२-७½-१४० है तथा उनके कम्पाउन्डरों के निम्नलिखित तीन ग्रेड्स हैं :

१. ८०-५-११० दक्षतावरोध-५-१५०
२. ५०-३-८० दक्षतावरोध-५-६०
३. ४०-२-६०

श्री मूलचन्द डागा : क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि डाक्टरों के और वैद्यों के ग्रेड में कितना अन्तर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डॉक्टरों के मुकाबले में इनका ग्रेड कम है। डॉक्टरों के दो ग्रेड्स हैं; पहला २०० से ४०० और दूसरा २५० से ७५० का है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या वैद्यों की तनख्वाह बढ़ाने का भी सरकार का इरादा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : थोड़े दिन पहले भी जब जनरल रिवीजन हुआ था तभी उनके ग्रेड बढ़ाये गये थे और फिर भी बढ़ाने का विचार हो रहा है।

Page No.11

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार वैद्यों को डाक्टरों से कम योग्य और कम उपयोगी समझती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक दूसरे का कोई मुकाबला नहीं है, डॉक्टर विलायती शिक्षा पाये हुए होते हैं और वैद्य देशी शिक्षा पाये हुए होते हैं, इतना ही फर्क है ।

सोने का तस्कर व्यापार

२५०. **श्रीदयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा पुलिस के एक सब-इन्सपेक्टर ने कोटा के चौथमाता बाजार में स्थित सराफा बाजार में एक सोने के तस्कर व्यापारी के पास से ३० तोला सोना पकड़ा ?

(२) यदि हां, तो सरकार विक्रेता तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(३) राजस्थान सरकार ने स्वर्ण के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(३) ज़िला पुलिस और आर. ए. सी., तस्कार व्यापार को पकड़ने के लिए सदा सीमा पर गश्त करती है और धोबा देती है इसके अतिरिक्त जिला पुलिस और सी. आई. डी., देश के भीतरी भाग में संदिग्ध तस्कर व्यापारियों पर दृष्टि रखती है और अवैध सोना पकड़ने हेतु अवसर पाकर धावा बोला करती है । काम की सूचना मिलने पर तलाशियां भी लेती है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कोटा के सराफा बाजार से अगस्त के महीने में एक सराफ के यहां ३० तोला सोना पकड़ कर उस आदमी को गिरफ्तार किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है कि एक आदमी को पकड़ा था, लेकिन वह तस्कर व्यापारी नहीं था ।

श्री पी० के० चौधरी : तो फिर उसको गिरफ्तार क्यों किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस पर शक था ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह साबित हो गया कि वह तस्कर व्यापारी नहीं था ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री दयाकृष्ण विजय : वह सोना कहां से लाया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका इनवेस्टिगेशन चल रहा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : सोना बेचने वाला कहां का व्यक्ति था, क्या वह कोटा का व्यक्ति था ?

श्री रामकिशोर व्यास : कहां का रहने वाला था, यह पूरा पता नहीं हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने कहा कि गिरफ्तारी की गई थी तो किसकी गिरफ्तारी की गई ?

श्री अध्यक्ष : एक व्यक्ति की ।

श्री रामकिशोर व्यास : लक्ष्मण नाम के व्यक्ति की ।

Page No.12

श्री दयाकृष्ण विजय : यह व्यक्ति कहां का था ?

श्री रामकिशोर व्यास : संभवत: अजमेर का।

श्री दयाकृष्ण विजय : अजमेर से आकर कोटा में क्यों बेच रहा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये कोई मनाही नहीं है, अजमेर से आकर जयपुर में भी बेच सकता है।

अलवर जिले की पंचायतों के चुनाव

२५१ श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अलवर ज़िले में पंचायतों के चुनाव कब होने को थे तथा उनको कितनी बार, किन-किन आधारों पर स्थगित किया गया ?

(२) अलवर जिले में अब पंचायतों के चुनाव कब सम्पन्न होंगे तथा वे चुनाव पुराने हल्केबन्दी के आधार पर होंगे या कोई नई हल्का बन्दी की जावेगी ?

(३) क्या सरकार पंचायतों में भविष्य में चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा कराने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो उक्त प्रणाली कब से प्रारम्भ होगी तथा उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जावेगी ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (१) मार्च व अप्रेल १९५८ में दो बार स्थगित किये गये। पहली बार तो कई जगह १५ वार्ड थे उनको हाई कोर्ट के अदेशानुसार १४ वार्ड बनाने के कारण व दूसरी बार वर्षा होने के कारण क्योंकि इस मौसम में किसान अपने खेतों में कार्य में लग जाते हैं।

(२) नवम्बर १९५८ में सम्पन्न होंगे। पुरानी पंचायतों की हल्केबन्दी के अनुसार होंगे।

(३) जी हाँ। ८ सितम्बर, १९५८ से लागू हो चुकी है। नियम बनाये जा चुके हैं, उनके अनुसार व्यवस्था की जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा : क्या अलवर के अलावा अन्य स्थानों के पंचायतों के चुनाव भी स्थगित हुए हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जी हाँ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कई गाँवों के लोगों की शिकायत थी कि चुनाव स्थगित नहीं किये जावें और फिर भी स्थगित किये गये ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी कोई शिकायत उपलब्ध नहीं हुई।

श्री मूलचन्द डागा : गाँव लाखिया और कैरवा के काश्तकारों की दरख्वास्त थी और उन्होंने दो बार सी० पी० ओ० का ध्यान इस ओर दिलाया था; फिर भी स्थगित कर दिये गये, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : यह कब की बात है ?

श्री मूलचन्द डागा : जब चुनाव के लिए नोटिस निकाला था तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास अभी काम नहीं है, इसलिये इस समय चुनाव किये जा सकते हैं, हम वोट दे सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : किसानों की तरफ से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

जिला नागौर का हरसोर बांध

२५२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला नागौर में हरसोर बांध से गत दो वर्षों से कितने कितने बीघा की सिंचाई हुई और कितने कितने बीघा के इर्रीगेशन चार्जेज़ वसूल किये गये ?

(२) क्या यह सही है कि इस बाँध से कुओं द्वारा सिंचाई की जाने वाली भूमि को पानी दिया गया और बिना कुओं वाली भूमि में पानी नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि बिना सिंचाई किये ही कई काश्तकारों से इर्रीगेशन चार्जेज़ वसूल किये गये हैं ? यदि हाँ, तो कितनी भूमि का और कितना ? क्या सरकार उक्त वसूल की गई रकम को वापिस काश्तकारों को दिलाने का विचार रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जिला नागौर में हरसोर बाँध से गत दो वर्षों में अर्थात् १९५६-५७ व १९५७-५८ में ९६३ व ८८५ बीघा जमीन की सिंचाई हुई और उतने ही बीघों की वसूली की गई।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

करौली अस्पताल की एक्स-रे व आयर्न लंग की मशीनें

२५३. **श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : Will the Minister for Public Health be pleased to state :

(a) What are the causes of break down of X-ray and Iron Lung Machines at the Karauli Hosptial ?

(b) What steps have been taken by the Government to restore them into proper working order ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) करौली अस्पताल की एक्स-रे की मशीन खराब होने का कारण यह है कि हाइ टेन्शन केबिल बिजली की कम व ज्यादा रफ्तार के कारण फट गया था। आयर्न लंग पड़ा पड़ा काम में न आने के कारण खराब हो गया है।

(ख) मलघम ब्रादर्स बम्बई की मार्फत हाइ टेन्शन केबिल अमेरिका से मंगवाये गये हैं जो करौली पहुँच गये हैं। मलघम ब्रादर्स के यहां से इन्जीनियर के आने पर ये केबिल लगाये जायेंगे तथा एक्स-रे की मशीन काम करने लगेगी, आयर्न लंग को ठीक कराने का उचित प्रबन्ध किया जावेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या वह आयर्न लंग इसलिए खराब हो गया, क्योंकि उसका उपयोग करना डॉक्टर नहीं जानते थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसलिए खराब हो गया कि जब बिजली चाहिए, तब बिजली उपलब्ध नहीं थी और बीमार उपलब्ध थे और जब बीमार उपलब्ध थे तब बिजली उपलब्ध नहीं थी।

डॉ० बहादुरसिंह : Since how long they have been lying out of order?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक्स-रे की मशीन एक साल से खराब हुई है।

श्री बृजेन्द्रपाल : What about the Iron Lung machine-when it is expected ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सितम्बर में आने वाली थी, वह आयी नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : राजस्थान में इस प्रकार के एपरेटस खराब पड़े हुए हैं, सरकार के पास उनको सुधारने की कोई योजना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आयर्न लंग आपके यहां है, और कहीं नहीं है। राजस्थान में और कहीं नहीं है, नये आयर्न लंग मंगाने की योजना है, उसकी डेढ़ लाख कीमत है। खराब मशीनों को ठीक करने की व्यवस्था की जा रही है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था कि आयर्न लंग धौलपुर में, करौली में खराब है। ऐसे जो एपरेटस खराब पड़े हुए हैं, जिन्हें राजाओं ने खरीदा था, उन्हें सरकार को सुधारना चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि खराब होने का कारण यह है कि जब बिजली उपलब्ध होती है तब बीमार नहीं होते हैं और जब बीमार उपलब्ध होते है तो बिजली नहीं मिलती है।

डॉ० बहादुरसिंह : असल चीज यह है कि डॉक्टर लोग उसका प्रयोग करना जानते नहीं हैं और जहां प्रयोग करना जानते हैं वहां उनके लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है इसकी जाँच की जानी चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं अर्ज करूँगा कि जब जयपुर जैसे अस्पताल में उसकी जरूरत नहीं है, तो वहां आवश्यकता कैसे होगी ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है, उसका अमरिका से सामान मँगाया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आयर्न लंग को ऐसे स्थान पर भेजा जा सकता है जहां कि आवश्यकता हो।

श्री अध्यक्ष : जहां मरीज़ हों, बिजली हो। श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री पी० के० चौधरी : क्या ये आयर्न लंग·········

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

वन विभाग बारां की जलवाड़ा आदि रेन्जों में घास की कटाई

२५४. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ५७—५८ में वन विभाग, बारां के द्वारा जलवाड़ा रेंज में तथा इसी क्षेत्र की अन्य रेन्जों में करीब तीस हजार गट्ठे घास के बंधवाये गये थे ? यदि हां, तो इसमें कितना रूपया व्यय हुआ था ? तथा कितना मन घास कटवाया गया ?

(२) क्या यह सही है कि वन विभाग बारां में इन घास के गठठों को नहीं उठ-

Page No.15

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वाया और सारे घास के गट्ठे उन्हीं स्थानों पर पड़े पड़े गल कर नष्ट हो गये ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार वन विभाग, बारां के अधिकारियों की लापरवाही से हुए नुकसान की जांच करवाने का विचार रखती है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। घास कटवाया गया था लेकिन गट्ठों के बारे में कोई सूचना नहीं है। १४१६६मन घास कटवाया गया था जिसमें १५८७७ रु० १७ नये पैसे खर्च हुए।

(२) घास का स्टेक्ड (Stached) व थेच्ड (thached) किया गया। घास नष्ट नहीं हुई, सिवाय उसके जो नॉर्मल कोर्स में जो नुकसान होता हैं वह।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : किस समय घास को काटा गया था ? बरसात के बाद घास कटनी चाहिए उस समय काटा गया या उस समय बरसात बन्द थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : घास कटने के बाद जिस तरह उसे इकट्ठा करना चाहिए, उस तरह किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : इस घास को कटने के कितने दिन के बाद उठाया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : नॉर्मल कोर्स में जितनी देरी लगनी चाहिए उतनी देरी में उठाया गया।

श्री भैरोंसिंह : नॉर्मल कोर्स में कितने दिन लगते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आदमियों की अवेलेबिलिटी पर डिपेन्ड करता है, इसके बाद जितने दिन उसे सुखाने की आवश्यकता हो उतने दिन सुखाना चाहिए और उसके बाद उसे इकट्टा किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : घास को इकट्टा करने के बाद, उसके गट्ठे बनाने के बाद, कितने दिन बाद उसको वहां से उठाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास डेट नहीं है कि किस दिन काटी गई, कई दिन काटने के बाद कई दिन उसको सुखाने में लगे और कई दिन गट्ठे बनाने में लगे।

श्री भैरोंसिंह : घास को काटने, सुखाने और गट्ठे बनाने की कार्यवाही जब खत्म हुई, उसके कितने दिन बाद उसे वहां से उठाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : घास को काटने के बाद, इकट्टा करने के बाद, आपने कहा है कि नुकसान हुआ है, मैं कहता हूँ कि नुकसान नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है। आपने कहा है कि पहले काटते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर इकट्टा करते हैं। मैं कहता हूँ कि घास इकट्ठी हुई, उसकी अन्तिम तरीख कौन सी थी और कितने दिन मे घास उठाई गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई तारीख निश्चित नहीं थी कि फलां दिन कटनी चाहिए, फलां दिन उठनी चाहिए। लोकल आदमी की उस समय डिमान्ड थी, उस घास की कमी थी, इसलिए कोटा की पांच-छः बीड में घास कटवाई और नॉर्मल कोर्स में कुछ घास उठवा ली गई। बाद में जो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

घास पड़ी हुई है, उस घास की अच्छी हालत है, वह खराब नहीं है, फिर घास की डिमान्ड नहीं है। उस घास को जानवर खा सकते हैं, वह खाने लायक है।

श्री दयाकृष्ण विजय : १४ हजार मन घास में १० हजार मन घास बरसात में पड़ी रही और खराब हो गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको गलत सूचना है, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह समझा जाय कि घास काटने के बाद उस घास पर वर्षा नही हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके बाद तो दो वर्षा निकल गई। पिछले साल घास कटी थी, उस साल की बरसात निकल गई और इस साल की बरसात निकल गई।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

सब-इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति

२५५, श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) **:** क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ५८ में कितने सब-इन्स्पेक्टर्स की मांग कब कब निकली तथा इन्टरव्यु कौन सी तिथियों को हुआ ?

(२) शिड्यूल्ड कास्ट एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने उम्मीदवार थे ? नियमानुसार कितने को स्थान मिलना चाहिए था ?

(३) इनमें से कितने को तथा ऐसे कितने उम्मीदवारों को स्थान दिया गया है, जिनका पुलिस उच्चाधिकारियों से कोई रिश्ता है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् ५८ में थानेदारों की जगह खाली होने के विषय में कोई सूचना प्रकाशित नहीं की। अलबत्ता दिनांक २७-१२-५७ को प्रोसीक्युटिंग सब-इन्स्पेक्टर्स की मांग की गई और इनका साक्षात्कार ३ व ४ मार्च, १९५८ को हुआ।

(२) परिगणित जातियों के दो व्यक्तियों को लिया। ऐसे व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए।

(३) ८ व्यक्तियों को लिया गया। रिकॉर्ड से पता नहीं चलता कि इनमें से कोई पुलिस कर्मचारी का रिश्तेदार था।

श्री रामनारायण वर्मा : इनमें से एक सब-इन्स्पेक्टर की पोस्ट पर ऐसे व्यक्ति को लिया गया जो केवल फोटोग्राफी का काम जानता है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको बताया कि कोई सब इन्सपेक्टर नहीं लिया।

श्री रामनारायण वर्मा : कोई ऐसा है जो डिप्टी. आई. जी. का रिश्तेदार लगता है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें सब इन्स्पेक्टर को लिया ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : आपने एक उत्तर दिया है कि एप्लीकेशन नही आई है, क्या एप्लीकेशन आई और उसको दबा दिया गया।

Page No.17

श्री रामकिशोर व्यास : आपने क्या फर्माया।

एक माननीय सदस्य : आपने फर्माया कि अनुसूचित जातियों के किसी व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिया। क्या यह सही है कि जो प्रार्थनापत्र दिये गये, वे दबा दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह गलत है।

श्री रामनाराण वर्मा : श्री रामनिवास सब-इन्सपेक्टर ने प्रार्थनपत्र दिया था, लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं हुई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि सब-इन्स्पेक्टर के लिए एडवर्टाइज़मेंट नहीं किया, प्रोसीक्युटिंग सब-इन्स्पेक्टर के लिए किया था।

श्री भैरोंसिंह : प्रोसीक्युटिंग सब इन्स-पेक्टर के लिए एडवर्टाइज़मेंट कब किया था, उसके इन्टर्व्यु कब हुए थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया, आपने गौर फर्माया नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते ऐसे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर सुन लीजिये। २७–१२–५७ को एडवर्टाइज़मेंट किया था और ३ मार्च को इन्टर्व्यु हुए।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

सड़कों का री-मेट्लिंग व बिटुमेन लगाया जाना

२५६ श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : Will the Minister for Public Works be pleased to state :

How much amount has been sanctioned this year for remetelling and bitumen treatment of the following roads :

(1) Karauli to Shri KelaDevi:

(2) Shri Kela Devi to Karanpur;

(3) Karauli to Lalsot via Gangapur and

(4) Hindaun to Mahwa.

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): Bitumen tretment. Remeteling.

1. Already bitumen treatment.		Nil
2. Nil		Nil
3. Rs. 1,00,000/-		47,000/-
4. Rs. 1,00,000/-		Nil

श्री बृजेन्द्रपाल : Have any of these roads been included in the second Five Year plan ?

श्री नाथूराम मिर्धा ; प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या प्रोविजन किया है, वह मैंने बताया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज्यों ज्यों साधन उपलब्ध होते जायेंगे उसी तरह करते जायेंगे।

प्रश्न संख्या २५७

श्री अध्यक्ष : : श्री मनरूपराम परिहार।

(अनुपस्थित)

गंग केनाल कॉलोनी में बाग लगाया जाना

२५८ श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर): क्या सिन्चाई मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(श्रीमती सतवन्तकौर)

(१) गंग केनाल कॉलोनी क्षेत्र में कितने नये बाग लगाना मन्जूर किया गया है ?

(२) कितने बागों के लिए प्रार्थना-पत्र पेश हुए।

(३) क्या यह सत्य है कि चीफ इन्जीनियर द्वारा बहुत से बाग बिना किसी सबॉर्डिनेट ऑफीसर से रिपोर्ट मंगवाये मंजूर कर दियेगये तथा उनके लिए पानी भी सुरक्षित कर दिया गया जब कि जिन्होंने उनसे पूर्व प्रार्थना-पत्र दे रखे थे उनके बाग आज तक मन्जूर नहीं हुए।

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं, गंग केनाल कॉलोनी क्षेत्र में ६३ नये बाग १९५८ में मंजूर किये गये हैं।

(२) १९५८ में २९९ प्रार्थनापत्र बागों के लिये पेश किये गये हैं।

(३) नहीं।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या एक व्यक्ति को ८० बीघा १० बिस्वा का पानी दिया गया, जिसके पास ५० बीघा का पानी था ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या फर्माया आपने ?

श्री बहादुरसिंह : एक आदमी के पास जब ऑलरेडी पानी था तो दुबारा क्यों दिया गया ?

श्रीमती सतवन्तकौर : नहीं, मैंने कहा है कि एक व्यक्ति को ८० बीघा १० बिस्वा का पानी दिया तो जिसके पास ५० बीघा का पानी था।

श्री रामकिशोर व्यास : नाम बता दें, तो जानकारी करके बता दूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

हेमावास से ऐरनपुरा तक नहर का निर्माण

२५९. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जवाई बांध से जोधपुर को पानी देने के लिए क्या हेमावास से ऐरनपुरा तक नहर खुद कर तैयार हो गई है ?

(२) यदि हाँ, तो इसको बांध से कनैक्ट क्यों नहीं किया जाता है ?

(३) इससे पानी जोधपुर शहर को कब तक दे दिया जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) पूरी खुद कर तैयार नहीं हुई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) आशा है पानी आगामी गर्मियों में दे दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भारत सरकार से इस प्रकार का एतराज उठाया गया है कि जवाई बांध से जोधपुर को पानी नहीं दिया जाय, दिया जाता है तो इर्रीगेशन का टार्गेट है वह पूरा नहीं होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, न इर्रीगेशन का पानी देने का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : इर्रीगेशन का नहीं तो फिर काहे का पानी दिया जाता है ?

Page No.19

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बांध को जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि डैड लेवल के ऊपर पानी रहता है ।

श्री भैरोंसिंह : पर पानी आयेगा तो उसी में से न ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आयेगा तो उसी में से, पर पीने के पानी से सिंचाई का पानी ज्यादा महत्व नहीं रखता ।

श्री भैरों सिंह : यह नहर कब तक खुद कर तैयार हो जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि धड़ाधड़ तैयार करा रहे हैं, आगामी गर्मियों में पानी दे दिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : योजना के अनुसार यह काम कब तक पूरा हो जाना चाहिये था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो साल के बाद में, पर जल्दी पूरा करा रहे हैं ।

श्री मदनसिंह (दांता) : क्या यह सही है कि ऐसा विश्वास आपने दिलाया था कि नहरों के ऊपर जहाजें भी चलेंगी ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

कोटा सांगोद रोड

२६०. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा—सांगोद रोड पर कैथून से थाना हैडा तक २० मील का टुकड़ा कच्चा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उत्तर २० मील का टुकड़ा अत्यन्त खराब होने से आवागमन में भारी असुविधा होती है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को पक्का कराने का विचार रखती है ?

(४) यदि हाँ, तो उक्त कार्य कब तक पूरा किया जाने का विचार है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) **:** (१) सही है ।

(२) सही है ।

(३) जी हां ।

(४) तृतीय पंचवर्षीय योजना में ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

प्रिन्सिपल, इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट जयपुर की योग्यता

२१७ **श्री पी० के० चौधरी** (फुलैरा) **:** Will the Labour Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that the Principal, Industrial Training Institute, Jaipur does not possess any University Degree though his compatriots in other similar institutions are all University Degree holders ?

(b) If so, what are the reasons of appointing on this post ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) **:** (a) It is not correct that the compatriots of the Principal, Industrial Training Institute, Jaipur, are all

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

Degree holders. The fact is that only one Principal who is at present posted at Kotah is a graduate. There being great shortage of engineering graduates, the persons possessing the minimum qualifications were appointed on the recommendations of the Rajasthan Public Service Commission.

(b) Does not arise.

श्री पी० के० चौधरी : What is his academic qualifications exactly ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : He holds a Diploma.

श्री पी० के० चौधरी : If he holds a diploma, from which University ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं ।

श्री अर्जुनदास : ये नहीं हैं तो क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have given him the complete information what was required by him in his question.

श्री अर्जुनदास : क्या डिप्लोमा उसके अपने घर का है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, आपके घर का होगा ।

(हंसी)

श्री अर्जुनदास : Thank you very much.

श्री अध्यक्ष : Still both are of the same standard,

Rao Raja Sardar Singh

ग्राम गावड़ी की पंचायत का चुनाव

२१८. **रावराजा सरदारसिंह** (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गांव गावड़ी तहसील देवली की पंचायत का चुनाव हो चुका है ?

(२) अगर हां, तो कब, और शपथ कब ग्रहण की गई ?

(३) चुनाव से लेकर आज तक पहले की पंचायत ही कार्य कर रही है या नई पंचायत ?

उप-स्वायत्त शासन मन्त्री : (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) निर्वाचन दिनांक ७-४-५८ को हुआ सरपंच ने दिनांक २२-५-५८ को शपथ ग्रहण की । तीन पंचों ने दिनांक २२-५-५८ को व दो पंचों में से एक ने २०-६-५८ व दूसरे ने ५-८-५८ को शपथ ली ।

(३) नई पंचायत ने दिनांक २६-७-५८ को चार्ज लेकर दिनांक ५-८-५८ से कार्यारम्भ किया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

कोटपुतली-डाबला इत्यादि सड़कों का निर्माण

२१९. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Public Works Minister be

Page No.21

(श्री पी०के० चौधरी)

pleased to state : Whether any schemes have been approved for cons tructing the following roads :-

(1) Kotputli-Dabla road.

(2) Paota-Chaudhrinangal road.

(3) Kotputli-Behror road,

(4) Paota Birut via Narainpura road.

(5) Rajnota-Sadun, via Goverdhanpur road. If so, in which plan have they been included

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

1. No.
2. From Paota to Ktputli only.
3. Yes.
4. No.
5. No.

Items no. 2 and 3 have been included in the 2nd Five Year Plan.

श्री पी० के० चौधरी : What about item no. 1,4 and 5 ? Does the Government propose to include it in any plan ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं 'Any plan' का तो आगे सोचेंगे, द्वितीय में तो नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : थर्ड प्लान में लेंगे कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में मैं अभी कह नहीं सकता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योजना बनेगी, क्या क्या किस तरह किया जायगा; इन सारी बातों पर निर्भर करेगा।

श्री अध्यक्ष : रावराजा सरदारसिंह।

नगरपालिका के क्षेत्र के काश्तकारान से डी० बी० सेस की वसूली

२२०. **रावराजा सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका के एरिया के काश्तकारान से डि० बी० सेस वसूल नहीं किया जाता ?

(२) अगर हां, तो इस बाबत आदेश कब हुए और क्या उसकी पाबन्दी हो रही है ?

(३) क्या यह भी सही है कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में अभी भी उनियारा नगरपालिका के क्षेत्र के जमींदारान से डी० बी० सेस वसूल किया जा रहा है ?

(४) अगर हां, तो क्या सरकार इस आदेश के विपरीत वसूल की हुई रकम वापिस दिलायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) जी हां।

(२) सरकार की आज्ञा के अनुसार डाइरेक्टर आफ लोकल बॉडीज़ ने अपनी विज्ञप्ति दिनांक ११-११-५७ द्वारा समस्त जिलाधीशों को सूचित कर दिया था कि जिला बोर्डों की उन काश्त की जमीनों के लगान पर सेस वसूल न करें जो नगरपालिकाओं की सीमा में हैं।

(३) जी हां। तहसीलदार उनियारा के पास नगरपालिका उनियारा की सीमा सम्बन्धी सूचना प्राप्त न होने से ३०-३८ नये पैसे उस काश्त की जमीन के लगान पर सेस वसूल किया गया है जो नगरपालिका की सीमा में हैं।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(४) वसूल की गई रकम को वापिस करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि फुलेरा नगरपालिका की गिरावना की ढानी एरिया से डी० वी० सेस वसूल किया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि नगरपालिका के बाहर का है उससे वसूल किया जाता है, यह गलती से वसूल किया गया है, उसे वापिस देने के लिए मामला विचाराधीन है। जहां कहीं गलती से वसूल किया गया है वापिस दिया जायगा।

श्री मदनसिंह (दांता) : आपने फर्माया कि गलती से वसूल हुआ, जब आपको मालूम हो गया है कि गलती से वसूल हुआ है तो लौटा दिया जाना चाहिए फौरन; फिर इस पर विचार करने की क्या बात है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज्ञा देना विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

कोटा में चम्बल बांध के बांई ओर चट्टान की कटान

२२१. **श्री पी० के० चौधरी :** Will the Irrigation Minister be pleased to state:

(1) What was the level of the rock on the left hand side bank at Chambal barrage site at Kota when the rock cutting work under estimate no. 74 was started ?

(2) What is the present level of the rock at the site and what is the estimate number under which the work of rock cutting is being carried on at the moment ?

(3) What is the total expenditure incurred in rock cutting under the various estimates uptodate ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) The level of the rock on the left flank at Kota Barrage site varied from place to place i. e. from F 1. 860. 00 to 816. 00 in an area of 800' x 200'.

(2) The present levels of the rock at the site vaery from E 1-822.00 to E 1 767. The work of rock cutting is being executed under estimates No. 100 of 54-55, 1 18 of 56-57 and an estimate of 56-57 under sanction for the left flank, spillways and divide walls respectively.

(3) Rs. 9,33,280,00

श्री पी० के० चौधरी : What is the total height of the rocks which have been given under the estimates?

श्री रामकिशोर व्यास : नौटिस चाहिये इसके लिये तो।

श्री पी० के० चौधरी : It was implied in this, if you cut the total height, you will find......

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया कि लेवल इससे इतना है।

श्री पी० के० चौधरी : What is the total average height ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो

(श्री रामकिशोर व्यास)

बताया न ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा सरदारसिंह ।

आयर्न शीट और सीमेंट के कोटे का वितरण

२२२. रावराजा सरदारसिंह (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५६–५७–५८ में कोरोगेटेड आयर्न शीट्स और सीमेंट का कोटा डिस्ट्रिक्ट टौंक में तहसील वाइज कितना कितना काश्तकारान को निर्धारित किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टौंक में गत वर्ष अधिक वर्षा के कारण काश्तकारान के मकानात गिर जाने पर कृषि विभाग से स्पेशल ७०० चद्दरें दिये जाने की मंजूरी हुई थी ?

(३) यदि हां, तो उपरोक्त चद्दरों में से तहसील उनियारा में कितनी कितनी वितरित की गई ।

उपमंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) सन् १९५६ में चद्दरों का तहसीलवाइज़ कोटा निर्धारित नहीं किया गया था । सन् १९५७ व ५८ में निर्धारित किये गये कोटे की तालिका इस प्रकार है :

चद्दरों की संख्या निर्धारित की गई :

नाम तहसील	१९५७	१९५८
टौंक	६४०	५०५
टोडारायसिंह	३२०	५८५
उनियारा	३२०	३४८
निवाई	३२०	३६४
देवली (दूनी)	२७०	३१२
मालपुरा	३७०	२६०

सीमेंट का तहसीलवाइज कोटा निर्धारित नहीं किया गया है ।

(२) इस विभाग से ऐसी कोई स्वीकृति नही दी गई ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

कोटा जिले में सहकारी समितियां

२२८. श्री दयाकृष्ण विजय (छावड़ा): क्या सहकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा जिले में सन् ५७—५८ में कितनी नई सरकारी समितियों का गठन हुआ ?

(२) क्या कोटा जिले में सन् ५७—५८ में कुल सहकारी समितियों को बोगस करार दिया गया है ? यदि हां, तो उन सहकारी समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उपमंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) ७९ नई समितियों का गठन हुआ ।

(२) नहीं, अत: उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उठता ।

महिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों की संख्या

२३१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का

Page No.24

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उत्तर देने की कृता करेंगे :

(१) कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर तथा जयपुर के महिला चिकित्सालयों में कितनी महिला चिकित्सकों की बजट द्वारा स्वीकृत पोस्ट्स हैं ?

(२) उपरोक्त स्थानों पर कितनी महिला चिकित्सकों की पोस्ट खाली हैं ? तथा कितनी भरी हैं ?

(३) उपरोक्त स्थानों के महिला चिकित्सालयो में महिला रोगियों की सन् ५७ में अलग अलग कुल संख्या कितनी रही है ?

(४) क्या सरकार यह उचित नही समझती कि जहां महिला रोगियों की संख्या अधिक है, वहां के रिक्त स्थानों की पूर्ति पहिले करें ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) व (२) कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर तथा जयपुर के महिला चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की बजट द्वारा स्वीकृत पोस्ट तथा उनमें कितनी भरी हैं व खाली हैं, उसके ब्योरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(३) महिला रोगियों की संख्या १९५७ में उपरोक्त अस्पतालों में किस प्रकार रही, इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(४) सरकार यह चाहती है कि जितने भी चिकित्सकों के स्थान रिक्त हैं सभी में डॉक्टर लगा दिये जावें परन्तु महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं । जन-सेवा आयोग द्वारा चुने हुए चिकित्सकों की उपलब्धि पर रिक्त स्थानों की पूर्ती की जा सकेगी ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री बी० एन० जोशी ।

बांदीकुई की डिस्पेंसरी

२३६.श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) **:** Will the Minister for Public Health please statet:

(a) When wast he decision to classify the Government dispensary at Bandikui as 'B' class dispensary taken by the Government and why ?

(b) Is it a fact that over a year ago the Government had issued clear orders for reclassiying this dispensary as 'A' class dispensary ?

(c) If so, why the order has not so far been implemented and who is responsible for this delay ?

(d) How long will the Government take to implement its decision l

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) ; (क) बांदीकुई डिस्पेन्सरी का वर्गीकरण राज्य सरकार की आज्ञा से दिनांक ६-१०-५३ को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट वॉल्युम ५ दिनांक २६-१०-५३ से प्रकाशित हो चुका है, के अनुसार द्वितीय श्रेणी की डिस्पेन्सरियों में किया गया था क्योंकि उस समय वहां पर रोग शैय्या संख्या ४ थी ।

(ख) इससे यह नहीं कि किसी प्रकार का डिग्रेडेशन किया गया । वहां डॉक्टर को

Page No.25

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

भेजा। दूसरा ए क्लास डॉक्टर उपलब्ध होने पर भेज दिया जावेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी० एन० जोशी : आपने कारण नहीं बताया, जो उत्तर आपने दिया उसमें कारण स्पष्ट नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि वहां पर पहले चार बेड थे।

श्री बी० एन० जोशी : बेड्स की तादाद बढ़ानी चाहिये। We raised the demand for raising the number of beds as well. Why was it not increased ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा है कि डाउन फॉल नहीं किया है।

श्री बी० एन० जोशी : क्या सरकार वहां पर फर्स्ट ग्रेड डाक्टर को भेजने के लिये तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 'ए' ग्रेड के डॉक्टर को भेजने के लिये तैयार है। उपलब्ध होते ही भेज देंगे, अभी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये अवश्य सोचते हैं।

श्री बी० एन० जोशी : क्या 'ए' और 'बी' के डॉक्टरों के ग्रेड में फर्क होने से बजट पर इसका असर नहीं होता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बजट तो वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लास एक के बजाय क्लास दो के डाक्टर को इसलिये भेजा है कि क्लास १ का डाक्टर उपलब्ध नहीं। दूसरा डॉक्टर आते ही भेज दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट, श्री बी.एन. जोशी

बांदीकुई–बसवा सड़क का निर्माण कार्य

२४१ श्री बी०एन० जोशी (बांदीकुई) : Will the Minister for Puplic Works please state :

(1) What progress has so far been made with regard to the proceedings for the acquisition of land required for the construction of the unfinished portion of the Bandikui-Baswa Road ?

(2) What was the initial target date for the completion of this road ?

(3) When the Department proposes to complete the construction of this road ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : (1) Objections are being heard.

(2) 26th February, 1956.

(3) Acquisition of land and some-time thereafter.

श्री बी० एन० जोशी : In order to expedite the construction of this road, is the Government prepared to establish a summary procedure ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I don't know, what is the summary procedure.

श्री बी० एन० जोशी : There is one procedure for emergencies and that

Page No.26

(श्री बी० एन० जोशी)

is acquisition of land and...

श्री नाथूराम मिर्धा : What is that?

श्री बी० एन० जोशी : That is given in the Act and you can read.

श्री अर्जुनदास : आपके समझ में नहीं आता, you want to go to the court.

श्री नाथूराम मिर्धा : These are judicial proceedings and we don't want to interfere.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम।

(अनुपस्थित)

सभापति तालिका

श्री अध्यक्ष : पेनल ऑफ चेयरमेन (Panel of Chairmen) में निम्नलिखित मनोनीत किये गये हैं :

(१) श्री लालसिंह शक्तावत।

(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(३) श्री आबिद अली।

(४) श्री होतीलाल।

११.५६ म० पू०

राजस्थान पशु-रोग विधेयक, १९५८

(पारित)

सदन के समक्ष राजस्थान पशु-रोग विधेयक, १९५८ को पारित करने का प्रस्ताव रखा था।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८ पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

११.५७ म० पू०

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८

(विचारार्थ एवं स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान जमींदारी एबोलिशन विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष, इस पर कल से बहस चल रही है और मैं इसके विरोध में हूं कि राजस्थान जमींदारी बिल को प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज भारतवर्ष के हर एक नागरिक को मालूम है कि जागीरदारी के साथ साथ ४२ 'दारियां' और भी समाप्त हो गई हैं, मगर ये दो 'दारियां' राजस्व मंत्री महोदय की पोकेट में कैसे बची रह गई ? इनको भी जल्दी से जल्दी खत्म नहीं करना चाहते, इनको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिये। यहां पर उन कानून कायदों की बात नहीं है लेकिन प्रश्न है सिलेक्ट कमेटी में यह बिल जाना चाहिये या नहीं। मैं यह समझता हूं, सिलेक्ट कमेटी में वे बिल जाने चाहिये, जिन बिल्स में कोई नई चीज हो या कोई नया कानून हो, जो सदन के सदस्यों के समझ में न आवे या कोई उसके सम्बन्ध में उलझन की बात हो जिससे सदन को समय लगता हो। लेकिन जमींदारी सिस्टम जो है वह वर्षों से खत्म हो चुका है।

(श्री मदनसिंह दांता)
उसके लिये बड़े बड़े कानून बने हुए हैं और वक्तव्य दिये गये। इस पर बड़े बड़े देशों के नेताओं ने अपने विचार रखे। इसके बावजूद भी आज जमींदारी बिल को सदन में न रख कर यह कहना कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, यह बड़े ताज्जुब की बात है। कल बड़े नेताओं के भाषण हुए, वे बहुत घबराये हुए थे। मैं समझता हूं कि जहां तक जमींदारी का सवाल है वह तो रहने वाली नहीं, जब रहने वाली नहीं है तो खत्म होगी, जिस प्रकार जागीरदारी समाप्त हुई। जागीरदारी को समाप्त करने में नहीं घबराये, वहां आज जमींदारी खत्म कभी की कर देनी चाहिये थी, उसको समाप्त करने में क्यों घबराते हैं? मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो चार ऐसे कानून हैं जो इससे सम्बन्ध रखते हों, उनको सदन के सामने रखा जावे तो उस पर विचार किया जाए। आज जागीरदारी खत्म हो गई। उनके लिये क्या कम्पेन्सेशन होना चाहिये, यह सारा का सारा कानून हमारे सामने मौजूद है। अलग अलग रिपोर्टों से भी जाहिर है और मैं रेवेन्यु मिनिस्टर का, कमेटी की १९५७ की रिपोर्ट है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अन्दर लिखा है कि सारी जागीरदारियें, जिनकी आय १००) या २००) की थी, खत्म हो गई हैं तो फिर अभी तक जमींदारी को जल्दी से जल्दी क्यों नहीं खत्म करते हैं? आज सबको मालूम है कि आज के प्रजातन्त्र-युग में जमींदारी रह नहीं सकती और नहीं रहनी चाहिये और अभी तक कभी की खत्म हो जानी चाहिए थी। गवर्नमेन्ट का यह राज्य करने का तरीका नहीं है, या तरीका नहीं जानते। पहले चीज खत्म होनी चाहिये, उसके बाद काश्तकारों का प्रबन्ध होना चाहिये। यदि वास्तव में देखा जाए तो कितना नुक्सान जमींदारी से काश्तकारों को होता है भारतवर्ष में, उतना नुक्सान जागीरदारी से नहीं। आज जागीरदारों के सेटलमेन्ट होने के बाद कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि काश्तकारों को उनसे क्या नुकसान है? वही रेन्ट जागीरदार लेते थे, जो आज सरकार ले रही है। मगर जहां पर जमींदारी सिस्टम है वहां पर मनमाना लगान काश्तकारों से लिया जाता है और रेन्ट लगाते हैं। जब जागीरदारी प्रथा खत्म की गई उस समय १०० बीघा से लेकर ४ बीघा तक के जागीरदारों को, जो जाति से राजपूत थे, उनको खत्म किया गया। रेवेन्यु मिनिस्टर साहब उस समय ढिलाई नहीं दे सकते थे, उस समय तो उनको जागीरदारी प्रथा, जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की धुन सवार थी। लेकिन आज बीस-बीस हजार के जमींदार मौजूद हैं जो काश्तकारों का खून चूसते आ रहे हैं, जब उनको खत्म करने का सवाल आता, जो काश्तकारों से मनमाना लगान वसूल करते जा रहे हैं उनको खत्म करने में ढिलाई बरती जा रही है। यह आज से नहीं, जब से कांग्रेस सरकार बनी है, इसकी नींव लगी है, हमेशा से यह चला आ रहा है कि वे एक जाति का विरोध कर रहे हैं, एक जाति को नुकसान पहुंचा कर वह दूसरी जाति को बढ़ावा देने की नीति अपनाती जा रही है। इसकी कई मिसालें सदन के सामने प्रस्तुत की गई। काश्तकारों को जो जमींदारों से नुकसान हो रहा है उतना जागीरदारों से नहीं होता था। एक जाति विशेष का पक्ष लेकर अपनी सत्ता कायम रखने के लिये उनको आज तक टच नहीं किया गया है। मैं तो यह समझता हूं कि यह प्रश्न तो पहले ही हल हो जाना चाहिये था। सिद्धान्त की बातें कल भी हुई और यह भी कहा गया कि बीच के आदमी नहीं रहने

(श्री मदनसिंह दांता)

चाहिये, गवर्नमेन्ट और काश्तकारों के बीच में कोई आदमी नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज भी मौजूद हैं। भगवान की जागीरों के बीच में आज तक कोई नहीं था, लेकिन हमारी सरकार भगवान की जागीरें भी बरदाश्त नहीं कर सकीं, उनसे भी जागीरें छीन ली गईं। लेकिन जब जमींदारी और बिस्वेदारी का प्रश्न आया तो उसके लिये कहा जाता है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय! यह कोई नई चीज नहीं हैं जिसके लिये यह कहा जाय कि यह पहले पहले सदन में विचारार्थ आई है। जब कोई नया कानून आता है तो उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी हो जाता है। इस सम्बन्ध में कई बार विचार रखे जा चुके हैं। अगर हम इसमें देरी करते हैं तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। वैसे ही रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट भ्रष्टाचार के लिये बदनाम है। इसकी कई मिसालें पहले भी सदन में दी जा चुकी हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती यह होगी कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। आज जो काश्तकार जमींदारों की जमीन पर काश्त कर रहे हैं इतने अर्से में उनको अलग करके जमींदार सारी भूमि पर अपना कब्जा कर लेंगे। सवाल यह हो सकता है, जब कानून बने हुए हैं, जिन कानूनों के जरिये ऐसी बातें नहीं हो सकतीं; इसके लिये मेरा इतना ही निवेदन है कि रेवेन्यु विभाग द्वारा कानून बनाये गये, जागीरदारों के लिये भी कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो जागीरदार नहीं थे उनको भी जागीरों का कम्पेन्सेशन दे दिया गया। इस सम्बन्ध में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, चारवास का मामला इसका जीता-जागता सबूत है। वहां जागीरदार नहीं था, फिर भी किसी दूसरे को जागीरदार बना कर १८ हजार रुपया दिलवा दिया गया। रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने १३ आॅर्डर निकाल दिये रकम वसूली के, लेकिन आज तक वह रकम वसूल नहीं हुई। इस तरह इस विभाग में कई प्रकार के गबन और पक्षपात हुए हैं अगर हम इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज देते हैं, तो जो भी टीनेन्ट्स अभी तक काश्त करते चले आ रहे हैं उनसे भूमि छीन कर जमींदार उन पर कब्जा कर लेंगे। कल इस बारे में बड़े बड़े भाषण हुए थे, धर्म के बारे में जब कुछ कहा जाता था तो यह कह दिया जाता कि साइन्टिफिक वे (way) में आपको सोचना चाहिये, आज यह बीसवीं शताब्दी में यह नहीं हो सकता, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं; लेकिन जब कोई वास्तव में सिद्धान्त की बात आती है उस समय बीसवीं शताब्दी की बात कहां चली जाती है, आज हम देखते हैं, भारत के अन्य प्रान्तों में; यू० पी० में, जमींदारी प्रथा कभी की खत्म हो चुकी। उसके लिये कानून मौजूद है, कमेटियों की रिपोर्ट हो चुकी, फिर हमारी समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज ऐसी है जिसके कारण इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक है। जब आपने इस सिद्धान्त को मान लिया कि इस प्रथा को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय और काश्तकारों को प्रोटेक्शन दिया जाय। आज दो दिन इस बहस में समाप्त हो गये कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, लेकिन यदि इस बिल पर बहस करने में ये दिन लगाते तो आज तक यह बिल पास भी हो सकता था यह कोई बड़ी चीज नहीं है। जहां तक कम्पेन्सेशन का प्रश्न है, उसके लिए तरीका आॅलरेडी मौजूद है; इसलिये मैं तो यह समझता हूं, इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। आज रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट जो भ्रष्टाचार का केन्द्र बना हुआ है इसमें पटवारी जो काम कर सकता है वह आज रेवेन्यु मिनि-

(श्री मदनसिंह दांता)

स्टर नहीं कर सकते । अगर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जायगा तो काश्तकारों के राइट्स के जो कागज़ात हैं वे इधर उधर होंगे और जो भी काश्तकार बचे हुए हैं उनको भी उस भूमि से अलग कर दिया जायगा। इससे जनता पर असर होगा और गवर्नमेन्ट के लिये भी खराबी होगी।

दूसरी बात यह है कि वही बिल सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, जिसका आम तौर से जनता से ताल्लुक हो। यह बिल ऐसा नहीं है जिसका आम जनता से ताल्लुक हो। यह तो कुछ ऐसा मामूली हिस्सा बचा हुआ था, जो न मालूम किस तरह से रेवेन्यु मिनिस्टर साहब की प्रोकेट में दबा हुआ था; इस सिद्धान्त को मानते हुए भी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी डिसकशन में लिया जाय और जल्दी से जल्दी पास किया जाय, इससे कांग्रेस के सिद्धान्तों की पूर्ति होगी। इसके लिये मैं अन्य सदस्यों से निवेदन करूंगा, जो इस बात का कल से विरोध कर रहे हैं, अगर उसके लिये वोट की नौबत भी आ जाय, तो कांग्रेस के सदस्य, जिन्होंने सिलेक्ट कमेटी में जाने का विरोध किया है, वे इसके पक्ष में वोट देंगे और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के रेवेन्यु मिनिस्टर साहब के प्रस्ताव का विरोध करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से विशेष कारण हैं कि जिनकी वजह से वे इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं? सिलेक्ट कमेटी में भेजकर भी वे पन्द्रह दिन के भीतर भीतर इसको पास करवाना चाहते हैं। इसलिये मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से विशेष कारण हैं, वे सदन को बतायें, ताकि इस विषय की बहस सीमित हो सके।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव पेश किया था, उसमें सिर्फ एक ही भावना थी और वह यह कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों को सिलेक्ट कमेटी में अपनी बातों को कहने का पूरा पूरा मौका मिले। वे सिलेक्ट कमेटी में बैठकर इसकी छानबीन करें और जो उचित सुझाव वे दे सकें, दें, लेकिन कल से जो मैं बहस सुन रहा हूँ उसमें विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने, खास तौर से प्रमुख सदस्यों ने, यह राय की प्रगट की है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है इस बिल को पूरी तरह से छानबीन कर प्रस्तुत किया है, कमेटी में भी इसकी छानबीन हो चुकी है। गवर्नमेन्ट लेवल पर कमेटी में भेजने का केवल एक ही मकसद था और वह यह कि विरोधी दल के सदस्यों को अपनी राय रखने का मौका दिया जाय। लेकिन उनके भाषणों से यह प्रतीत होता है कि वे ऐसा मौका नहीं चाहते और इस बिल को तुरन्त पास करवाना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। इसलिये श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट मेरे प्रस्ताव में मूव किया है कि इस बिल को कन्सीडरेशन के लिये लिया जाय, इस अमेन्डमेन्ट को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह तो कोई रीज़न नहीं हुए......

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already stated the reasons for moving the motion. Now I do not want to move the motion.

श्री श्रीभानसिंह : But you are oscillating between your motion and the motion moved by the opposition.

श्री अध्यक्ष : Now he agrees that the Bill be not sent to Select Committee. It will not be sent.

श्री श्रीभानसिंह : Then it should be sent.

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : What is the position now, Sir, I have accepted the amendment to the Bill.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, Sir, the views given by the Hon. Revenue Minister.........

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उनका अमेन्डमेन्ट जब एक्सेप्ट कर लिया गया है तो फिर अब बोलने के लिये क्या रह जाता है ?

श्री श्रीभानसिंह : That amendment is not by me. My amendment is that it should be sent to the Select Committee.

श्री अध्यक्ष : Now there can be discussion on the general principles only.........

श्री श्रीभानसिंह : Sir, no amendment can be accepted in the midst of the debate. The Chair asked the Hon. Revenue Minister to explain why he wants to refer the Bill to the Select Committee, but the Hon. Minister is so indecisive that he has not made up his mind: whether to send it to the Select Committee or not.

श्री अध्यक्ष : वह तो मन्त्री महोदय ने साफ बता दिया कि वे इस बिल को प्रवर समिति में नहीं चाहते, यानी बिल को यहीं डिस्कस करना चाहते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Naturally you were taken by surprise.

श्री श्रीभानसिंह : I can never be taken by surprise. Now he accepts the amendment. Let him explain the position, whether he wants it to be considered by the House or referred to the Select Committee.

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसमें डिले करना मैं समझता हूँ...

श्री अर्जुनदास : He has tabled the motion, he should now withdraw it.

श्री अध्यक्ष : But I think the sense of the House was that it should not be sent to the Select Committee and the Hon'ble. Minister has accepted it. So the position is that we should consider the general principles of the Bill and not on the motion whether to send it to the Select Committee or not.

श्री अर्जुनदास : Actually he should withdraw the motion. The legal position is that he should make a motion for the withdrawal of this motion to refer to the Select Committee.

श्री अध्यक्ष : I thnik the House agrees that we should not go into a formalistic attitude when he has agreed......

श्री श्रीभानसिंह : If the House agrees, but there may be individuals who may not agreé and they want to say......

श्री अध्यक्ष : He has moved a motion and wants to withdraw it.

श्री श्रीभानसिंह : We will not allow to withdraw.

श्री अध्यक्ष : That we shall see. You insist that it should be withdrawn first.

श्री दामोदरलाल व्यास : My submission is that an Hon'ble Member has moved an amendment and I accept that amendment.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : There is no such amendment and if there is any such amendment that amendment is not according to law. मेरा कहना यह है कि मन्त्री महोदय ने, यह सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, यह प्रस्ताव रक्खा था; अब यह पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय, दूसरा तरीका हो नहीं सकता। इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट्स के रख दिये जाने पर उसके अन्दर दूसरा अमेन्डमेन्ट नहीं रक्खा जा सकता। यदि माननीय मन्त्री महोदय अपने ओरीजिनल प्रस्ताव को विथड्रॉ करना चाहते है तो उसकी पर्मिशन हाउस लेकर विथड्रॉ कर सकते हैं। इस पर दूसरे अमेन्डमेन्ट देने वाले देंगे। यह कानूनी पोज़ीशन है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्वेश्चन यह है कि अमेन्डमेन्ट ऐसा कोई था ही नहीं, वह तो उसका विरोध किया गया था। अतः उस प्रस्ताव को बाकायदा वापिस लिया जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि it should be considered now.

श्री तनसिंह : आप कहां चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Let me have my say please. Don't interrupt.

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत अच्छी बात है। यह भी वही चाहते हैं जो माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : How has he anticipated, what I was going to say ?

श्री अध्यक्ष : आप उनको सेन्टेन्स तो पूरा करने दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तो यह अर्ज किया था कि उनकी राय है तो जो अमेन्डमेन्ट श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया था उसको एक्सेप्ट करता हूं। पर अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं अपना प्रस्ताव विथड्रॉ करू तो मैं इसके लिये भी तैयार हूं। मैंने पहले जैसा अर्ज किया था, जहां तक मेरा मोशन है और जिसे मैंने मूव किया है सिलेक्ट कमेटी में भेजने के सम्बन्ध में, उसको विथड्रॉ करने की मुझे आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री दामोदरलाल व्यास ने रक्खा

Page No.32

(श्री नाथूराम मिर्धा)

था कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, उसको वापिस लेने की उनको इजाजत दी जावे।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो मोशन हुआ नहीं न। It is within my right to raise a debate when the Hon. Minister wants to withdraw the motion.

श्री अध्यक्ष : Then please be brief.

श्री श्रीभानसिंह : But on such matters there cannot be any brevity.

श्री अध्यक्ष : On all matters there can be certain brevity.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose the motion of withdrawal which in the midst of the debate the Hon. Revenue Minister has been permitted. I am decidedly of the view......

श्री सोहनलाल भटनागर : On a point of order, Sir, I would like to draw your attentton to Rule 213 of the Rules of Procedure which says :

213. Withdrawul of motion :

(1) A member who has made a motion may withdraw the same by leave of the House.

(2) The leave shall be signified not upon question but by the Speaker taking the pleasure of the House. The Speaker shall ask : "Is it your pleasure that the motion be withdrawn?" If no-one dissents, the Speaker shall say : "The motion is by leave withdrawn." But if any dissentient voice be heard or a member raises to continue the debate, the Speaker shall forthwith put the motion."

श्री तनसिंह : That is not applicable to legislation. The chapter is entirely another chapter.

श्री सोहनलाल भटनागर : It applies to all withdrawals.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker has already permitted me to speak.

श्री अध्यक्ष : I think the proper stage for you to speak would be when he brings it for consideration and you may then speak at that time.

श्री पी० के० चौधरी : There is one difficulty. If the House passes that the Bill may not be referred to the Select Committee, then when the Hon. Minister moves for consideration of the Bill, I cannot table the motion that it be referred to the Select Committee. The House cannot then refer it to the Select Committee.

श्री अध्यक्ष : It can, I think......

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री दामोदर लाल व्यास ने रक्खा था, उसे वापिस लेने की उनको आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान

Page No.33

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल को विचारार्थ लिया जावे।

श्री तनसिंह : विड्ड्रॉ किया कहाँ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को वापिस लेता हूं।

श्री मदनसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, बिल को वापिस लिया गया या मोशन को ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मोशन को वापिस लेता हूं, यह कहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Speaker, Sir, I move that the Bill be referred to the Select Cammittee, the names will be announced later.

(हंसी)

Sir, I am one of those who have been very anxiously watching the progress of agrarian reforms and legislation of the Government in solving the agrarian problems. In the objects and reasons of the Bill also there is a reference to the Jagirdari Abolition Act as well as to the Tenancy Act. Therefore, any discussion of the Zamindari Abolition Bill without a referencs to Jagirdari Abolition or Tenancy Acts will be incomplete. I must say one thing, that I have not moved this motion with a view to delay the passage of the Bill or in any way to obstruct its passage; but I am confidently of the opinion that any agrarian legislation that has been passed uptil this day, has not taken us forward. It has only helped us to complete the cycle and come back where we started. I must also make a pertinent refernce here to the Jagirdari Abolition Act when the vested interests combined against the then Chief Minister and the result was that he was ousted from the Chief Minister-ship. Whatever mild reforms were done after the Jagirdari Abolition and the subsequent Tenancy legislation is nothing to be compared with that brought by one whom I may call as the Abraham Lincoln of Rajasthan. Abraham Lincoln fought the civil war of America to raise the slaves' position, to bring justice, liberty and fraternity to the people and he had to lay down his life for it. Similarly the then Chief Minister was made to leave the office here because he brought legislation in this very legislature to raise the status of the peasants of this State to bring them on equality with Jagirdars and Zamidars. So this danger of being out of office is there, and there are other dangers also.

Coming to the Jagirdari Abolition Bill and the Tenancy reforms, a reference to which has been made in this Bill, I may say that it is one thing to pass a Bill and quite another to implement it. The Jagir Abolition Bill was passed by this Honse to remove intermediaries and I am still of the opinion that these intermediaries are

(श्री श्रीमानसिंह)

still there. They are still existing and existing with double force. Thus instead of abolishing them, it has established them and has preserved the feedal structure as it was before the Congress assumed power. The feudal structure of our country had 3 divissions; at the top was the Jagirdar, and Zamindar, then working peasant and then at the bottom was the agriculture labcurer. The Bill which sought to remove the intermediaries and improve this feudal structure, failed to achieve its object. People are of the opinion that no better Act for the betterment or permanent establishment of Jagirdars could have been passed in a democracy then the one passed in Rajasthan .....

श्री सोहनलाल भटनागर : On a point of order, Sir, I would like to draw your attention to Rule 212 where it has been laid down that, 'A motion or an amendment must not raise a question substantially identical with the one on which the House has given a decision in the same Session."

श्री श्रीमानसिंह : Ruling of the Chair has already been given on that point.

श्री पी० के० चौधरी : The Chair has already given a ruling.

एक माननीय सदस्य : There should not be any discussion.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir......

श्री अध्यक्ष : There cannot be any point of order when one point of order is already pending.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि क्योंकि यह डिसीज़न पहले हाउस ने दे दिया है और जब आपने लीव चाही थी विथड्रॉअल के लिए तो इसका मतलब यह है कि हाउस यह चाहता था कि इसे सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाये। तो इस रूल के अनुसार जो वापिस यह मोशन रखा जा रहा है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये, यह इसी समय नहीं हो सकता।

श्री अर्जुनदास : Sir, is it compulsory to raise a point of order always ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, हाउस ने यह डिसीज़न नहीं दिया है कि हम सिलेक्ट कमेटी को रेफर न करें। सिलेक्ट कमेटी को रेफ्रेन्स करने का मतलब माननीय मन्त्री महोदय का था, उसको वापिस लेने की अनुमति देना हाउस का अधिकार है और जहां तक रेफ्रेन्स का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो मोशन रखा है वह बिल्कुल ठीक है और सदन ने किसी प्रकार का ऐसा निर्णय नहीं दिया कि यह सिलेक्ट कमेटी को रेफर नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रोसीडिंग्ज़ प्रोसीड रहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस की इजाजत दी जा चुकी है, इसलिए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर में कोई जोर नहीं है।

श्री श्रीमानसिंह : Mr. Speaker, Sir, I was referring to the agriculture or the agrarian structure that was

(श्री श्रीमानसिंह)

prevalent in our State before the Jagirdari Abolition Act and I was saying that the very same structure, even after the Act was implemented, continues. I have divided agricultural structure into three classes on the criterian of labour, the contribution of labour, the contribution of labour towards production & the income thereof At the top were the Zamindars or Jagirdars who did not contribute any labour towards production. Their source of income was rent. They were drawing the maximum income from the land without contributing an icta of labour towards production of national wealth. They were the people whom, before Independence, we labelled as functionless intermediaries and parasites. That very class was firmly entrenched by the Jagir Abolition Act of 1952. They continue to draw their income in the form of compensation and continue to exist as function-less parasites and exist with double vengeance on the rural scene. They were given powers to acquire 'Khud-kasht' land while our slogan was land to the tillers. He has also a right to sub-let his land and have tenants to get it cultivated. He continues to draw his sustenance from land without any work. Second in the line come the tenants. They work hard and their income was from land, from direct contribution to the national wealth. The third were the agricultural labourers. They have also remained on the rural scene, continuing to work for others, they continue to be employed by the Jagirdars with low wages & high rents.

Our Tenancy Act which was to abolish this three-tier system did not do so. On the contrary, it re-established this heirarchical system. The system which we thought dangerous for our rural economy continues. It was bacause we did not follow the basic policies which we ourselves had laid down. We should have appointed a Land Commission which should have suggested to us the changes in our tenancy, agrarian reforms and about the execution of these laws. I am, therefore, doubtful whether the Zamindari and Biswedari Abolition Bill will succeed in abolishing the intermediaries. To the relevant sections and the Act, I will refer afterwards, but the pattern which I gave out still exists as long as we are unable to change this pattern, I will say that you will not be able to change the rural scene. The power is still vested in the Jagirdars and Zamindars, the intermediaries and not in the tenants or the labourers. It is only when these intermediaries are removed from the rural scene that we can improve agriculture. We should not continue to vest power in the functionless parasites. So long as they have powers; social, economic and political and so long as the peasants are uncertain about their economic stability, no legislation, no reform will succeed.

We should have a Bill which should go to the very roots of evil of our agrarian economy and not just

(श्री श्रीमानसिंह)

touch the problem superficially. The Acts should be based on realities.

Coming to the point of compensation I have not been able to know as to why this compensation is granted ? Why was it granted to the Jagirdars and why it is granted to the Zamindars ? They have no property rights, They were always intermediaries only. The right given to them by the State was the right to collect the land revenue and hand it over to the State. The proprietorship always remained with the State, it was the prerogative of the State which was supreme. The property, rights as defined by law, were never possessed by the Jagirdars or the Zamindars in Rajasthan or anywhere else in India; and when they did not have these proprietory rights—when they were only pen-ultimate owners, they have no right to compensation. Why then the Government is giving them compensation ? After all, we must think as to from where the amount of compensation will come. That will have to be contributed by the people through taxation. The legal position regarding the compensation is very clear. Therefore, the compensation is very clear. Therefore, the compensation clause, or the reasons given for compensation do not carry any weight. The Kashmir Government abolished the intermidiaries without compensation. Here the Government may quote the Articles of the Constitution about the right of compensation. But those Articles are for private property rights, and my contention is this that these Jagirdars and Zamindars have never had any property rights. Therefore, the compensation to them is superfluous.

Similarly about the Khatedari rights and the Khudkasht land. Some Khudkasht land will be provided to the Zamindars. That very clause was also there in the Jagirdari Bill. By providing them Khudkasht land, by providing them compensation, are we not re-establishing these same intermediaries on the rural scene ? Our slogan was and is the land to the tiller. These Zamindars and these Jagirdars who have not worked on land, who have never cultivated the land, I do not see their claim to the land now and work it now. They must be removed.

By reference of this Bill to the Select Committee I do not want to delay the swift passage of the Bill. I want that it should be passed at the earliest. I know the duration of time that will be taken in discussing this Bill in the Select Committee and its passage and implementation, the Jagirdars and Zamindars take the greatest advantage. Previously there were mass evictions.

Of course, referring to a Select Commirtee means that Government has taken certain arbitrary decisions, which decisions the Government should not have taken. There is a certain legislative process and that

Page No.37

(श्री श्रीमानसिंह)

must be followe. Previous stages of appointing a Committee have been followed, the Committee has given its report, the Government has drafted the Bill, but I think it is essential that it should be referred to the Select Committee with a view that the Select Committee may again go into certain matters. The questions which I have raised and on which our agrarian legislation has failed, where, if I may say so, it has clearly deceived, it must go to the Select Committee. After all, we must frame such legislation which bears fruits. In no democracy has so much legislation on agrarian reforms been passed as in our own; but with the quantity of legislation the quality has not improved. The quality is the same. Therefore, if the Bill is referred to the Select Committee, the Select Committee will go through all these things, why our reforms have failed, for what reasons and that these very reasons should not be incorporated into this Bill

Today, if we go to the rural areas the villagers are not interested in the removal of the intermediaries. They are interested in having land. They want a certain unit of production; they want money to cultivate the land and they want fair rents. The crux of the problem of the agriculture is not of intermediaries; the problem is of giving proprietory rights to our peasants or distributing our proprietory rights in favour of the workers. Until today, our legislation has not distributed the proprietory rights to the labourers or to the tenants. It has distibuted these proprietory rights to those very people whom we wanted to remove, whereas there should be a re-distribution and re-distribution in favour of the workers, the tillers of the soil. There is a land hunger in our State and if we allow Khud-kasht land compensation, sub-letting, keeping of tenants, then the very same labourer continues to draw his meagre income from labour. The structure is not changed. Unfortunately in our country the greatest prestige goes to that man who does not work or who does not contribute to the production of the national wealth and who owns the most land. So if we do not redistribute our land in favour of these labourers then the position will continue to be the same and there will be no results even if we may remove the Jagirdars and Zamindars. The population will remain hungry, ill-housed, ill-clothed and diseased and will die a premature death, while those who do not labour, those who draw greatest income without any labour, they will continue to flourish as parasites.

All these problems cannot be considered by the House off-hand. These have to be considered in a quiet atmosphere. These problems must be tackled. The removal of intermediaries does not suggest a clear solution. They can be removed with one stroke but still the problem

(श्री श्रीमानसिंह)

remains. Them the question arises as to where is the malady ? where is the disease, and that disease has to be seen, and it cannot be seen in the House because.........

श्री मदनसिंह: That disease will be seen.

श्री श्रीमानसिंह : Every disease will be seen soon.

Therefore, Sir, what I was emphasising wasthis that we have to change our whole structure that those at the top have to be brought down and those who are at the lowest level, at the lowest ladder, they have to be raised. Our legislation should be for the masses and it should not be for certain individuals. Our Jagirdari and Biswedari Acts have failed, our co-operative Acts have failed because these supported vested interests and not the masses. The powers continue to be vested in these intermediaries. It is a misfortune that our luxurious officers are inter-mingled with these intermediaries. The intermediaries get all the facilities that they want, through those who are in power. There should be comprehensive land reforms for the whole of Rajasthan. No Committees will serve any purpose. What is the result of the talks that took place previously ? That was a matter of bargain. I have no hesitation in saying that the terms were in favour of the Jagirdars. They cannot act according to our pro-prograssive plan.What we wanted was prosperity in our State. The legislation has not been able to get that. And if ever a Jagir Abolition Committee was appointed, what was the basis of that ? Certain men of the landlords' interests were there. They came to the conclusion that 80 bighas is sufficient. What others say about this is that it was a matter of bargain. These steps should have been taken without bargaining, without rehabilitation grants, without giving them land because our principle was that those who do not work shall not own the land. This was the slogan with which we started, but we left our slogan and kept our door open and that open door was in the provision of Khudkasht. That open door in the Khudkasht resulted in what ? There was an instance here that a certain Jagirdar of Jaipur owns a land upto the extent of 15 thousand of acres. It is a Khudkasht land owned by one individual and in that very estate or in that very Jagir area if the Hon. Minister will go and see that there will be thousands of persons working on the land. This is the fact which exists today when we are implementing our Jagirdai Act. Our Tenancy reforms have three types of tanants while there should be one type of tenants only—tenats, who cultivate the land, who harvest the crops—but neither in Jagirbari nor in Tenancy legislation our Government has yet been able to evolve a definition of a cultivator. One who remains in Jaipur is also a cultivator and one who actully works from morning till night, who stays in that area and

Page No.39

(श्री श्री मानसिंह)

fields and works throughout is also a cultivator. The Government as yet does not know according to this Bill who is a Zamindar and who is a Biswedar ? I am amazed at the provision that a Zamindar is, whoever is declared by the Government to be a Zamindar. The Government may declare that a man having two acres of land is a Zamindir. There is no clear picture of those existing problems facing us. We are going on with the intermediaries who should be abolished. We should appoint commissions, we should appoint committees and they should go into the problems, the difficulties that are facing us.

The problems exist as they were. About rent, instead of paying to a certain individual, I pay to the State, and pay the same amount of rent. What has been the difference ? Therefore, the State itself will have to change its ways of collecting rent and levying of land revenue, because even after the ablition of inrermediaries, the rent which I was paying to the zamindar, I pay to the State, land revenue I pay to the State and besides that I pay the compensation also. The compensation also comes from the peasants. The people of the State have to contribute for that amount which we have to pay as compensation.

The second problem that faces us is that we have to coincide the unit of work with unit of ownership. It should not be that 1500acres of land should be owned by one individual. By no scientific or mechanical methods can an individual cultivate this much land, himself. The third problem is that of the finance. Our poor peasants have no money and the State must provide money. These are the crux of the problems of our rural scene and these problems must be understood and they can only be understood when the Select Committee goes into this matter comprehensively, I am not in favour of taking too much time. The report must be given within a week or so. U. P. took 4½ years in Zamindari Abolition Act and Bihar took about 8 years to implement the Act, and in these periods when we first moot the agrarian legislation and actually implement it, between these periods, I know the gainer is the landlord whom we want to abolish But somehow or other, I am convinced that our agrarian legislation hss not succeeded and it will not succeed if we have onr Acts on the same lines as we have had before. We have to change our whole legislation in such manner that the man who is at the last ladder should be the uppermost. We must provide housing, clothing and medical facilities for him and our legislation should be for this man and not for the intermediaries. The problem of compensation should not be there because historically they have no rights. They should have no Khudkasht land because they have never cultivated the land and they cannot become cultivators overnight.

(श्री श्रीभानसिंह)

When we want to establish one Tenancy in Rajasthan, I, as a privileged member in the village, should not be allowed to keep tenants or sub-tenants. These things do not go with our policy and our slogans. Therefore, if our legislation does not further our aims, then there must be something wrong either in the execution or something wrong in the drafting and we must understand that wrong. That wrong can only be understood if we refer this Bill to the Select Committee or to some such Committee which can go to the root of the problems. Only then there can be a real solution. With this view I have tabled this motion of referring the Bill to the Select Committee. I do not want to delay. It should be done as early as possible and only because I am convinced that our objectives will not be achieved by this type of legislation, I want it to be referred to the Select Committee.

So long as we do not omit bad clauses of compensation and Khudkasht, which do not help us in removing the intermediaries and which only bring him in again and in a stronger position on the rural scene, having social, economic and political powers and the masses do not get the power, then we are not legislating for the masses. 'If the masses do not benefit, then our aims are not achieved' and with these clauses in the Bill they will not be achieved. If the Hon. Minister is willing to delete them, then I have no objection and the House may proceed to consider the Bill, otherwise these matters can only be explained in a Select Committee with facts and figures. Therefore, I have talked this motion to refer the Bill to the Select Committee.

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र ।

१.१६. म. प.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो मोशन रखा है कि राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी (उन्मूलन) विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं इसका विरोध करता हूँ। कल सदन में माननीय मन्त्री महोदय ने जब यह प्रस्ताव रखा था कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों ने यह भावना प्रकट की थी कि जो विधेयक सदन के सामने आज आया है, वह आज से कई वर्ष पहले सदन के सामने आ जाना चाहिये था।

राजस्थान के किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने आज से कई साल पूर्व राजस्थान जागीरदारी उन्मूलन विधेयक पास किया, उसी समय जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन विधेयक पास किया जाना चाहिये था। सदन के अधिकांश सदस्यों की इच्छा के अनुसार, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए माननीय मन्त्री महोदय ने इस उदारता का परिचय दिया कि राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता के हित में अभी इस विधेयक को पारित किया जाना आवश्यक है और इसे शीघ्राति-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शीघ्र पास किया जाना चाहिये और प्रवर समिति में भेजने का जो उन्होंने मोशन रखा था, उसे माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, माननीय मन्त्री महोदय ने वापिस ले लिया।

अब भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है कि जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

एकेडेमिक पोइन्ट ऑफ व्यू से राजस्थान की आर्थिक भलाई के लिए, आर्थिक स्ट्रक्चर, और आर्थिक विकास की दृष्टि से माननीय सदस्य ने जो दलीलें दी हैं, वे शायद कहीं तक कारगर हो सकती हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने कल इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था, मैं तो यह आशा रखता था और चाहता था और शायद उनके विचार भी थे, वे इसे प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में कतई नहीं थे, पर उनके मन में शक पैदा हुआ। प्रातःकाल हमने भी बोलने का विचार किया था, मैं भी बोलने वाला था, क्योंकि हमें यह आशा नहीं थी कि मन्त्री महोदय इसे वापिस ले लेंगे, यह आशा बहुत कम थी क्योंकि बहुमत का जोम है, कि सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा के माफिक इसे वापिस ले लेंगे। हम मोशन के विरुद्ध बोलने वाले थे, माननीय सदस्य भी बोलने वाले थे, पर शायद उनके विचार में होगा......

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य यह कैसे कहते हैं कि मैं भी उस मोशन के विरुद्ध बोलने वाला था ?

श्री अध्यक्ष : हर मोशन के खिलाफ बोलते हैं, इसलिये कहा कि बोलने वाले थे।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) पर शायद उनके विचार में होगा कि वर्तमान मुख्य मंत्री हैं उनके मंत्रित्वकाल में जागीरदारी एबोलिशन का कानून, काश्तकारी का कानून और एग्रेरियन रिफॉर्म्स के कई कानून पास हुए हैं और यह जमींदारी और बिस्वेदारी के उन्मूलन का कानून भी बहुत इम्पोर्टेन्ट है, यह भी कहीं इनके मुख्य मंत्रित्वकाल में पास न हो जाय; तो किसी तरह यह साल भर के लिये टल जाय और सौभाग्य से ऐसा मौका आ जाय कि वे इस कुर्सी पर जा बैठें तो मेरा जो मुख्य मंत्रित्वकाल है उसमें यह जमींदारी तथा बिस्वेदारी एबोलिशन का कानून पास हो तो अच्छा है। शायद इसलिये इसको रिजर्व रखना चाहते हैं।

(हंसी)

मुझे खुशी उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर है, पर जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, केवल इस कारण से इस बिल का प्रवर समिति में भेजा जाना उचित नहीं होगा। कम्पेन्सेशन के सवाल पर और किसानों की राजस्थान में और बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया, वे सही हो सकती हैं। राजस्थान सरकार ने उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया होगा, लैंड रेवेन्यु का कानून है, टिनेन्सी एक्ट है, खुदकाश्त और रेवेन्यु की रेंट वसूली का कानून है, उनके बारे में सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा पर वे सारी की सारी समस्याएं सदन के सामने उन्होंने रखीं, उनका इस कानून से सम्बन्ध नहीं है। राजस्थान के बने हुए काश्तकारी कानून के अन्तर्गत किसानों की बेदखलियां नहीं रुकी होंगी। पर इसका मतलब यह नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होता कि हमें कोई कानून ही नहीं बनाना चाहिये था, बिल नहीं लाना चाहिये था। यदि माननीय सदस्य को यह भय है और ऐसी धारणा है कि काश्तकारी कानून, जागीर एबोलिशन कानून होने के बावजूद भी किसानों की हालत सरकार सुधार नहीं सकी है, जागीरदारों के पास में हजारों एकड़ भूमि खुदकाश्त की मौजूद है......

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष, वे इशारा कर रहे हैं, साहब; बार बार यह प्रश्न आता है कि हजारों एकड़ जमीन जागीरदारों के पास है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि एक्च्युअली मेरे कब्जे में कितनी जमीन है, खाली पहाड़ है। यह कोरा प्रोपेगन्डा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने आपकी तरफ ऊँगली नहीं की, मैं तो वैसे ही कह रहा था।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि इस जमींदारी तथा बिस्वेदारी एबोलिशन बिल के बारे में सदन के माननीय सदस्यों ने कल विचार प्रकट किये कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये वेंकटाचार कमेटी का निर्माण हुआ, उस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद हमारे राजस्थान में जागीरदारी प्रथा का अन्त किया। सदन के माननीय सदस्यों की भावना थी और हमारी इच्छा थी कि राजस्थान के अलवर, भरतपुर और गंगानगर इलाकों में जमींदारी और बिस्वेदारी की प्रथा जारी है; जिनके ज़रिये किसानों का शोषण होता है, इन प्रथाओं का अन्त होना चाहिये था। वहां के किसान आशाभरी दृष्टि से हमारी ओर देखते हैं। जागीरदारी का एबोलिशन करते समय, अलवर भरतपुर और गंगानगर के इलाकों में जमींदारी और बिस्वेदारी की प्रथा है, उसका भी एबोलिशन करके वहां के किसानों को राहत पहुंचानी चाहिये थी।

इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य स्वयं भरतपुर के रहने वाले हैं। किस तरह वहां किसानों को बेदखल करने की धमकियां दी जाती हैं, दस गुना रेंट के रूप में किस तरह उन किसानों से प्रोनोट लिखा लिये जाते हैं। भरतपुर, अलवर और गंगानगर का किसान सस्पेन्स की स्थिति में है, उसे पता नहीं है कि जमीन पर उसके क्या राइट्स हैं। त्रिशंकु की तरह उसकी स्थिति लटकी हुई है।

यह कानून जो सदन के समक्ष आया है, हो सकता है कि इसमें खामियां हों। पर जिस तरह राजस्व मंत्रीजी ने सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए अपना इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का, प्रस्ताव वापिस ले लिया है, उसी तरह इस बिल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, जो भावनाएं इस बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन करते समय रखेंगे, उन भावनाओं की कद्र करते हुए राजस्व मंत्रीजी उन्हें स्वीकार करेंगे।

आज राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के अन्दर, हमारे देश का सारा आर्थिक ढांचा, आर्थिक प्रगति, कृषि पर निर्भर करता है, किसानों की बहबूदी पर निर्भर करता है। अन्य देशों में जागीरदारी और जमींदारी एबोलिशन के कानून आज से कई साल पहले पास कर दिये गये। पर आज हमने इस प्रकार का कानून सदन में पेश करने से पहले पांच, छः साल का अर्सा गुजारा है। जागीरदारी

Page No.43

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रथा का अन्त कर दिया; हजारों, लाखों की संख्या में लोग जागीरदारी प्रथा के कारण किसानों और सरकार के बीच में इन्टर-मीडियरी थे, उस प्रथा का अन्त कर दिया तो केवल तीन जिलों में चलने वाली इस प्रथा का अन्त करने में कौन सी अड़चन आयेगी ? माननीय सदस्यों द्वारा यह दलील दी जाना कि इस प्रकार से पहले ही इस पर विचार करना चाहिये, पर किस प्रकार की मुसीबत आवेगी, कानून के लागू करने से पता लगेगा। माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहूंगा कि कानून के लागू करने में दिक्कतें आवेंगी। जिस कानून के द्वारा सदियों की परम्परा और समाज का शोषण होता रहा और अब उस प्रथा का अंत किया जाता है तो जिन लोगों को उससे नुकसान होता है, वे सारे लोग अपनी आवाज बुलन्द करेंगे; लेकिन सरकार को इस प्रगतिशील युग में किसानों की बहबूदी के लिये, शोषण रोकने के लिये कदम उठाना होगा और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून को इसके लिये शक्ति से लागू करना चाहिये। जहां तक जागीरदारी आदि के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा और उनका जिक्र किया, उन सारी धाराओं के बारे में हम यहां पर विचार कर सकते हैं, संशोधन ला सकते हैं। माननीय राजस्व मंत्री से मैं आशा रखता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इन संशोधनों पर विचार करेंगे और जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात को वापिस लिया है, इस एक्ट को पारित करेंगे। इसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के लिये जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री श्रीमानसिंह ने रखा है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको मानता हूं। जब माननीय मंत्री की तरफ से सबसे पहले इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में देने के लिये सुझाव आया था वह इस बात को इन्डीकेट करता है कि माननीय मंत्री महोदय यह समझते थे कि इस बिल में सोच विचार करके और इस बिल पर सीरियस कन्सी-डरेसन करके इस बिल को पास करना चाहिए, यकायक उन्होंने अपने विचार को बदला उसको तो मैं लाइट हार्टेडशिप समझता हूं। शुरुआत में तो उनकी यही राय थी। लेकिन किस तरह का लेजिस्लेशन सदन के सामने आता है, पास होता है ? लेकिन जिस समय हम टिनेन्सी एक्ट को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे पास उसके पांच अमेंडमेंट आये हैं। इसलिये मेरा तो यह निश्चित मत है कि कोई भी लेजिस्लेशन हो, चाहे वह टिनेन्सी का हो, चाहे लेन्ड रिकॉर्ड का हो, उसमें बार–बार अमेंडमेंट नहीं होने चाहिये। ताज्जुब की बात है कि लेजिस्लेशन आप लाते हैं तो आपको एक साथ लाने चाहिये, जिससे कि सदन के सदस्यों को भी सुविधा हो सके और वे उस पर विचार कर लें। मगर जिस समय हम टिनेन्सी एक्ट को देखते हैं तो मालूम होता है कि दो, तीन, चार और पांच; ये सारे अमेंडमेंट एक साथ आते हैं। तो मैं जिस पोइन्ट पर कह रहा था, वह यह है कि आज जो टिनेन्सी का लेन्ड रिफार्म का लेजिस्लेशन है वह हमें जल्दी में पास नहीं करना चाहिए; बिस्वेदारी बिल को मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं समझता था कि यह सिलेक्ट कमेटी में भेजा जायगा और फिर बाद में इस पर अपना माइन्ड एप्लाई करेंगे। हमने इस पर अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया और जो थोड़ा बहुत किया है उसमें देखा है कि कम्पेन्शेसन

(श्री पी० के० चौधरी)

के लिये इन्कम का ८ गुना रखा है। टिनेन्सी ५ वां अमेंडमेंट आया है उसमें २० टाइम रखा है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक जगह तो हम ८ गुना रखते हैं वहीं दूसरी जगह उसको हमने एनुअल रेन्ट का २० गुना कर दिया हैं। तो अब यह तो प्रश्न नहीं है कि हमको प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन पास करना है, प्रोग्रेसिव कहलाना चाहिये। इसके लिये हम लेजिस्लेशन पास करते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमको इस प्रकार के लेजिस्लेशन पास नहीं करने चाहिये जो कम से कम मोरल का हो। हम बिस्वेदारी में ८ गुना मुआवजा दे रहे हैं और वहां दूसरी जगह २० गुना दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें लैंड रिफॉर्म्स में आती हैं इसलिए इसके सम्बन्ध के कानून को टुकड़ों टुकड़ों में न लेकर कॉम्प्रीहेन्सिव फार्म में ही लेना चाहिए। अगर उसको पेश भी कर दिया है, तो हम उसको हाउस में पास नहीं कर सकते क्योंकि हमको यहां पर उसके सब प्रोस एण्ड कोन्स पर विचार करने के लिये समय नहीं मिलता, जिससे कि हम बहस कर सकें। Hardly the members get sufficient time to consider each and every clause of the Bill, इसलिए सिलेक्ट कमेटी ही इसके लिये उपयुक्त बॉडी है; जो दो, तीन या चार बैठकों में बराबर बैठ कर इस पर विचार करे। करीब करीब हमने जागीरदारी एबोलिशन एक्ट को १९५४ में पास कर दिया लेकिन आज उसका रिजम्प्शन जुलाई में किया है। मगर बहुत से जिले ऐसे अभी भी रह गये हैं जिनका सेटलमेंट नहीं हुआ है। मेरे पास इस प्रकार की जैसलमेर की शिकायत है कि सारी जागीरें एक जुलाई को रिज्यूम करनी चाहिए थीं, मगर रिज्यूम नहीं हुई। उनका सेमरी सेटलमेंट हुआ है वह ऐसा हुआ है कि जो काश्तकार १०० वर्षों से काम कर रहे हैं जिनके पास जैसलमेर सरकार की तरफ से पट्टे दिये हुये थे और आज भी वे गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, मगर उनके पट्टे उलट दिये गये और उनको जमीनों से निकाल दिया गया। जो लोग काम कर रहे हैं उनको दबाया जा रहा है कि वे अपने आपको नौकर या एजेन्ट लिखवा दें। मैं एक एक इन्स्टान्स बता सकता हूं। आप प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन पास कर दें। उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या मुसीबतें आ सकती हैं; जैसे आपने कानून पास किया कि जुलाई तक सारी जागीरें को रिज्यूम किया जावे लेकिन अभी तक नहीं हुआ और काश्तकारों को प्रेक्टीकली डिस्पोज ऑफ कर दिया। आज से ४ साल पहले जागीरों का एबोलिशन करने के लिए कानून पास किया गया था मगर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जैसा मूवर ने कहा है कि we are bound by our Constitution. हम कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं। हम कोई काम करते हैं, we cannot go beyond the four walls of the Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रायोरिटी लाते हैं। कम्पेन्सेशन देना पड़ता है। अब रहा किस ढंग से दें। जागीरदारी एबोलिशन में जो कम्पेन्सेशन दिया गया है; उसी तरह से दें या दूसरी तरह से दें? मगर मैं यह कहूंगा कि उसको पोलिटीकल तरीकों से हेन्डल नहीं किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि जब कोई डिस्क्रीशन का क्लॉज़ रहता है तो बहुत से लोग दबाये जाते हैं। आज चार साल हो गये हैं, मगर बहुत से लोग अभी तक लटक रहे हैं। अगर इसी तरह से बिस्वेदारी में भी यह क्लॉज़ रहेगा तो लोग लालच देकर अपनी जमीन दबा लेंगे। इसके अलावा वे जागीरदार इस क्लॉज़ के नीचे किसी को लालच देकर अधिकारियों से ज्यादा मुआवजा

(श्री पी० के० चौधरी)

ले लेंगे और उनकी मर्जी होगी उसको अधिकारी ज्यादा दे देंगे और किसी को एक लाख देंगे तो किसी के ५० हजार कम कर देंगे। ऐसा क्यों किया जाए? तो मैं मानता हूं कि ऐसी चीजें होते हुए भी कि आज एग्जीक्युटिव पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ईमानदार लोग नहीं। हम आज जो कानून बनाते हैं यह फुल प्रूफ हो। उसमें मिस यूज की गुंजाइश कम हो। यह होना नहीं चाहिए कि कानून तो आज बनाया जाय और उसको लागू पांच-सात साल तक किया जाय। इससे केवल यह हो सकता है कि आप प्लानिंग कमीशन को यह जरूर बता सकते हैं कि हमने जमींदारी और बिस्वेदारी कानून पास कर दिया। जागीरदारी एबोलिशन बिल सन् १६५३ में पास किया था किन्तु उसका इम्पलीमेन्टेशन १६५८ तक नहीं हो पाया। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमें इसको पास करने में जल्दी नहीं करनी चाहिये। इसको महीने, दो महीने बाद भी पास करते हैं तो कोई हर्ज नहीं; सन् ५८ या ५६ तक भी अमल में आ जाय तो कोई बात नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में दो चीजों के लिये भेजा जाना चाहिए। सब धाराओं को गौर से न देखा हो, उसे देख लिया जाय। मैं तो इसे पूरा देख नहीं पाया और मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री महोदय भी इसको देख नहीं पाये। इसीलिये तो उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा था। दूसरा टिनेन्सी एक्ट में बीस गुना रखा है और इसमें आठ गुना कम्पेन्सेशन रखा गया है। इसकी डिटेल्स में हम अगर जायेंगे तो हो सकता है कि इस प्रकार की खामियां या गलतियां हों, उनको दूर किया जा सकता है। जहां तक लेन्ड रिफॉर्म्स के लेजिस्लेशन का सवाल है उसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिये। यह तो सब लोग मानते हैं, प्लानिंग कमीशन भी मानता है और ऑल इन्डिया कॉंग्रेस कमेटी ने भी इस सिद्धान्त को माना है कि हमें एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन बढ़ानी है। देश की समृद्धिशालिता में सब से मुख्य भाग लेन्ड रिफॉर्म का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यह सब लोग मानते हैं कि जब तक लेन्ड रिफार्म्स हम नहीं करेंगे, काश्तकारों को अपनी होल्डिंग सिक्योर्ड फील नहीं करायेंगे, तब तक वे किसी भी प्रकार से इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एडॉप्ट नहीं करेंगे और इस तरह से जमीन में परमानेन्टली इम्प्रूवमेन्ट नहीं हो पायगा। हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा लेन्ड रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इसलिये मैं यह मानता हूं कि इस विषय में बहुत सोच-समझ कर काफी लाइट हार्टेड होकर काम न करके, माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा और सदन के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि इसको जल्दबाजी में पास न करके इसे पहले सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। यह जरूर हो सकता है कि इसको जल्दी में पास करके आप काश्तकारों की वाह-वाही ले सकते हैं, वह तो मिल जायगी लेकिन कानून जो हम पास करते हैं वह बताने के लिये नहीं। उसको किस तरह से इम्प्लीमेन्ट किया जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, यह सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह जागीरदारी एबोलिशन बिल को पास तो कर दिया किन्तु जिसको अमल में लाने के लिए चार पांच साल लग गये, उसी प्रकार इसमें लग जाते हैं तो इससे क्या फायदा होने वाला है। It is a serious matter, इसे लाइट हार्टेड नहीं लिया जाना चाहिये और इसको सिलेक्ट

(श्री पी० के० चौधरी)

कमेटी में भेजा जाना चाहिये ।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव किया है, उसका मैं विरोध करता हूँ । उन्होंने इस बात को सदन के सामने रखा, उसके लिये मैं यह कह सकता हूँ, 'पर, उपदेश कुशल बहुतेरे''; कहने का मतलब यह है कि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन उसके अनुसार खुद अमल नहीं करना चाहते । मैं, अध्यक्ष महोदय, अपने जिले की हालत को अच्छी तरह जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ इस जमींदारी एबोलिशन बिल का सम्बन्ध और इसका ज्यादा असर भरतपुर इलाके पर पड़ेगा । जमींदारी सिस्टम भरतपुर में सब से अधिक हैं । साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है और कहा है कि इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा, इसको अच्छी तरह से स्क्रुटिनाइज नहीं किया गया, सरकार को इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए कि किसानों को ज़्यादा से ज्यादा राहत मिले, अगर उतावलेपन से बिल को पास कर दिया जायगा तो जमींदारों का जो इकोनोमिक और सोशल स्टेटस है, उस पर कोई असर होने वाला नहीं । मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीजों के कहने के बाद भी एक भी कॉन्क्रीट सजेशन वे दे नहीं पाये । वे भरतपुर जिले के सब से बड़े जमींदार हैं, जमींदार होने के साथ साथ, मैं जानता हूँ, जितनी उनकी जमीन है, इसके अतिरिक्त भी सरकारी जमीन पर वे काश्त करते हैं, वह भी सैकड़ों बीघा की तादाद में है । उसके लिये उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं अपने किसानों को राहत देने के लिये तैयार हूँ । निजी जमीन किसानों को दे रखी है उसके लिये जहां राज्य का एक गुना लगान लिया जाता है वहां जमींदार लोग दुगुना और तिगुना तक ले लेते । उपदेश दूसरों को देने के लिये तो बहुत हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते......

श्री अर्जुनदास : यह इशारा आपका किसकी तरफ है ?

श्री होतीलाल : जिन महानुभाव ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है उनकी तरफ ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं । उनकी अदम मौजूदगी में इस प्रकार की बात नहीं कही जानी चाहिये ।

श्री होतीलाल : यह मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं उनको पकड़ कर बिठा सकूं । ऐसी सूरत में जहां इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव है वहां यह बात जरूर है कि इस बिल को पास करवाने में देरी हो । यह बहुत से सदस्य जानते हैं और अनुभव करते हैं कि जब सेशन होता है उस समय कमेटी का कोरम भी पूरा नहीं होता । कमेटी का कोरम पूरा होता है सेशन के खत्म होने के बाद । ऐसी सूरत में यह चीज मान ली जाय तो मैं समझता हूँ, इसको पास होने में डिले हो जायगी । आज की सूरत में जब कि हमने टिनेन्सी एक्ट बनाया, इजेक्टमेन्ट से प्रोटेक्शन दिया, जिनका प्रोप्राइटरी राइट है ; जैसा कि मैंने पहले बताया इकोनोमिक, सोशल स्टेटस जब बढ़ा हुआ है, उनको बेद-खली का नोटिस देते हैं, तो इस तरह से किसान परेशान होगा । हम यह चाहते हैं कि इन्टरमिडियरी नाम की चीज खत्म हो तो हमें यह करना पड़ेगा । रही किसान द्वारा लगान

(श्री होतीलाल)

देने की बात, उस पर हम क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन के समय विचार कर सकते हैं। ऐसी सूरत में मेरा तो यह सुझाव है कि इसको जल्दी से जल्दी पास किया जाय। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, इम्प्लीमेन्टेशन में चार साल लग जायेंगे, वैसा तो नहीं होना चाहिये। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको पास करके इम्प्लीमेन्ट करेंगे, उतना किसानों के हित में उचित होगा।

(श्री मोहरसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : और भी बहस की आवश्यकता है क्या ?

श्री मोहरसिंह (नूरू): अध्यक्ष महोदय, बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में यह बहुत जरूरी बिल है। आज से कई वर्ष पहले हम एक विधेयक पास कर चुके हैं, जागीरदारी एबालिशन बिल। सिद्धान्त के तौर पर हमने यह मान लिया है कि जागीरदारी, जमींदारी समाप्त होगी। किसान और सरकार के बीच में जो तीसरी चीज है उसको खत्म कर दिया जाय। जागीरदारी हमने खत्म की, लेकिन जिस इलाके के लोग जमींदारों और बिस्वेदारों के नीचे रहते हैं, क्या आप आज भी यह चाहते हैं कि उनका शोषण होता रहे। हमारी सरकार चाहती यह है कि जमींदारी और बिस्वेदारी प्रथा भी खत्म हो। यह न सिर्फ उन लोगों के लिये लाभप्रद होगा जो जमींदारी इलाके में रहते हैं बल्कि इससे राष्ट्र का भी भला होने वाला है। खाद्य समस्या आज विकट है हमारे देश की, यह हम जानते हैं। यह बिचौलिया सिस्टम अनाज की पैदावार बढ़ाने में रुकावट है। प्लानिंग कमीशन ने और दूसरे विशेषज्ञों ने इसकी ताईद की है। आज जब हम रोज यह सुनते हैं कि अनाज का अभाव है, उसके दाम बहुत ऊंचे होते जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों से लाखों टन अनाज हमें मंगवाना पड़ रहा है, तो ऐसी बिचौली चीज को मिटा देना हमारा बहुत बड़ा कर्त्तव्य है।

इस चीज को महसूस करके ही जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। जब उसे समाप्त किया गया तो इस दूसरी बिचौली प्रथा को समाप्त करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? यह जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव आया है यह इसी ध्येय से लाया गया है कि इसमें देरी हो। तो इसे समझ कर हमें काम करना चाहिये और देरी करने का मौका अब नहीं देना चाहिए। जिससे प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को लाभ होने वाला है, उसको जल्दी करना चाहिये। आज समाजवाद का भी नारा लगाया जा रहा है कि जो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गये हैं उनको थोड़ा नीचे लाना और जो बहुत नीचे हैं उनको ऊंचे लाना है। तो यह जमींदारी व्यवस्था देश के अहित में है, और इसलिए यह बीच का सिस्टम समाप्त करना ही होगा। इस ख्याल को लेकर ही मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बयाना से आये माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रक्खा है, मैं जानता था, जब पहले वाला प्रस्ताव रक्खा था, तभी उनके तौर-तरीकों को देख रहा था सदन में कि वे इसका विरोध करने की तैयारी कर रहे थे, मैंने कयास किया था।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इमेजिनरी कन्क्लुजन पर पहुँच रहे थे, मैं तैयारी कर रहा था या क्या कर रहा था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तौर तरीके ऐसे थे कि वे विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, इन्स्टीगेट जरूर कर रहे थे दूसरों को विरोध करने के लिए।

श्री श्रीभानसिंह : I object to this, Sir, I take exception to this phrase 'इन्स्टीगेट कर रहे थे' I object to it This term should not be used...

श्री अर्जुनदास : गलती हो गई। माफ कर दें।

श्री अध्यक्ष : Such terms should not be used.

श्री दामोदरलाल व्यास : सलाह दे रहे थे, मशविरा दे रहे थे।

श्री श्रीभानसिंह : Does the Hon. Mintster mean that I can instigate the Hon. Members of the Jana Sangha party or any other Hon. Member ? On the other hand the Hon. Minister can instigate the members of P.P.P.

श्री दामोदरलाल व्यास : That information has already been furnished by the Hon. Member from Jaipur that you were preparing to oppose the motion and you had already asked him to oppose the motion. On the basis of that I said it.........Anyway. I am sorry. I have used an alternative phrase: "मश्विरा दे रहे थे।"

श्री अध्यक्ष : Let us pass over.

श्री श्रीभानसिंह : If I asked the Hon. Member to oppose the motion the Hon. Member can clear the position.

श्री अध्यक्ष : He has slightly hinted on something like that.

श्री दामोदरलाल व्यास: और उन्होंने अपने मोशन के सपोर्ट में एक लम्बा-चौड़ा भाषण राजस्थान के लैंड रिफार्म्स जो आज तक हुए हैं उन पर दिया है। मौजूदा बिल पर उन्होंने क्या रोशनी डाली, इस पर तो कुछ नहीं कहूंगा पर यह जरूर है कि जो अग्युमेंट्स यहां पेश किये हैं उन्होंने उनमें आज तक जितने एग्रेरियन रिफॉर्म्स के कानून हमने पास किए हैं उनके लिए यह बताने की कोशिश की है कि उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, किसानों को और राजस्थान के एग्रीव्ड लोगों को उससे राहत नहीं पहुंची। मैं समझता हूं, यह कहते हुए वे उस जमाने की बात रख रहे हैं जो दस या बारह साल पहले किसानों की यहां हालत थी। उनको आज की तब्दीली मालूम नहीं होती कि इन कानूनों से किसानों को राहत मिली या नहीं। वे समझते हैं, दस बारह साल पहले वाली हालत अब भी है। मैं अधिक इस बहस में नहीं जाऊंगा। केवल इतना ही इनसे कहूंगा कि ज्यादा अच्छा हो, वे गांवों में जाकर स्वयं अपनी आँखों से वहां के किसानों को देखें और उनसे बातचीत करें। पहले उन लोगों पर कितना बोझा था, कितना रेन्ट और सैस था, कितनी बाट, बेगार थी; दुनियां भर की हैरानी थी, वह सब अब मिटी या नहीं; यह उनसे पूछ कर मालूम करें। भरतपुर की खुद की उनको मालूम नहीं। उनको मालूम होना चाहिए कि जो कानून बनाये गये हैं उनमें भरतपुर को एक्सक्लूड नहीं किया गया है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वे वहां भी लागू हुए हैं और जगहों की तरह से। राजस्थान के हर एक हिस्से के किसान को इन कानूनों का लाभ मिला है। भरतपुर के भी किसानों को वही राहत मिली है, उनको भी खातेदारी राइट मिले हैं जो बाकी के राजस्थान के हिस्सों के किसानों को मिले हैं। हमारे उन कानूनों को अन्य राज्यों ने और स्वयं प्लानिंग कमीशन ने प्रगतिशील माना है। वे यह सब गांवों में जाकर देखें। वे अभी इसी ख्याल में हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सारे रिफॉर्म्स कागजों पर ही हैं। मैं फिर उनसे यही कहूँगा कि इसका उत्तर भी किसानों के पास मिलेगा।

दूसरी बात, वे इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं, मैंने अर्ज कर दिया कि जिस भावना से मैं पहले इसे भेजना चाहता था वह यह थी कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों को मौका देना चाहता था कि वे अच्छी तरह छानबीन करके अपने सुझाव दे सकें। पर विरोधी दल के सदस्यों की भावना जब मैंने इसके पक्ष में नहीं देखी तो मैंने उनकी भावना की कद्र की और सदन में यह बिल विचारार्थ पेश किया।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : On a Point of order, please. मैं निवेदन करूंगा कि यह इधर के नहीं, उधर के सदस्य का सुझाव है। कौन किधर बोला है, यह सदन को खुद को मालूम है। उधर के ही अधिक लोग हैं जो इसके लिये बोल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि मैंने उनकी भावनाओं की भी कद्र की और इधर के माननीय सदस्यों की भावनाओं का भी आदर किया है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो भाषण माननीय सदस्य ने दिया उसमें एक भी कन्स्ट्रक्टिव सुझाव नहीं दिया गया कि आज क्या होना चाहिए, सिवाय इसके कि पिछले जमाने की क्या हालत थी; उन्होंने और कुछ नहीं बताया और एक नुक्ताचीनी का डेस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी का भाषण दिया। मैं उम्मीद करता था उनसे कि वे...

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भाषण में बैलेन्स्ड भाषा यूज़ होनी चाहिए उसकी जगह डेसट्रक्टिव मेंटेलिटी जैसी भाषा की टर्म्स यूज़ करेंगे तो हम भी वही टर्म्स यूज़ करेंगे। इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग में लाये जावें तो ठीक रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, Iam sorry for it, I never meant thrt it should hurt in any way. I only wanted to impress upon the House that he has not given any constructive suggestien.

श्री अध्यक्ष : Lack of constructive suggestions.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry, I did not mean anything like that...इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव देंगे। मगर मैं अर्ज करूंगा कि इसमें उन्होंने कोई भी सजेशन इस प्रकार का नहीं दिया कि बिल में किस प्रकार का अमेन्डमेन्ट वह सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या खामियां रह गई हैं? यह कहना कि जागीरदारों, जमींदारों को इतना मुआवजा दे दिया गया, उन्हें खुदकाश्त के लिए जमीन दे दी गई, उनको रिहैबीलीटेट किया जा रहा है; इस सब के बारे में मैं उनका मतलब नहीं समझ सका कि वह क्या चाहते हैं? क्या वह यह चाहते हैं कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जागीरदार गांव को और सबको छोड़कर चले जायें ? क्या वह चाहते हैं कि उनको जमीन नहीं दी जाये ? मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस जहनियत से सुझाव दे रहे थे।

दूसरी बात जमींदारी के लिए यह कही थी कि उन्हें कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है, मगर वह इस बात को भूल गये...

श्री श्रीभानसिंह : मैं अपने दिमाग से सजेशन्स दे रहा था, वह आपका दिमाग नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे यह मालूम है कि वह आपका ही दिमाग था। मैं इसलिए ही कह रहा था कि आप इस बात को भूल गए कि हमारा अपना एक विधान है और उसके तहत हम किसी भी मनुष्य की प्रोपर्टी को बिना कम्पेन्सेशन दिये नहीं ले सकते। फिर उन्होंने काश्मीर का उदाहरण पेश कर दिया। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जमींदारी एबौलिशन का जो बिल है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस पर हमें ठण्डे दिमाग से सोचना चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये और सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के कारण भी बताये और जब माननीय सदस्य बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए तैयार नहीं थे तो मैंने उसे विथड्रॉ कर लिया। मैं अब भी कहना चाहता हूं कि सदन को इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए और जो माननीय सदस्य अपने वाज़िब सुझाव देना चाहें तो उनको मैं मानने के लिए तैयार हूं और उन पर मैं बहस नहीं करूंगा। हम कानून बना रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि इसमें किसी प्रकार की खामियां न रह जायें और इसी भावना को लेकर हमने अब तक दूसरे बिलों को सदन में पेश किया है और पेश करके उन पर बहस करते हैं। हम यह नहीं कहते कि उजलत में कोई गलती की जाये, जिससे आइन्दा जाकर मुश्किलों का मुकाबिला करना पड़े। इसलिए जो प्रस्ताव आया है मैं उसका विरोध करता हूं और यह कहता हूं कि इस बिल को सदन में विचारार्थ लिया जाना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, जिस ध्येय से मैंने यह प्रस्ताव रखा था, उसको माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं समझा और न समझने की तकलीफ की और एक माननीय सदस्य जो भरतपुर से जीत कर आये हैं, उनके उनके लिए तो उम्मीद नहीं करता हूं कि वह कभी समझ कर चलेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा जमींदार बताते हैं। तो यह तो मेरे भाषण से क्लियर है। यह तो वह देखते कि प्रगतिशील पार्टी (Party) के नेता जो १ लाख की जमीन बेचकर बैठे हैं और वह पार्टी में बैठे हैं......

श्री भैरोंसिंह : प्रगतिशील नेता कौन हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : नाम तो आप जानते हैं पी० पी० पी० एग्ज़िस्टिंग हैं। वे यहां मौजूद नहीं हैं और न कभी आते हैं क्योंकि असेम्बली में काम करने की फ़ुरसत तो उनको मिलती नहीं है। पता नहीं वे अपनी क्या ड्यूटी बजाने आते हैं। मैं यह मानता हूँ कि मैं जमींदार हूँ और मेरे यहां मेरे पास जमीन है। मगर मेरे यहां आज तक कोई टीनेन्ट इजेक्ट नहीं हुआ है जिसको......

श्री मदनसिंह दांता : यह बात ठीक

(श्री मदनसिंह दांता)

है क्यों कि आप सबसे बड़े जमींदार हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : हां, यह ठीक है और इस समय सब से बड़ी अक्ल भी लेकर बात कर रहा हूँ।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी अक्ल का तो परिचय आज हो गया।

श्री श्रीभानसिंह : फिर उन्होंने कहा इस तरह कि मैं खेती के बारे में या राइट्स के बारे में नहीं जानता; तो यह तो मेरी स्पीचेज़ से क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि यह बिल इम्प्लीनेन्ट हो, मगर 'इम्प्लीमेन्ट' से मेरा मतलब है कि इसके जरिये जो हम मकसद पूरा करना चाहते हैं वह पूरा करें और उसके लिए जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने कोई भी कन्स्ट्रक्टिव सजेशन्स नहीं दिये, यह ठीक नहीं है। अब वह प्रगतिशील को सुनने की फुरसत मिलती तो वे आते। जिसको आप चाहें 'जमींदार' डिफाइन कर दें और जिसको आप चाहें बिस्वेदार डिफाइन करदें। जमींदार और बिस्वेदार की क्या डेफीनेशन दी है......

श्री दामोदरलाल व्यास : आप एक बार इसको और पढ़ लीजिए।

श्री श्रीभानसिंह : चाहे किसी के पास बीघा जमीन हो उसको बिस्वेदार बना दें, चाहे किसी के पास १४ हजार या १८ हजार बीघा जमीन हो उसे आप टीनेन्ट समझ लें। दूसरे मैंने यह कहा कि पहले आप कोई वर्किंग डेफीनिशन कल्टीवेटर की बनाइये। आप किसको कल्टीवेटर समझते हैं और किस को इन्टरमीजियरी समझते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि वह कोई डेफीनिशन जरूर अमेन्डमेन्ट के रूप में पेश करें।

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो कर दूंगा। आपके लॉ डिपार्टमेन्ट ने हैदराबाद का एक्ट देखा होता तो उसको कल्टीवेटर की डेफीनिशन मिल जाती, उसमें वह मौजूद है। उन्होंने मुझसे कहा कि गांव में जाकर देखते। वह तो माननीय मन्त्रीजी नहीं देखते, वह तो रेस्ट हाउस में टहर जाते हैं और उनको जो सूचना मिल जाती है उसी को यहां बता देते हैं। कन्ट्री के जो माने हुए आदमी हैं उनकी हाइएस्ट ओपीनियन बताता हूँ, उनका क्रिटिसिज्म है। मैं आपको और एनलाइटन करने के लिए, दिल्ली युनीवर्सिटी में विजिटिंग (Visiting) प्रोफेसर ऑफ इकोनोमिक्स, मिस्टर डेनियर थार्नर, आये थे उनकी ओपीनियन बताता हूँ। वह यह है कि as regards Jagir Abolition Rajastan is back from where it started. About your Jagir policy, आपके टीनेन्सी के बारे में यह ओपीनियन है। जिसको प्रगतिशील कानून बताते हैं उस कानून में कोई भी प्रगति की बात नहीं है क्योंकि दुनियां के अन्दर जो टीनेन्सी रिफॉर्म्स लाये जाते हैं वे इस मकसद से लाये जाते हैं, शुरू से जो टीनेन्सी का स्ट्रक्चर था उसको बदलने के लिए और एक टीनेन्सी कायम करने के लिए। रेवेन्यु मिनिस्टर यह नहीं जानते कि टीनेन्सी की क्या डेफीनिशन है और यह प्रोब्लम क्यों पैदा होती है? यह प्रोब्लम वहां पैदा होती है जहां कि प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन होता है और जब यह होता है तो डिफ्रेन्ट क्लासेज़ ऑफ टीनेन्ट्स राइज होते हैं। जब आप टीनेन्सी लॉ बनाते हैं तो इसका एक मकसद हो सकता है कि स्टेट के अन्दर एक तरह के टीनेन्ट्स हों।

(श्री श्रीभानसिंह)

१. ४६ प.म,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

पहले ऑक्युपेन्सी टीनेन्ट्स थे और उनको पर्मानेन्ट राइट्स नहीं थे और अब उनको राइट्स दिये गये हैं । तीन सिक्योरिटीज जो आपने ग्रान्ट कर दीं या उनको कानून में रख दिया, क्या उससे आपकी टीनेन्सी प्रोब्लम हल हो गई ? आपके पास यु० एन० ओ० की मिसाल है, सब कन्ट्री के लॉ आ रहे हैं और उनमें, जो टीनेन्सी में डिफ़ेन्सेज़ हैं वे बताये गये हैं......

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जरा समझने की कोशिश करें। आपके पास कोई सजेशन तो है नहीं ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो सब समझ कर ही कह रहा हूं । तो माननीय मंत्री महोदय ने अभी तक, प्रगतिशील कानून, प्रगतिशील वातावरण जो चल रहा है, उसमें पार्टीसिपेट करने की कोशिश या तकलीफ नहीं की है । जो राजस्थान के अन्दर जागीर एबोलिशन आज हो जाता और लैण्ड रिफॉर्म्स ठीक तौर से इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज हमारे सामने खाद्य की समस्या या अनाज की समस्या नहीं आती, हमारे यहाँ इजेक्टमेंट, रेवेन्यु लिटिगेशन इतना नहीं बढ़ता, या आपके यहाँ वह इम्प्लीमेंट होने के बाद लिटिगेशन में कमी नहीं आई है, और वही लिटिगेशन हो रहा है, इजेक्टमेंट में कोई......

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या फिगर्स हैं इजेक्टमेंट के, जरा आप बतलाएं ?

श्री श्रीभानसिंह : आप रेवेन्यु बोर्ड से मंगा लें । You can get them from the Revenue Board, I have no machinery to collect them,

श्री दामोदरलाल व्यास : You don't know anything about them ?

श्री श्रीभानसिंह : I know everything, you see. तो फिर मंत्री महोदय...

श्री पी० के० चौधरी : Sir, the Hon. Minister should not cast aspersions on the Hon. Member that he does not know anything about it. It is an aspersion on the Hon. Member.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is no aspersion, Sir, He has been saying since the very begining that the Revenue Minister does not know anything about Tenancy etc. So when he said that the litigation has increased, I asked him what was its extent and he says 'I don't know', so I said that he does not know anything......

(Several voices)

श्री सभापति : Order, Order."

श्री पी० के० चौधरी : If he has said that the Hon. Revenue Minister does not know anything about Tanancy, the Hon. Revenue Minister should have raised an objection at that time, but he cannot throw it back.

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री सभापति : Order ! Order"

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चैयरमेन, रेवेन्यु मिनिस्टर साहब को कह लेने दें, I ignore him.

(श्री श्रीमानसिंह)

दूसरे, आप टीनेन्सी एक्ट लाये, जागीर एबोलिशन आप यहाँ लाये और जब जमींदारी एबोलिशन यहाँ ला रहे हैं; तो इन इन्टरमिडियरीज़ को हटाकर एक प्रोब्लम सोल्व करने का सोल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि आज जमीन की भूख है और जिस जमीन के प्लान पर आजकल हमारे देश के अन्दर एक सोश्यल प्रेस्टिज है, उस सोश्यल प्रेस्टिज और जमीन की भूख को हल करने के लिए ला रहे हैं। क्या आपने जिन एरियाज़ में जागीर एबोलिशन किया है उन एरियाज़ में जमीन की भूख को हल कर दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैण्डलैस टीनेन्ट्स को एलॉट की हैं।

श्री श्रीभानसिंह : लैण्डलैस को एलॉट की है, उसका एक इन्स्टान्स ऐसा है कि जहाँ जागीर को आज एबोलिश किया है, तो एक व्यक्ति को १५ हजार बीघा खुदकाश्त की लैण्ड दी है, उसमें आपने कितनी (जमीन) लैण्डलैस टीनेन्ट्स को एलॉट की है उस एरिया के अन्दर ? उसमें कितने आदमियों की समस्या हल कर दी ? आज माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने उस एरिया में जागीर को हटा दिया, क्या उस एरिया के टीनेन्ट्स की प्रोबलम आपने सोल्व कर दी ? जब एक जगह पर १५ हजार एकड़ का एक आदमी रहता है तो उसकी प्रेस्टिज कितनी रहती है ? क्या आपने देखा है कि उस एरिया में लैण्ड हन्गर कितनी रहती है ? आज आपका मकसद है कि इन्टरमीडियरीज़ नहीं हो, तो क्या आपने उस एरिया के अन्दर इन्टरमीडियरीज़ को कायम नहीं किया ? जब १५ हजार एकड़ एक आदमी प्लो नहीं कर सकता, हार्वेस्ट नहीं कर सकता, सो नहीं कर सकता, तो किस से करायेगा वह ? जिस जगह लैण्ड हन्गर होगी तो वह लेबर को एम्प्लोय करके १५ हजार बीघा को काम में लायेगा। क्या यह सब टीनेन्सी नहीं हुई ? आपके वे टीनेन्ट्स नहीं हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय चैयरमैन महोदय, १५ हजार बीघा के लिए कल मैंने सदन में कहा था। जब यह सवाल आया, सरकार की तरफ से उक्त लैण्ड के लिए एक कमेटी अल्टीमेटली मुकर्रर करके लैण्डलैस टीनेन्ट्स को देने के लिए जागीर कमिश्नर के यहाँ कार्यवाही चल रही है। जुडीशियरी में वह मामला सबजुडिस है, उसके लिए यह कहना कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया, मेरे ख्याल से, ठीक नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : सरकार ने एक्शन तब लिया जब कि उनके ध्यान में यह बात लाई गई। और कितनी जागीरें होंगीं......

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरकार के कौन से ध्यान में आ गई थी ? मैंने सवाल किया था उसमें मिनिस्टर साहब ने कहा था कि १५ हजार नहीं है, उसमें १० हजार एकड़ का पहाड़ है; आप जबरदस्ती १०, ११ हजार बीघा बढ़ा रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात सही है कि काश्तकारों के साथ आपकी ज्यादतियां शुरू हुईं, तो ध्यान में आया।

श्री सभापति : But you did not convey your thanks to him

श्री श्रीभानसिंह : So this is the effect of Jagir Abolition and Tenancy legislation which both are

(श्री श्रीमानसिंह)

admitting on the floor of the House तो यह तो एक इन्स्टान्स है। लेकिन अभी राजस्थान के स्टेटिस्टिक्स कलैक्ट करें तो उस एरिया के अन्दर छोटे काश्तकारों के पास में ज्यादा जमीन है या एक जागीरदार के पास २०००, ४००० या ५,००० एकड़ से कम जमीन नहीं मिलेगी। उनके नीचे वह जमीन मिलेगी जो कि बेस्ट लैण्ड होगी। जब उस एरिया की बेस्ट लैण्ड एक व्यक्ति के पास रहती है तो वह कैसे कल्टीवेट करेगा ? कल्टीवेट करने के लिए वह टीनेन्ट, लेबर को एम्प्लॉय करेगा; तो फिर आपकी एग्रीकल्चर की प्रोब्लम क्या कम हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि कुछ सजेशन दिया जाय कि क्या तरीका अख्त्यार करें, सीलिंग के अलावा सीलिंग को ला रहे हैं, वही एक तरीका है। दूसरा तरीका जो आप सरकार से कराना चाहते हैं, वह बताइये।

श्री श्रीमानसिंह : मैं अंग्रेजी में बोला था, उसमें दिये गये सजेशन आपकी समझ में नहीं आये; इसलिए हिन्दी में बोलकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।

(हंसी)

आपका स्लोगन था पार्टी का, और अभी भी उस स्लोगन पर आप चलते हैं, "Land to the tiller." ; इस स्लोगन पर हम सब एग्रेरियन लेजिस्लेशन ला रहे हैं। क्या आपने कभी यह सोचा कि जागीर एबोलिशन एक्ट आपने बनाया और खुदकाश्त का प्रोविजन रखा और वही खुदकाश्त का प्रोविजन आप जमींदारी एबोलिशन में रख रहे हैं। "Land to the tiller" के लिये आपने पाँच-पांच हजार बीघा जमीन छोड़ दी, उस इन्टर-मीडियरी के लिए जिसको कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने फर्स्ट नेशनल प्लानिंग के अन्दर और आप लोगों ने, हम लोगों ने, अपने भाषणों में पैरासाइट कहा, फंक्शनलेस इन्टरमीडियरीज़ कहा, उसको एक फ्युडेलिज्म का स्तम्भ बताया, जिसको कि रिएक्शनरी एलीमेन्ट कहा, उसके लिए आप यह बताएं कि किस स्टेट में, किस प्रान्त में यह कहा जाता है, लॉ बनाये जाते हैं कि फन्क्शनलेस होते हुए भी, बड़ा पैरासाइट होते हुए भी, गांवों के अन्दर जिसको कि दूसरों पर निर्वाह करने वाला इन्टरमीडियरीज़ समझा जाता है, पहले काश्तकार है नहीं, पहले टिलर है नहीं फिर भी हम उसको सीलिंग के लिए उतनी जमीन देते हैं जो कि जागीर के अन्दर एक व्यक्ति को नहीं मिलेगी। टिलर का मतलब यह होना चाहिए कि जो जमीन पर काश्त करता हो, जो वर्क करता हो, जो प्लो करता हो, जो सो करता हो; यह कल्टीवेटर का मतलब है। जिस डेफीनिशन को आप लेकर चलें, उसके लिए कानून बनाने चलें, और उसका नतीजा यह हुआ कि उस कानून में हमने लूप होल्स रखे हैं, वैसे ही लूपहोल्स इस जमींदारी एबोलिशन के अन्दर हैं। उनका फायदा टिलर या कल्टीवेटर को नहीं पहुंचा है आज तक और उनको फायदा पहुंचेगा जिनको कि हम रूरल क्लास से हटाना चाहते हैं। इसलिए मैंने सजेशन यह दिया था कि जमींदारी एबोलिशन में जो खुदकाश्त की क्लॉज़ रखी है उस खुदकाश्त की क्लॉज़ को ऐसे बाइन्ड कर दें, ऐसे ड्राफ्ट कर दें, जिससे कि एक आदमी को, जिसको कि हम जमींदार से कल्टीवेटर में टर्न भी करना चाहते

(श्री श्रीभानसिंह)

हैं और यदि हम चाहते हैं कि जमीन की जो ओनरशिप है उसको हम एक वर्किंग सीलिंग से कोइन्साइड करें, एक आदमी या एक फेमिली, जिसके ऊपर आप सीलिंग लागू करना चाहते हैं, वह लागू जब हो तब देखा जायगा, लेकिन जो जमींदारी एबोलिशन बिल है उसमें ऐसे डिफाइन करें कि एक आदमी खुदकाश्त में उतनी ही ज़मीन ले सकता है जितना कि वह कल्टीवेट कर सके। खुदकाश्त की क्लॉज़ ऐसी नहीं रखें जिससे कि कल्टीवेट वह कर सके १०–१५ बीघा और जमीन ले ले १५० या २०० बीघा। तो उससे कोई समस्या हल नहीं हो सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्लॉज़ ११ को मुलाहिजा फरमावें।

श्री श्रीभानसिंह : चेयरमैन महोदय, अभी तक तो मैं इन्टरपशन को टोलरेट करता रहा, but now it is becoming too frequent.

श्री दामोदरलाल व्यास : But I have a right to point out the relevant clause.

श्री श्रीभानसिंह : I have read the Bill and I know the Bill. I have read it.

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री श्रीभानसिंह : चेयरमैन महोदय, मैं यह बता रहा था कि वह जो अपना मकसद था और जो "land to the tiller" का स्लोगन था उसको हल नहीं कर सके और न इन्टरमीजियरीज़ को रिमूव कर सके। मैं नहीं कह सकता कि जमींदारी एबोलिशन कमेटी में कौन कौन मेम्बर थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा एक्ट है, इसके बारे में मेरी खुद की ओपिनियन ही नहीं है, बल्कि बम्बई सरकार के रेवेन्यु सेक्रेटरी थे, उनकी भी ओपिनियन है कि इससे ज्यादा अच्छा एक्ट कोई ड्राफ्ट नहीं कर सकता। यह बहुत प्रगतिशील लेजिस्लेशन है। यह कोई मेरी ओपिनियन नहीं है, बल्कि श्री जी० डी० पटेल, जिन्होंने एक बुक लिखी है "लैन्ड रिफॉर्म्स इन इण्डिया" की ओपिनियन है। जिसको आप प्रगतिशील एक्ट कहते हैं उसका यह हाल है! टिनेन्सी एक्ट के लिये जो एट्थ कान्फ्रेन्स हुई थी, उसके अन्दर जो राय व्यक्त की गई थी, वह "इण्डियन जरनल ऑफ एग्रीकल्चर" के अन्दर टिनेन्सी लॉ के बारे में ओपिनियन छपी है, उसे पढ़ लीजिये। जिन्होंने आपके एक्ट को देखा है या पढ़ा है उनकी क्या ओपिनियन है यह देख लीजिये। इस प्रगतिशील लॉ के अन्दर दो–तीन साल में नाइन्थ या टेन्थ अमेन्डमेन्ट आया है। इस प्रगतिशील एक्ट को आपने सोच–विचार कर पास किया था, उसमें १० अमेन्डमेन्ट्स आ चुके हैं और पता नहीं, अभी आगे और कितने आयेंगे?

खुदकाश्त का जो प्राविजन रखा, उसमें जागीरदारों के लिये पर्सनल सुपर्विज़न का प्रोविजन कर दिया। एक आदमी जो जयपुर में बैठा हुआ सुपरवाइज़ कर लेगा वह भी टीनेन्ट है और एक आदमी जो सुबह से शाम तक खेतों पर मेहनत करता है वह भी टीनेन्ट है? ये दोनों एक दूसरे के कॉंटाडिक्टरी हैं या नहीं? इसका कोई सोल्युशन आपके पास नहीं है और कोई डेफिनेशन नहीं है और फिर कहते हैं कि आप बता दीजिये। आप काश्मीर का टिनेन्सी एक्ट देखिये, उसमें डेफिनिशन मौजूद है। हैदराबाद का टिनेन्सी एक्ट देखिये,

(श्री श्रीभानसिंह)

उसमें भी मौजूद है, लेकिन इन एक्ट्स को देखेंगे नहीं क्योंकि यदि हैदराबाद के एक्ट को देखते हैं और उसके अनुसार जमींदारी एबोलिशन एक्ट ड्राफ्ट करते हैं तो जो सहूलियतें आप जमींदारों को देते हैं वे नहीं दे सकेंगे। जागीरदारी और जमींदारी के बारे में आपने फेक्ट्स और फिगर्स कहां से कलेक्ट किये हैं, पटवारियों के रिकार्ड्स से ही तो कलेक्ट किये हैं, अगर जमींदारियों का सर्वे नहीं हुआ होगा तो पटवारियों के रेकॉर्डस ही तो आपके पास आयेंगे। नतीजा यह होगा कि एक आदमी के पास ५ हजार बीघा खुदकाश्त की जमीन है तो वह वहां पर २५०० बीघा ही लिखी हुई मिलेगी। इसी आधार पर आप लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं। जो स्टेटिसटिक्स कलेक्ट करने का आपके पास बेसिस है, वह भी गलत है। हैदराबाद के एक्ट को देखते और उसके आधार पर अपने यहां लेजिस्लेशन बनाते तो टिनेन्सी एक्ट से जिनको आप बेनिफिट देना चाहते हैं, उनको बेनिफिट नहीं होता........

(श्री राजस्व मन्त्री के विधान सभा सचिव से बात करने पर श्री श्रीभानसिंह द्वारा बैठ जाने पर)

श्री नाथूराम मिर्धा : ये बैठ गये, साहब।

श्री श्रीभानसिंह : I feel disturbed, and there are certain rules that between speaker and the Chair nobody should pass. Therefore, I sat down.

मन्त्रीजी ने कहा कि कम्पेन्सेशन का कॉन्स्टीट्युशन में प्रोविजन है, इसलिये कंपेन्सेशन मिलना चाहिये। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टीट्युशन में प्रोविजन है प्रोपर्टी के लिये, कम्पेन्सेशन देने का। यह भी एक्स्पर्ट्स की ओपिनियन है। जो लेक्चर देहली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में दिया था उसमें कहा था, उसमें भी वही निकला कि प्रोपर्टी के पूरे राइट्स हैं, लेकिन राइट्स कैसे एक्वायर होते हैं इसकी हिस्ट्री आप ट्रेस करें। ब्रिटिशर्स ने अपने शासनकाल में जमींदार इसलिये क्रिएट किये थे कि उनकी मार्फत लैंड रेवेन्यू आसानी से वसूल कर सकें लेकिन उनको जमीन पर राइट नहीं था। जिस तरह से प्रोपर्टी पर राइट होता है उस तरह से राइट नहीं था सबोर्डिनेट राइट था। उनकी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी यह थी कि स्टेट को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके दें और यदि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके नहीं देते, तो स्टेट को राइट था कि उनको लैंड से डिसपजेस कर दे। जब इस प्रकार के राइट्स स्टेट को होते हैं तो जमींदारों को एक्सक्ल्युजिव राइट नहीं हैं और यदि एक्सक्ल्युजिव राइट नहीं हैं तो वह प्राइवेट प्रोपर्टी क्लेम नहीं कर सकता। तो फिर किस बात के लिए आप उनको कम्पेन्सेशन देते हैं? कॉन्स्टीट्युशन के अनुसार क्लेम का प्रोविजन उस पर लागू होता है जो प्राइवेट क्लेम करे। यदि कॉन्स्टीट्युशन का आर्टिकल जमींदारी पर लागू नहीं होता है तो फिर आप इसे यहां क्यों रखते हैं? यदि कॉन्स्टीट्युशन के अनुसार क्लेम रहता है तो हाई कोर्ट अपने आप क्लेम एस्टेब्लिश कर देगा। हाई कोर्ट से जुडिशियल ओपिनियन ले लेते कि जमींदारी प्राइवेट प्रोपर्टी में आती है या नहीं? अभी हम कंजैक्चर पर चलते हैं। इस कम्पेन्सेशन का बर्डन किस पर पड़ेगा उसको असेस नहीं किया। ये कौन करेगा? ये आपके टीनेन्ट्स करेंगे। इन सब बातों को देखते हुए मैंने यह कहा था कि कम्पेन्सेशन आदि के क्वेश्चन्स को सिलेक्ट कमेटी डिसाइड कर सकती है, खुदकाश्त की बात को सिलेक्ट कमेटी डिसाइड कर सकती है, वह कम्पेन्सेशन की बात को वह डिसाइड कर

(श्री श्रीभानसिंह)

सकती है । यह जो बिल जल्दी जल्दी में आया है इसमें काफी लूप होल्स हैं, एस्केप क्लॉजेज़ हैं उनको सिलेक्ट कमेटी इम्प्रूव करके देती जिसके कारण इम्पलीमेन्टेशन में रुकावट नहीं होती और हमारा मकसद फुलफिल होता। लेकिन यह सजेशन मन्त्रीजी को प्रगतिशील नहीं लगा। उनको प्रगतिशील क्या लगा? उनको प्रगतिशील लगा जमींदारी और जागीदारी एबोलिशन का हैडिंग। हैडिंग प्रगतिशील है लेकिन उसके कंटेन्ट्स और रिज़ल्ट्स को मत देखें। कंटेन्ट्स और रिजल्ट्स देखने में प्रगतिशील नहीं हैं, लेकिन हैडिंग प्रगतिशील है, इसलिये बिल भी प्रगतिशील है! लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि इसके पास होने के बाद भी इस एरिया में जमींदारी रहेगी या नहीं, टीनेन्टस को उससे लाभ होगा या नहीं?

आप समाजवाद का ढांचा लाना चाहते हैं और जो रूरल एरिया में बीच का ऑर्गेनाइज़ेशन है उसको बदलना चाहते हैं तभी तो जमींदारी एबोलिशन कर रहे हैं और टीनेन्सी लॉ लागू कर रहे हैं। यदि यह बदस्तूर रहा तो आप प्रोपर्टी के मालिक काश्तकारों और लेबरर्स को बना सकेंगे और जो जमींदार अभी मालिक बन रहे हैं वे जमींदारी एबोलिशन के बाद भी मालिक बने रहे तो फिर आपने क्या प्रगति की और क्या प्रगतिशील कदम उठाया? हम मासेज़ के उत्थान के लिये कोई कदम उठाना चाहते हैं, उसमें कोई लेकुना या लूपहोल्स रह गये हैं तो उसको कौन देखेगा? यह काम क्वाइट एटमोस्फियर में सिलेक्ट कमेटी में देखा जा सकता है। अगर लूप होल्स और लेकुना रहने दिया गया तो सबसे ज्यादा आमदनी खुदकाश्त की मिलेगी और दूसरा नम्बर रहेगा काश्तकारों का और लैंडलेस लेबरर्स, वेज अर्नर्स तीसरे नम्बर पर आयेंगे। यदि आप बिस्वेदारी एबोलिश करके, जमींदारी और जागीरदारी एबोलिश करके और टीनेन्सी एक्ट पास करके भी यह स्ट्रक्चर चेन्ज नहीं कर सके तो फिर इन कानूनों से हमारा मकसद हल नहीं होता और यदि आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। धीरे धीरे एग्रेरियन पॉलिसी पर चलने से काम नहीं चलेगा। अगर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट इसमें दखल देने का काम करेंगे तो उनको सेट राइट करना पड़ेगा। आप ऐसा न करके राजस्थान में सौ, डेढ़ सौ बड़े जमींदार जागीरदार हैं, उनको एकॉमोडेट करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों टीनेन्ट्स हैं उनको भी अकॉमोडेट करना चाहते हैं, तो यह नहीं हो सकेगा। अब तक जो पॉलिसी रही है उसी पर यदि चलना चाहते हैं और दोनों को अकॉमोडेट करना चाहते हैं तो दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करा सकते हैं? कौन सा आपका फॉर्मुला है, और जो आप लाये हैं, जो फॉमुला आपने अपनाया था जागीर एबोलिशन में कि दोनों के इन्ट्रेस्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ करवा कर दोनों को एक साथ लाये और जिससे दोनों प्रगति करें और जो रूरल एरिया में हैं उनको लेकर ऊपर चढ़ा दिया जाय, नतीजा यह हुआ कि उनमें कॉम्पोमाइज़ नहीं करा पाये और झगड़ा होता रहा। उस झगड़े में किसका फायदा हुआ, किसके फायदे में झगड़ा डिसाइड हुआ? उस आदमी के फायदे में डिसाइड हुआ, जिसके पास में पैसा था, जिसके पास में जमीन होने की वजह से इज्जत थी, उसको ही कानून ने सपोर्ट किया। आपने टिनेन्सी के लेजिस्लेशन

(श्री श्रीमानसिंह)

के द्वारा, जागीरदारी एबोलिशन के लेजिस्लेशन के द्वारा उनके राइट्स को एसर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फाइनेन्शियल वीकनेस की वजह से, लेंड की वजह से वे वीक होते रहे, वे जीत नहीं सके। तो फिर उन पर कॉम्प्रोमाइज फॉर्मुला एप्लाई किया गया, लेकिन उसे भी सक्सेजफुल नहीं कर सके। अब एक फॉर्मुला बना है, वह यह है कि जो १०, १००० जागीदार-जमीदार हैं, उनको एलीमिनेट करना है, लेकिन रूरल से एलीमिनेट करने के लिए सोचना है कि कौन सा सबसे अच्छा कानून हो सकता है, कौन सा अच्छा ड्राफ्ट हो सकता है, कौनसा प्रोवीजन हो सकता है, जिनसे हम बिल्कुल एलिमिनेट कर दे ; फिज़िकल एलीमिनेशन नहीं, लेकिन रूरल सीन से उनको लेकर जो अरबन...

श्री मदनसिंह : (अश्रव्य)

श्री श्रीमानसिंह (जारी) : उनको वहां रखा, लेकिन उनके लिए आज तक ऑक्युपेशन नहीं है, उनके पास प्रोफेशन नही है, जिसमें वहां से उन्हें हटा कर दूसरे प्रोफेशन में रखें, कोई प्रोफेशन उनको दें। यह नहीं कह सके क्योंकि हमारा कॉम्प्रोमाइज़िंग एटीट्यूड है। मेरा, इसलिए, निवेदन था कि सिलेक्ट कमेटी उसे देख कर कोई बोल्ड एटीट्यूड लेती। सब रिज़ल्ट्स को देख कर जिनमें सक्सेस नहीं हुए; अब आप जमींदार एबोलिशन कानून को रेडीकल और रिवोल्युशनरी बना कर थोडे एरिया में, उस एरिया में लागू करेंगे, जो फर्टीलाइज एरिया हैं, और आप चाहते हैं कि उससे बेनीफिट मिले। लेकिन फर्टीलाइज़ एरिया, जो बेनीफिट मिलने वाला है, उसका आधार यह कॉम्प्रोमाइज फार्मुला नहीं है, यह फर्टीलाइज़ एरिया में चेंज नहीं करने का। इसलिए मैंने एक कन्स्ट्रक्टिव सजेशन रखा था। माननीय मंत्रीजी ने पहले प्रस्ताव रखा था, उसका यहां बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इसे सिलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय और इस पर हाउस में विचार करना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपनी ओपिनियन बदल दी। लेकिन मैं अब भी निश्चित ओपिनियन का हूँ कि जो इसके अन्दर प्रोविजन्स हैं, बिल के अन्दर प्रोविज़न्स हैं वे इस तरह के प्रोविजन्स हैं, जिनसे बेनीफिट उस आदमी को मिलने जा रहा है, जिस आदमी को आप एबोलिश कर रहे हैं; मैं चाहता हूँ कि बेनीफिट उस आदमी को न मिले, जिसको आप एबोलिश करना चाहते हैं, किन्तु उनको मिले, जैसा हमारा स्लोगन है, "Land to the tiller", इसलिए हम चाहते हैं कि इस कानून में स्ट्रौंग, रेडीकल चेंजेज़ हों, ऐसे क्लॉजेज हों, जिनसे हम कह सकते हैं कि वाकई यह प्रगतिशील कानून है। अगर वह नहीं करना चाहते हैं कि यह सिलेक्ट में जाय, और हाउस में पास करना चाहते हैं, क्लॉज़ बाइ क्लॉज, तो मैं नहीं समझता कि १७६ एम. एल. एज़. के हाउस में इस तरह डेलीबरेट चेंज कर सकते हैं, जिनको सिलेक्ट कमेटी में कर सकते हैं। इस ओपीनियन से मैंने वह प्रस्ताव रखा है। अगर माननीय मंत्रीजी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो I beg leave of the House to withdraw my motion for reference to the Select Committee.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री श्रीमानसिंहजी ने राजस्थान जमींदारी एन्ड बिस्वेदारी एबोलिशन बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my motion.

श्री पी० के० चौधरी : Mr. Chairman, Sir, consideration of this Bill may be postponed for tomorrow so that all of us may come prepared for it

२. १५ म. प.

राजस्थानवन (संशोधन) विधेयक, १६५८
(विचारार्थ)

श्री सभापति : मैं माननीय सदयों को सूचित करना चाहूँगा कि राजस्थान फोरेस्ट अमेंडमेंट, बिल के बारे में आपत्ति उठाई थी कि यह बिल मनीबिल है ; इसके बारे में माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति और निर्णय आना चाहिए । माननीय राज्यपाल महोदय ने इस आपत्ति के विषय में निम्न निर्णय दिया है :

"The Bill is not a Money Bill within the meaning of Art. 199 of the Constitution and therefore the recommendation of the Governor is not necessary."

श्री पी० के० चौधरी : It has been addressed to whom.

श्री सभापति : This is not addressed to any body The recommendation, in original, of the Governor is here. Now the Bill is to be considered

श्री नाथूराम मिर्धा (वन मंत्री) : विचारार्थ लेने का मोशन रखा हुआ है ।

श्री सभापति : The motion is already there for consideration.

श्री श्री भानसिंह : एजेन्डा में नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज के अजेन्डा में आया है, उसमें है ।

श्री सभापति : There is a proposal for its recommittal to the Select Committee.

२. १७ म. प.

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी (उत्सादन) विधेयक, १६५८

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : What about it ?

श्री सभापति : This will be taken lateron.

श्री दामोदरलाल व्यास : My motion may be put to Vote-

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी एबोलिशन बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

बिल को विचारार्थ लिया गया ।

श्री श्रीभानसिंह : Can amendments be moved ?

श्री सभापति : It will be very convenient for the members to move amendments....

श्री श्रीभानसिंह : It may be taken on Monday.

श्री सभापति : I dont propose it to be taken today,

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : It may-be taken if convenient ....

Page No.60

श्री श्रीमानसिंह : I think the Chair has already given its Ruling.

श्री सभापति : I am very much accommodating for the members about this.,.

राजस्थान वन संशोधन, विधेयक, १९५८

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी०के० चौधरी : सभापति महोदय, I have moved, That Rajasthan Forest Amendment Bill be recommitted to the same or other Select Committee"

सभापति महोदय, यह बिल जब पिछले सेशन में इस सदन के सामने पेश किया गया था, तब खास करके जो सदन की राय थी, वह यह थी कि ओरिजिनल बिल में जो कम्पाउन्ड करने का क्लॉज ६८, २६ और ३३ में अमेंडमेंट था; इनमें जो पेनल्टी का अमाउन्ट है, उसको ५०० से बढ़ा कर दो हजार रुपया किया था। इसके ऊपर खास तौर से सदन में भय प्रकट किया गया था कि पेनल्टी को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। क्लॉज ६८ को, जो प्रिन्सिपल एक्ट में है, नये क्लॉज से सब्स्टीट्यूट करने के लिए आया था, उस सम्बन्ध में भी सदन के सब सदस्यों की राय यह थी कि जो दो हजार रुपये तक कम्पाउन्ड करने का अधिकार दिया जा रहा है वह ठीक नहीं है। उसके खिलाफ सदन की राय थी। इस वजह से इस पर काफी गरमागरम बहस हुई थी और इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया था री-कन्सीडर करने के लिए। अब सिलेक्ट कमेटी के पास से यह बिल वापिस आया है तो सिलेक्ट कमेटी ने कम्पाउन्ड करने के सम्बन्ध में दो चीजें तो चेंज कर दी हैं, जहां तक फाइन करने का दो हजार रुपये का प्रोविजन था, उसको डिलीट कर दिया है। लेकिन ६८ सेक्शन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठाया था कि एक मामूली ऑफिसर को, जिसकी तनख्वाह १०० या २०० रुपये होगी, दो हजार रुपये तक कम्पाउडिंग करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा अधिकार देने से उसका दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है और उससे स्टेट ट्रेज़री को तो फायदा नहीं पहुँचेगा लेकिन करप्शन वगैरह काफी चलेगा और इस सम्बन्ध में सब सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की थी। आज जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी से वापिस आया है तो उसमें यह तो ठीक किया है, जो नये क्लॉज़ को जोड़ने का ऑब्जेक्शन था, दो हजार तक कम्पाउन्ड करने की पावर देने का प्रश्न था, उस क्लॉज को तो डिलीट कर दिया लेकिन थोड़ा क्लेवरली एक अमेंडमेंट आया है, सेक्शन ६८ के सब-सेक्शन (२) में; जो ६८ सेक्शन प्रिन्सिपल एक्ट का है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि सब-क्लॉज़ तीन में जो अमेंडमेंट आया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाय, तो जैसे प्रिन्सिपल एक्ट में कम्पाउन्ड करने का अधिकार ५० रुपये तक का दिया था, इससे ज्यादा कम्पाउन्ड करने की ऑथो-रिटी प्रिंसीपल एक्ट में नहीं। २००० रुपये तक के कम्पाउन्ड करने की ऑथोरिटी नये बिल में देना चाहते हैं। पिछली बार सदन के माननीय सदस्यों ने यह भावना जाहिर की थी कि एक मामूली क्लर्क को इतने रुपये का कम्पाउन्ड करने का अधिकार देना उचित नहीं होगा, ऐसा अधिकार देने से करप्शन फैलेगा और इसका मिस्यूज़ होगा। तो मेरे

(श्री पी० के० चौधरी)

ख्याल से सिलेक्ट कमेटी की जो सिफारिश इस बारे में आनी चाहिये थी, वह सदन के माननीय सदस्यों की उस राय को ध्यान में रखते हुए आनी चाहिये थी। पर आज तो प्रिंसिपल एक्ट के सब-क्लॉज़ ३ का अमेन्डमेन्ट किया है उसके अनुसार इससे भी ज्यादा रुपयों का कम्पाउन्ड कर सकता है। जो प्रिंसिपल एक्ट में है यह मैं सदन के सामने पढ़ कर सुनाता हूँ, इससे ६८ में नया अमेंडमेंट आया है उसको सोच सकेंगे। सेक्शन ६८ प्रिंसिपल एक्ट में, यह है :

"Power to compcund offences-

(1) The Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, empower a Forest Officer –

(a) to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any forest offence, other than an offence specified in Section 62, or Section 63, a sum of money by way of compensation for the offence which such person is suspected to have committed and

(b) when any property has been seized as liable to confiscation, to release the same on payment of the value thereof as estimated by such officer.

(2) On the payment of such sum of money or such value or both, as the case may be, to such officer, the suspected person, if costody shall be discharged, the property, if any seized shall be released, and no further proceedings shall be taken against such person or property."

So in the amended clause 68 all this remains. Then comes clause 3 which reads as follows:—

"A Forest Officer shall not be empowered under this Section unless he is a Forest Officer of a rank not inferior to that of a Ranger and is in receipt of a monthly salary amounting to at least one hundred rupees and the sum of money accepted as compensation under clause (a) of sub section (1) shall in no case exceed the sum of fifty rupees."

अब यहाँ पर जो अमेन्डमेन्ट आया है वह इस क्लॉज़ को उड़ा देने को आया है, ५० रुपये का जो था, पिछली दफा ओरीज़िनल-क्लॉज़ में प्रोपोज़ किया था।

"The Chief Conservator of Forests or any other Forest Officer specially empowered by the State Government in that behalf may accept from any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act a sum of money not exceeding two thousand rupees by way of composition for such offence as may have been committed, and in all cases what-soever in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act..."

इस सदन में यह जो २००० रु० तक का अधिकार दिया जाने का प्रोविज़न था, उसका खास विरोध किया गया था कि मामूली तनख्वाह पाने वाले ऑफीसर को इतनी पॉवर दी जाय तो इसका मिस्यूज होने की गहरी पोसिबिलिटी है, और फिर उसमें ऑफिसर के डिस्क्रिशन की छूट देना, उसके

Page No.62

(श्री पी० के० चौधरी)

डिस्क्रिशन पर रखना dealing with such huge amount या इस तरह का कम्पेन्सेशन लेने का अधिकार दे देना ठीक नहीं होगा। That will deteriorate the whole official machinery. इसमें करप्शन की गुंजाइश रहेगी। ऐसी राय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने दी थी। प्रिन्सिपल एक्ट के सब-सेक्शन ३ में रखा है कि ५० रुपये से ज्यादा का कम्पेन्सेशन नहीं ले सकता, पर उसमें अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं :

"In Sub section (3) of section 68 of the principal Act, the words 'and the sum of money accepted as compensation under clause (a) of sub-section (1) shall in no case exceed the sum of fifty rupees'..."

Sum of Rs. 50/- ओमिट कर देते हैं, तो क्लॉज़ १ यों रहता है :

"A Forest Officer shall not be empowered under this Section unless he is a Forest Officer of a rank not inferior to that of a Ranger and is in receipt of a monthly salary amounting to at least one hundred rupees."

तो इसको ओमिट कर देने से पहले जो बिल लाया गया था उसमें २००० रु० लेने का रखा था; अब इससे तो ५,००० रुपये तक ले सकेगा। सिलेक्ट कमेटी जिस चीज पर सिफारिश करती है, तो सदन में जो राय प्रकट की जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए सिफारिश देनी चाहिये। पिछले सेशन में हमने इस बात पर राय प्रकट की थी कि इतना रुपया डील करने का राइट उसे नहीं देना चाहिये। अतः इस पर फिर से विचार होना चाहिए, इसीलिये मैंने प्रस्ताव किया है कि इसे रीकमिट किया जाय सिलेक्ट कमेटी के पास।

श्री सभापति : मैं ऐसा मानता हूं, रूल २१४ सब-क्लॉज़ (३) के अनुसार इस बिल पर सब कमेटी ने रिपोर्ट पेश की, उसके बाद ऐसी कोई नई स्थिति पैदा नहीं हुई है और कोई संशोधन भी नहीं है, So the motion of the Honourable member for recommitting this Forest Bill is more or less in the from of a dilatory motion. So I put it to vote.

श्री पी० के० चौधरी : This is contrary to the rules.

श्री सभापति : I have given my observations.

श्री पी० के० चौधरी : The point is that you allowed the motion.

श्री सभापति : Do you want to withdraw it ar what?

श्री पी० के० चौधरी : I wanted to hear the reply of the Hon'ble Minister.

श्री सभापति : No. Reply is not necessary.

श्री पी० के० चौधरी : I would like to hear the Hon'ble Minister first.

श्री सभापति : That is not necessary. I mean there is no question of saying so when I have said that this is in the form of a dilatory motion. This is my observation. So please let we know whether the Hon. member wants to withdraw it?

श्री पी० के० चौधरी : You can rule it out.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने राजस्थान फोरेस्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल को प्रवर समिति में पुन: रखने के लिये प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २ व ३.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ और ३ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खंड २ व ३ विधेयक के अंग बने।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेयरमैन, मैं क्लॉज़ ४ पर संशोधन पेश करता हूं। संशोधन क्लॉज़ ४ पर मैंने बाद में पेश किया है। इसमें केवल भाषा का ही सुधार है : "For clause 4 substitute the following :—

4. Amendment of section 52,

Rajasthan Act XIII of 1853 :

In sub section (2) of section 52 of the Rajasthan Forest Act, 1953 (Rajasthan Act XIII of, 1953), hereinafter referred to as the principal Act, after the words 'has been made' the words or to his official superior, whoever may be nearer' shall be inserted."

यह मेरा छोटा सा संशोधन है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने क्लॉज़ ४ में रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ४ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ५ से ७.

(विराम)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ५, ६ और ७ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड ५, ६ और ७ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ेज १, प्रिएम्बल आदि स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

Page No.64

(श्री सभापति)

खण्ड १, शीर्षक आदि विधेयक के अंग बने ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फोरेस्ट, (संशोधन) विधेयक, १६५८ को पारित किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस बिल को पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १६५८ पारित किया गया ।

२. ३३ म० प०

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (अष्टम संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री सभापति : राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (८वां संशोधन) बिल......

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : On a point of order, Sir.

श्री श्रीमानसिंह : Probably the Hon'ble member has not followed. There is another Bill, Rajasthan Land Reforms & Resumption Of Jagirs (Eighth Amendment) Bill, 1958.

श्री दामोदरलाल व्यास : What about this Bill, Sir.

श्री सभापति : This will come. This will be taken tomorrow. But tomorrow does not mean 31st.

श्री दामोदर लाल व्यास : That is on the agenda. It is a different matter if you want to postpone it.

श्री श्रीमानसिंह : On a point of order, Sir, The Hon'ble Chair has asked the Hon'ble member to call the Bill.

श्री सभापति : This is his submission.

श्री श्रीमानसिंह : Is it not contrary to the observations of the Chair ?

श्री सभापति : The Chair has already given its ruling.

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन आफ जागीर्स (अष्टम संशोधन) विधेयक, १६५८, को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री सभापति : Shri Tan Singh to move that the Bill be circulated for eliciting public opinion.

श्री तनसिंह(बाडमेर) : I don't want to move that amendment, but I want to discuss the Bill on its principles.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन , आफ

Page No.65

(श्री सभापति)

जागीर्स (अष्टम संशोधन) विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्प्शन आफ जागीर्स (अष्टम संशोधन) विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

श्री तनसिंह (बाडमेर): मैंने इसके लिए ही अर्ज किया था कि मैं अपना एमेण्डमेंट मूव नहीं करना चाहता लेकिन इसके प्रिंसिपल्स पर बोलना चहता हूँ ।

(विराम)

Have I parmission to speak. Sir?

(विराम)

मैंने आपको पहले ही अर्ज किया था कि मैं अपना एमेन्डमेंट मूव नहीं करना चाहता लेकिन सिद्धान्तों पर बोलना चाहता हूँ ।

श्री सभापति : आप उस समय खड़े नही हुए थे ।

श्री तनसिंह : मैं तो खड़ा ही था और मैंने कहा था कि मैं अपना एमेन्डमेंट मूव नही करना चाहता लेकिन इस बिल के सिद्धान्तों पर बोल रहा हूँ ।

(अन्य माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री सभापति : One Hon'ble member at a time please.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Chairman Sir, the Hon'ble member said that he does not want to speak on amendment, but on the principles of the Bill.

श्री सभापति : Yes, I am allowing him.

श्री दामोदरलाल व्यास : Can there be a debate on the Bill ? So only one member can be allowed..

श्री श्रीभानसिंह : One man should be allowed when the motion has been passed.

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, मैं तो मोशन पेश हुआ उससे पहले ही खड़ा हुआ था और अपने कागजात देख रहा था कि जल्दी में ही आपने मौका देख कर मोशन मूव कर दिया । मैं तो खड़ा ही था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह निवेदन करूंगा कि अपने यहां रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस बने हुए हैं और हमें उनकी तहत में काम करना है । जब एक दफा मोशन केरीड हो गया तो वापिस क्यों जावे इसके लिये this should not be so. They will form a precedent for this. दूसरे बिल भी हमारे सामने आवेंगे और उन पर भी दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे । They will claim the same privilege. इसलिये हमें इस तरह के कन्वेन्शन फ्रेम करने चाहिये जिससे कामरूल्स ऑफ प्रोसीजर की तहत में अच्छी तरह चलता रहे । जब मोशन मूव किया जा चुका है और वह पास हो गया है तब उसके बाद यदि ऐसा किया जाता है तो यह ठीक नहीं होगा । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिये ।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय

(श्री पी० के० चौधरी)

मन्त्री महोदय को रूल्स ऑफ प्रोसीजर का फायदा उठाने का........

श्री सभापति : Yes, you can speak.

श्री पी० के० चौधरी : A member should not be taken unaware. He should be allowed to speak on the principles of the Bill. The Hon. Minister has passed a motion, that does not mean that the member shou'd not be allowed to speak.

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्व मन्त्री महोदय ने यह कहा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार यह उचित नहीं होगा, मगर रूल्स ऑफ बिजनेस किसी को रोकने के लिये नहीं है, बल्कि वे तो हाउस के बिजनेस को फेसिलिटेट करने के लिये बने हैं। जब माननीय सदस्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं मोशन पर नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन इस बिल के प्रिंसीपल्ज पर बोलना चाहता हूँ, इतने में वह अपने पेपर्स देखने लग गये, उन्होंने अपनी सीट रिज्यूम नहीं की थी। यदि वे अपनी सीट रिज्यूम कर लेते और यह मोशन पास होता तो माना जाता मगर the Hon'ble Revenue Minister was quick enough to take thn member unawre तो ऐसी हालत में रूल्स ऑफ प्रोसीजर की तहत ऐसा कहना कहां तक उचित है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर बिजनेस को फेसिलिटेट करने के लिये हैं। जब ऐसा है तो everybody has got ai right of dscussion. रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आप रिजिडली एप्लाई न करें। जो बिजनेस की प्रेक्टिस है उसको करें। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय चेयरमैन ने अपनी रूलिंग इस संम्बन्ध में दे दी है कि वे इस पर बोल सकते हैं और उसे सबको मानना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे रूलिंग पर कोई एतराज नहीं। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में कोई रूलिंग हुई है।

श्री सभापति : इस पर्टिक्युलर केस में मैं सदन की सेन्स को जानना चाहता हूँ कि क्या सदन की अनुमति है कि इस पर्टिक्युलर केस में रूल्स को रिलेक्स कर दिया जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ; परिणामस्वरूप रूल को रिलेक्स किया जाता है। आपको बोलने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, जो बिल सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है यह उस कानून में संशोधन करने के लिये पेश किया गया है जिस कानून के जरिये जागीरें समाप्त की गई थीं। इस कानून में यह आठवां संशोधन है, इसके बाद ९ वां संशोधन भी आने वाला है। इस संशोधन के द्वारा माननीय मन्त्री महोदय यह चाहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार से भी धोखा देकर, गलत रिकार्ड बताकर अपने नाम से खुदकाश्त के लिये भूमि अलॉट करा ली है उसके लिये सरकार को अधिकार होगा कि इस प्रकार के केस में इन्क्वायरी कराये और उसके बाद अगर यह पाया जाय कि वास्तव में धोखा देकर या गलत प्रकार से रिप्रेजेन्टेशन कर अपने नाम जमीनें करवा ली हैं, ऐसी हालत में वह जमीन उनके नाम से केन्सिल कर सकते हैं। गलत रिप्रजेन्टेशन करके या फ्रॉड करके जमीन ही नहीं और कोई भी काम करता है, वह हमारे

(श्री तनसिंह)

सभी कानूनों के मुताबिक सजा पाने का हकदार होता है। मैं समझ नहीं पाता कि इस प्रकार का प्रावधान केवल उन लोगों के लिये किया जाय जिन्होंने केवल खुदकाश्त के नाम से अपने नाम जमीन अलॉट करवाई है। किसी ने गलत बात बताकर खुदकाश्त की जमीन अलॉट करवा ली है उसको सजा मिलनी चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं इस बात से गंभीर मतभेद प्रगट करता हूं कि अगर किसी काश्तकार ने धोखा देकर जमीन अलॉट करवा ली, मिस रिप्रज़ेन्टेशन कर अपने नाम जमीन अलॉट करवा ली है, तो काश्तकारों को बेदखल करने का अधिकार क्यों न दिया जाय, केवल जागीरदारों को और भूतपूर्व जागीरदारों को, जिन्होंने अपने नाम से भूमि अलॉट करवा ली है, मिसरिप्रेन्ज़ेटेशन करके; उन्हीं से भूमि क्यों छीनी जाय? मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार का कानून जब सदन में आया था हमने एतराज उठाया था, जिस पर मुझे अच्छी तरह से याद है माननीय मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि हम उन लोगों के लिये भी इस प्रकार का कानून लायेंगे, जो जमीन खुदकाश्त करते हैं और जिनको खातेदारी राइट्स मिले हुए हैं। मैं समझता हूँ कि यह इनस्टान्स उससे मिलता जुलता हैं। अपने नाम से किसी प्रकार जमीन जागीरदार धोखा देकर अलॉट करवा लेता है, तो केवल धोखा देने पर केवल जागीरदार को ही पनिशमेन्ट क्यों दिया जाय? काश्तकार ने भी यदि धोखा देकर जमीन अलॉट करवा ली है, उसको भी पनिशेबल क्यों न माना जाय? इसके लिये जनरल कानून होना चाहिये। इसी सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय चेयरमैन महोदय, यह जो बिल आज सदन के सामने आया है वह यह बतलाता है कि जिनको जमीन अलॉट कर दी है उसमें यदि किसी ने मिस-रिप्रज़ेन्टेशन करवा कर या फ्रॉड से अपने नाम जमीन अलॉट करवा ली है. जागीर रिजम्प्शन एक्ट के तहत उनसे वापिस लेने के लिये प्रावधान किया गया है। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि 'जागीरदार' जो शब्द है वह काम में क्यों लाया गया, जब कि जागीरें समाप्त हो चुकीं? वैसी हालत में जागीरदार भी एक काश्तकार के समान है और खुद काश्त करता है, फिर यहां केवल जागीरदार के लिये यह क्यों रखा जाता है। जब जागीरें समाप्त होने के बाद में वे भी टिनेन्ट हो गये, अब जागीरदार शब्द नहीं रहना चाहिये। कानून जो भी बने सबके लिये समान रूप से बनना चाहिये। जागीरदार भी अब टिनेन्ट हो गये। जब 'जागीरदार' शब्द नोटिस में आता है तो सब लोगों को यह मालूम पड़ जाता है कि जागीरदारों को जो जमीन अलॉट की गई है वह गलत अलोट हुई है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि खुदकाश्त के लिये जो जमीन अलॉट की जाती है वह केवल जागीरदारों में और खालसा में ही अलॉट थोड़े ही की जाती है। इसके अलावा भी बड़े बड़े आदमियों को फ्रॉड से, महरबानी से जमीन अलॉट हो रही है, दो दो हज़ार बीघा तक उदयसागर के नीचे। थोड़े अर्से की बात है, मैं सुनकर आया हूँ, टौंक नवाब के समय से जो जमीन थी उसका फैसला १५ जनवरी, १९५८ को हुआ है। उसके अन्दर पुराना लगान का बकाया था वह भी माफ हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जागीरें

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

छीन लिया। उसके अलावा खुदकाश्त के लिये जो जमीन दी है, उसको भी फ्रॉड और मिसरिप्रेज़ेन्टेशन कह कर उनसे छीनना चाहते हैं। इसका नतीजा क्या होगा कि करप्शन फैलेगा। अभी मेरे क्षेत्र के अन्दर श्री गुलाबसिंहजी जो सतवाड़ा के जागीरदार हैं उनको जमीन अलॉट हो चुकी है, जागीर कमिश्नर का हुक्म मौजूद है। उसके बाद भी वहां जाकर के लोग कहते हैं कि यह जमीन उनकी नहीं है। उन्होंने एक हजार रुपये से एक ट्रेक्टर खरीदा। खुदकाश्त की जमीन है, इतना होते हुए भी लोगों को कहा जाता है कि वह उनकी जमीन नहीं है। इसलिये, माननीय चेयरमैन महोदय, फ्रॉड से जमीन हासिल करना तो दर-किनार रहा, अगर यहां इस प्रकार कानून पास हो जायगा, तो जिन लोगों के पास खुदकाश्त के लिये जमीन है, उनके लिये भी कहा जायगा कि यह फ्रॉड से ली गई है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसमें जो इस प्रकार की त्रुटियां हैं, उनको साफ कर लिया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह बिल जो पेश किया गया है उसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसे जल्दी स्वीकार करने का प्रयत्न करें। इसका कारण यह है कि आज जागीरदारों ने हरिजनों में एक तरह का खास वातावरण बना दिया है। उन्होंने यह किया कि अपने वक्त में उनसे बहुत बेगार ली। बेगार के नाम पर उनसे खेतों में काम करवाया गया। बाद में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत उनको टिनेन्सी के हक मिले। कुछ राहत उन लोगों ने महसूस की। पर हुआ क्या कि इन जागीरदारों ने पटवारियों को अपने प्रभाव में लेकर बहुत सी जमीन उनकी अपनी खुदकाश्त में दर्ज करवा ली और आज यह स्थिति हो गई है कि वे हरिजन काश्तकार परेशान हैं। या तो उनकी खोपड़ियां टूटती हैं या हर तरह से उनके साथ धोखा किया जाता है। धोखे से, चलबाजी से, या अन्य तरीकों से वे यह साबित कर देते हैं कि यह हमारी खुदकाश्त की जमीन है जब कि वास्तविक बात यह है कि हरिजन उसको जोतते आये हैं। तो इन सब प्रकार की असुविधाओं को देखते हुए इस कानून का पास होना बहुत जरूरी है और जल्दी होना जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि रेवेन्यु बोर्ड में कई ऐसी अपीलें हैं, इस कानून के अभाव में उन मुकद्दमों में भी विलम्ब हो रहा है। मैं जागीरदार बन्धुओं से निवेदन करूंगा कि जिन जमीनों से उन्होंने अपने अधिकार हटा लिये, अब उन जमीनों का मोह छोड़ें। जो छोड़ चुके तो अब मोह क्यों? तो इस भावना से आप इसका स्वागत करें, न कि विरोध। कुछ जागीरदारों ने यह भी किया कि छोटे छोटे काश्तकारों को प्रलोभन देकर कि तुम्हें कब्जा दे दिया जावेगा, उनके खेत अपनी खुदकाश्त में लिखा लिये हैं। तो इन दृष्टियों से इस कानून की बहुत आवश्यकता है। इसलिये इसको जल्दी स्वीकर करना ही उत्तम होगा।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : हमारे सामने आज ऐसी चीज आई है जिसको कहते है कि गलती है। मैं मानता हूँ, अगर मिसरिप्रज़ेन्टेशन से या किसी तरह का अलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड खुदकाश्त में करा लिया है, तो यह गलती है। मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर किसी ने ऐसे सरकम्स्टॉन्सेज़ में मिसरिप्रज़ेन्टेशन करने के लिहाज से या यह समझ कर कि मुझको और

(श्री अनूपसिंह)

चली गईं, जागीरदारों से आपने सब कुछ ज्यादा जमीन मिल जावे तो अच्छा रहे, और चूंकि उस वक्त सीलिंग का तो सवाल था नहीं, उस हिसाब से अगर किसी ने रिप्रजेन्टेशन गलत भी किया हो और ज्यादा अलॉट करवा ली है, तो आज हम उस गलती को दुरुस्त करने के लिये उस अलॉटमेन्ट को कैंसिल करवाना चाहते हैं और उनके एवज में सजा भी रखना चाहते हैं और यह सजा भी तीन साल की रखना तो बहुत सख्त कदम होगा। मैं मानता हूं यह गलती है। इसमें रियायत न बरती जावे, पर उसकी सीमा होनी चाहिये। इतनी सख्त सजा नहीं दें आप उसे। आखिर वह भी किसी हद तक किसान ही तो है और अलॉटमेन्ट गलत ही कराया हो, पर काश्त के लिये कराया है। आपसे कोई धन लेकर तो उसने जेब में नहीं डाल लिया है। जोतने के लिये, कृषि की उपज करने के लिये और अपने निर्वाह के लिये ही तो ली है, और फिर उसने तो उसमें पैसा डाला है अपना और ट्रैक्टर लिये हैं, उसको साफ करने में पैसा खर्च किया है, उसको कल्टीवेबल करने में अपनी सारी ताकत लगाई है, कई तरह से इम्प्रूवमेन्ट पर खर्च किया हैं, कुआ खुदवाया है, उस जमीन से मोह किया है, तो आप उसको वहां से अगर उखाड़ देते हैं तो यह बहुत सख्त सजा होगी। अब किस हालत में ऐसा करने के लिये मजबूर होते हैं लोग, यह देखना चाहिये। शेखावाटी से या अन्य हिस्सों से लोग जाकर भाखरा में चले गये, चम्बल में चले गये, गंगानगर चले गये और वहां वे किसी तरह से या थोड़ा मिसरिप्रजेन्टेशन करके या वहां के अधिकारियों से मिलकर जमीन ले लेते हैं और फिर उसको अपनी मानकर उसके लिए ट्रैक्टर और दूसरे दूसरे इम्प्लीमेन्टस खरीदते हैं, जमीन पर घर बनाते है, कई तरह के खर्चे करते हैं तो इसके बाद में जब मालूम पड़े कि उसने यह मिसरिप्रजेन्टेशन करके ले ली है और इसलिये उसको हटाया जावे और हटाया ही नहीं जावे उसको तीन साल तक कैद में रक्खा जावे। तो उस जमे-जमाये घर का तो आपने खात्मा कर दिया। इसलिये मैं यह मानूंगा कि इस तरह के गलत स्टैप अगर किसी ने ले लिये हैं तो उसको सजा आप जरूर दो, पर इस हद्द तक नहीं कि वह पूरा ही बरबाद हो जावे। मुझको यह पता नहीं लगता कि काश्तकारों के हितैषी अपने को मानने वाले काश्तकारों का दिल रखते हुए, उनकी कठिनाइयों को समझते हुए वे यह काम करना चाहते हैं। किसी दिन वे जागीरदार थे, पर आज तो वे काश्तकार का जीवन बिताने को राजी हो गये हैं, आज तो आपके हो गये हैं। आज तो वे भी भारत के एक स्वतन्त्र नागरिक किसान के रूप में हैं। हराम का खाने को तैयार नहीं हैं, जमीन को जोतकर खाने को तैयार हैं। बस एक दिन ये जागीरदार थे, यह समझ कर, आप उनको फिर बरबाद कर दें, तो यह अन्याय होगा उनके साथ। आपके दिमाग में यह जागीरदारों का भूत कहां से बैठ गया है अभी तक और मालूम नहीं किस दिन यह निकलेगा? मैं सदन के सामने नम्रतापूर्वक इस बात को रक्खूंगा कि इस प्रश्न पर गहराई से सोचिये कि जो कई वर्षों से जम गया है जिस भूमि पर, जिसने काफी मेहनत और इम्प्रूवमेन्ट उस जमीन पर कर लिया है और उससे मोह बना लिया है, अब कई सालों बाद आप उसको वहां से नेस्तनाबूद करके हटा देना चाहते हैं, तो यह कितनी गलत बात होगी,

(श्री अनूपसिंह)

फिर मैं एक बात और निवेदन कर दूं, इस मिसरिप्रजेन्टेशन को मान कर गलती करने में सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी हाथ है, यह भी निश्चित है; वरना वे जमीनें उनको मिल नहीं सकती थीं, आखिर जांच आदि तो उन्होंने की थी। उन्होंने ठीक जाँच क्यों नहीं की? सारे को ठीक से एग्ज़ामिन क्यों नहीं किया? एक्चुअल कितने हैं, घर में कितने आदमी हैं, कितने खाने वाले हैं; यह सब तो उनको देखना चाहिये था। निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस फ्रॉड में उसके साथ रहे हैं, उन्होंने पैसा खाया होगा, रिश्वतखोरी भी की होगी और रिश्वतखोरी की वजह से फैक्ट्स और फिगर्स की जांच नहीं हुई होगी। तो अगर उसका कुसूर गिनते हैं तो इनका कुसूर भी कम नहीं है। पर उन पर आंच नहीं आने वाली है, यह मैं जानता हूं। ऐसी स्थिति में मैं सदन से यह दरख्वास्त करते हुए उम्मीद करूंगा कि वे इसकी तरफ लीनियेन्ट-व्यू लें। आज जिस आदमी ने अपनी स्थायी मुहब्बत जिस जमीन के साथ कर ली है उसको वहां से उठाकर जेल में डाल देना एक काश्तकार और काश्तकारी के प्रिन्सिपल को और उसके हित को मानने वालों के लिये शोभा की बात नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके सिवाय इसमें एक चीज़ और है; सैक्शन ४१, इसका असर अगर किसी ने गलत कम्पेन्सेशन भी ले लिया है, गलत रिप्रेन्जेटेशन करके या गलत आंकड़े बता कर या इसी तरह इन्टेरिम किश्तें उठा ली हैं तो उन पर भी पड़ेगा।

३. १ म० प०

यह तो जनरल क्लॉज है जो लिटीगेशन ऑफ लेण्ड तक ही समिति नहीं रहता। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने जागीरदारी बॉन्ड्स ले लिये और उन बांड्स का फाइनेलाइज़ेशन हो गया है और जो बॉन्ड्स लेने के बाद में इत्मिनान से बैठे हैं और सरकार से जो कुछ उन्हें लेना-देना था, वह उनका खत्म हो गया है, तो चलते समय मान लीजिए किसी ने भी कह दिया कि उन्होंने गलत तरीके से कम्पेन्सेशन उठा लिया है, तो उसको काफी हेरेस होना पड़ेगा। अगर वह साबित कर सकता है तो ठीक है और अगर वह केस आगे बढ़ता है तो उसको हेरेस होना पड़ेगा। अगर किसी के बांड्स का आखिरी फैसला हो गया है, उसके बाद में किसी भी समय नया किस्सा खड़ा किया जा सकता है। बॉन्ड्स के फाइनेलाइजेशन कर देने के बाद यदि यह चीज उठा लेते हैं तो इनमें किसी भी हद का पता नहीं है कि किस टाइम तक इस तरह के फाइनेलाइजेशन के बाद केस उठाया जा सकता है। इसमें यह होगा कि अमुक डेट के बाद यह बात खत्म हो जायेगी और उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा था। इस तरह से यह तो हमेशा ही क्लॉज़ खुला रहेगा और हर एक जागीरदार के ऊपर तलवार सी लटकती रहेगी। कभी भी कोई भी आदमी यह कह सकता है कि इन्होंने फ्राड एण्ड मिस-रिप्रेजेन्टेशन के बांड्स लिये। तो मैं माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस बात को दुबारा सोचने की आवश्यकता है। यह मिस-रिप्रेजेन्टेशन एण्ड फ्राड का सेक्शन ४१ है वह बहुत वाइड है और जिसका असर बुरा होगा और इसका असर फाइनेलाइजेशन आफ कम्पन्सेशन एण्ड बांड्स पर भी पड़ेगा। इसमें लिमिटेशन हो और लिमिटेशन के बाद

(श्री अनूपसिंह)

मान लिया जाय कि अब फ्रॉड का किस्सा किसी के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता।

इसके साथ साथ रेस्टोरेशन ऑफ प्रोपर्टी पहले से है तो किस तरह हो सकता है ? अगर किसी ने लैण्ड लेकर रेस्टोरेशन ऑफ प्रोपर्टी कर लिया है, जहां आदमी ने अपना मकान बना लिया है, उसको उखाड़ कर किसी दूसरी जगह भेजें, तो यह तो एक राजकीय वाकया हो सकता है, अलबत्ता यह प्रैक्टिकल चीज नहीं हो सकती। इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस बात पर आगे विचार करके फैसला लें।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : ऑनरेबल चेयरमैन, राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (८ वां अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ के ऊपर बहस हो रही है। कई माननीय सदस्यों ने इस बिल पर अपने विचार प्रकट करते हुए यह कहा है कि जिस तरह का बिल आज जागीरदारों के संबंध में लाया जा रहा है उसी तरह का बिल क्यों न काश्तकारों के लिए लाया जाये। मिस्टर चेयरमैन, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खुदकाश्त जमीन के संबंध में जो कार्यवाही जागीरदारों ने की उसके द्वारा वास्तव में हमारे राष्ट्र के साथ किसी हद तक उन्होंने पोज़िशन से बेज़ा फायदा उठाने की कोशिश की है। मैं अपने इलाके की बात कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में राजस्थान नहर आ रही है और राजस्थान नहर की वह कीमती जमीन जो कि आज से साल भर पहले या दो साल पहले जागीरी इलाके में थी, उस जमीन की हजारों बीघा जमीन खुदकाश्त के नाम से वहाँ के जागीरदारों ने अपने कब्जे में कर ली है। हमारे यहां बड़े बड़े जागीरदार ऊगल, सदासर और इनके साथ साथ जो जो जागीरी इलाके के जागीरदार हैं, जहां कि समेरी सेटलमेन्ट हुआ है, वहां भी खुदकाश्त के नाम से हजारों बीघा जमीन अपने नाम से दर्ज करा ली है। ऊगल जागीरदार के पास १०,००० बीघा जमीन खुदकाश्त के नाम से उनके रेकॉर्ड में मौजूद हैं, सदासर के जागीरदार के पास १८,००० बीघा जमीन खुदकाश्त के नाम से उनके पास है...

श्री श्रीभानसिंह: I wished you could have given these facts earlier to me.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आप कल्पना कीजिए कि जिस इलाके में नहर आ रही है और कुछ ही वर्षों के बाद जो जमीन सरसब्ज़ होने वाली है, उस कीमती जमीन को फर्जी इन्दराज करवा कर अपने नाम से दर्ज करा ली, इसमें राष्ट्र का कितना बड़ा अहित हुआ है। इसलिए यह जो अमेन्डमेन्ट आ रहा है इस अमेन्डमेन्ट के पास होने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि खुदकाश्त की जमीन जो उनके नाम से दर्ज है उस जमीन को आज वह एक बीघा के सो-सौ और दो-दो सौ रुपया लेकर के दूसरे लोगों को बेच रहे हैं और इस तरह से लाखों रुपयों का फायदा उठा रहे हैं और इसे सरकार देख रही है। इस तरह से अगर यह कानून शीघ्र पास होगा तो इस तरह की कार्यवाही जो चल रही है, मैं समझता हूं कि सरकार के हाथ में कानून की एक सत्ता आयेगी, जिसके द्वारा सरकार ऐसे जो फर्जी इन्दराज हैं या ऐसी जो कार्यवाही चल रही है और राष्ट्र का

(श्री भीमसेन)

नुकसान हो रहा है, वह रुक सकेगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जागीरी एक्ट के तहत में यह कानून है कि जिस जागीरदार के पास अपने इलाके में अपनी जागीरी एरिया के अन्दर खुदकाश्त की जमीन है उस जागीरदार को नहरी इलाके में जमीन नहीं दी जा सकती। लेकिन मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि जागीरदारों ने झूठे एफीडेविट दे करके कि उनके पास जमीन नहीं है और नहरी इलाके में जमीन अपने नाम से एलॉट करवाई है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरह की पॉवर्स होनी चाहिए जिससे इस तरह की कार्यवाही जो हो रही है उसको रोका जा सके। आज गंगानगर के इलाके में काश्तकारों की भावना को देखिये। आज वहां के किसान जो पचास और सौ वर्षों से उस इलाके में आबाद थे, वह लैण्डलेस अभी तक हैं और उन किसानों को अभी तक जमीन से महरूम रखा जा रहा है और दूसरी ओर जागीरदारों ने फ्रॉड-लेन्टली एफीडेविट देकर अपने नाम से जमीन अलॉट करवाई है। इस तरह से वहां के किसानों में जो रीएक्शन हो रहा है, उसको इस बिल से रोका जा सकेगा। इसलिए सरकार को पॉवर्स होनी चाहिए और यह बिल बहुत अच्छा लाया जा रहा है जिससे उस इलाके के लोगों को जो आज भी महसूस कर रहे हैं कि जागीरदारों को जमीन जो दी गई है, वह गैर-कानूनी तरीके से दी गई है। आज उस कॉलोनाइजेशन के अन्दर बड़े-बड़े आफिसर्स जागीरदार हैं और वह अपने जाति-भाइयों को फायदा पहुंचा रहे हैं। खुद वहां के जो डाइरेक्टर हैं उनके पास उनके नाम से ३ मुरब्बा जमीन अलॉट है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास पॉवर्स होनी चाहिए, ताकि ऐसी कार्यवाहियां जो हो रही है उसको रोक सकें। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ऐसी इत्तिला है कि कई जागीरदारों ने रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट के जो अहलकार हैं उनसे मिलकर ऐसे आंकड़े पेश किये हैं कि जिससे कम्पेन्सेशन में भी फायदा उठाया जा सके। अगर इस तरह की कार्यवाही हो रही है तो मैं समझता हूं सरकार के पास ऐसी पॉवर्स होनी चाहिए जिससे ऐसी कार्यवाही रुक सके। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीडरेशन किया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं सब की सुन रहा हूं। जागीरदारी और जागीरदारों के ऊपर कई तरह के विचार और कई तरह के हक और कानून की बातें की जा रही हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह का बिल पास हो जाने से जागीरदारों को यह प्रोत्साहन देंगे कि वे राजस्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसें। इसलिए ऐसा अन्याय करना कि उनसे सारा घर छीन लिया गया, मकान छीन लिए गए, उनके पास कोई बिज़नेस नहीं है, अगर ऐसा अन्याय का कानून बनाया जायगा तो ठीक नहीं है। जब सत्याग्रह हुआ था, उस समय जागीरदारों को अपने पक्ष में लेने के लिए उनको हजारों की संख्या में, खुश करने के लिए उनके घर जा जा कर उनको जमीन बाँट दी और अब जब वह जमीन उनके पास है तो उसको फ्रॉड समझा जाता है। मैं यह कहता हूं कि यदि ऐसा बिल बनता है तो राजस्थान का जागीरदार भी खड़ा होकर यह कह सकता है कि पूरे राजस्थान को फ्रॉड की वजह से लिया गया है, जागीरें फ्रॉड के मीन्स से ली गई है। क्या यह अन्याय नहीं हुआ है, जुर्म नहीं हुआ है?

Page No.73

(श्री मदनसिंह)·

बड़े-बड़े लोगों को बुला बुला कर फ्रॉड के मीन्स से जागीरें ले लीं। उनको खुश करके उनकी जागीरें ले ली गईं और जो गवर्नमेंट की खराबियों की वजह से या बदइन्तजामी की वजह से पहले जमीन दे दी गई और अब उन लोगों के लिए 'फ्रॉड' शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है; फ्रॉड कैसे हुआ? जमीन पड़ी हुई थी। फ्रॉड कर लिया है, अन्याय कर लिया है, डाका डाल लिया है; तो कमिश्नर के जरिये, कानून के जरिये यह जमीनें ली हैं। अगर हमारे ऊपर यह कानून लागू होता है तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब पर भी लागू होना चाहिए, कमिश्नर पर भी लागू होना चाहिए, पटवारियों पर भी लागू होना चाहिए था। इस तरह से जागीरदारों के नाम पर ऐसी दुहाई देते हैं तो आप समझते हैं कि वे असेम्बली में घबरा जायेंगे। मैं कहता हूं कि आपका यहां भी डटकर मुकाबला होगा। अन्याय से आपने जगीरें खत्म कर दीं, उनकी हर चीज को खत्म कर दिया। आज फ्रॉड का बिल आता है और फ्रॉड का नतीजा हम पर लगाया जाता है। यह अन्याय की चीज है। बड़े बड़े मिनिस्टर साहब पहले तो कहते हैं कि जागीरदार हमारे स्तम्भ हैं, जागीरदार राष्ट्र की रक्षा करते हैं, जागीरदारों की परम्परा बहुत त्यागपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहते हैं यहां कि उनकी कोई हिस्टोरिकल बेक ग्राउन्ड नहीं है? कौन कह सकता है कि जागीरदारों की कोई हिस्टोरिकल बेकग्राउन्ड नहीं है? राजस्थान क्या हिन्दुस्तान मानता है कि उनकी क्या परम्परा रही है? इसलिए आप पुरानी चीजों की याद दिलाकर भूली हुई चीजों को बिगाड़ने की कोशिश न करें। यह फ्रॉड गवर्नमेन्ट ने किया है। जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया है उनको दण्ड मिलना चाहिए। मीन्स ऑफ फ्रॉड से पहले उनको खुदकाश्त की जमीन दे दी गई और अब सीलिंग कैसे आ रही है? लेण्ड के डिस्ट्रिब्युशन के लिए कानून बना रहे हैं। उस कानून के अन्तर्गत फ्रॉड से जमीनें ले ली हैं, ज्यादा ले ली हैं, बहुत कुछ तादाद में ले ली हैं, तो उनका तो सब खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीलिंग को बन्द किया जा रहा है, सिलेक्ट कमेटी में, क्योंकि उसमें वे लोग आते हैं जो फ्रॉड से बीकानेर से आकर दुर्गापुरा बांध पर बस जाते हैं। मिनिस्टर साहब कहते हैं हमसे कि फ्रॉड से जमीन ले ली लेकिन उनसे कहा नहीं जाता है। सब सदस्य मुंह बन्द कर लेते हैं। मैं नाम लेकर ही बता दूं। यहां पर बीकानेर का कुम्भाराम क्या चाहता है? जयपुर के पास उसने जमीन फ्रॉड से नहीं ली तो क्या बीकानेर में जमीन नहीं थी। अच्छी अच्छी जमीनें पहले जागीरदारों को बताई गईं, लेकिन फ्रॉड करके उन्हें नहीं दी जाती है। तीन साल पहले बड़े बड़े जागीरदारों को फुसला कर राज़ी कर लिया और आन्दोलन को बन्द करा दिया, यह कह कर कि पूरा ध्यान दिया जायगा। तो क्या वह फ्रॉड नहीं था? अब जागीरदारों का पीछा किया जा रहा है। तो मैं असेम्बली के सदस्यों को आगाह कर देता हूँ कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। चाहे दुनिया कुछ कहे; चाहे आप हमें गद्दार कहें, कुछ भी कहें। पहले इस तरह से जागीरदारों को, जो गरीब जागीरदार हैं उनको पहले लेजा लेजा कर, जमीन दिखा-दिखा कर जगह २ जमीनें दे दी गईं? अब कानून बना रहे हैं! तो कानून वही माना जा सकता है जिस कानून के अन्दर न्याय हो, लेकिन जिस कानून के अन्दर पूरी संपत्ति खत्म की जाय, जिस कानून से आदमी की इज्जत नहीं हो तो वह नहीं माना जायगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे कानून इस

(श्री मदनसिंह)

असेम्बली के फ्लोर पर नहीं आने चाहिए, यही मेरा निवेदन है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि अभी मेरे पूर्व वक्ता में तेजी वही मौजूद है जो कि एक जागीरदार में तेजी होनी चाहिए और जो जागीरदारों का त्याग है वह इस जोश से मालूम होता है इसी जोश में आकर अपने त्याग का परिचय दिया था, लेकिन अब आपकी अग्नि परीक्षा का समय आया है तो मेरे खयाल से आप अपनी परम्परा को निभाने के लिए......

श्री मदनसिंह (दांता) : मैं कोई जागीरदार नहीं हूं और न मेरे कोई खुदकाश्त है ।

श्री मूलचन्द डागा : जब आपको यह जांच होने लगी, जब यह एक संशोधन आया, जो कि एक सीधा सादा संशोधन है, जिसके द्वारा धारा १६ (बी) में इस प्रकार की जांच की जाय कि किसी जागीरदार साहब या किसी ने अपनी खुदकाश्त की जमीन के अलावा । उस पटवारी का जीवन बिगाड़कर, रेवेन्यू इन्सपेक्टर को मिलाकर, या एस. डी. ओ. या कलेक्टर से हाथ मिलाकर, जमीन लेने की कुछ कार्यवाही की है । तो हम चाहते हैं कि आपको इस पाप से मुक्त किया जाय और उनको भी इस पाप से मुक्त किया जाय। यह सीधी सादी कार्यवाही है, क्योंकि, आपकी परम्पराओं को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपकी परम्परा पर कोई कलंक हो । उस कलंक को मिटाने के लिए यह बिल है । कोई यह नहीं कहता कि जागीरदार ने फ्रॉड से या अनड्यू इन्फ्लुएन्स से या किसी तरह से जमीन हासिल कर ली है, क्योंकि आपने त्याग किया है हजारों बीघा जमीन का । हम नहीं चाहते हैं कि आपके पास ऐसे तरीकों से जमीन रहे जो तरीके आपकी आदतों में बिगाड़ करें ।

श्री मदनसिंह (दांता) : बेइमान तरीकों से नहीं ली जाय जो कि यह ली गई है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह चाहता हूं कि यह जो बिल आया है उसके अन्तर्गत जांच होगी कि क्या जागीरदारों ने अपनी खुदकाश्त जमीन से ज्यादा जमीन भी हासिल कर ली है क्योंकि हम एक बात मानते हैं कि अगर एक जागीरदार के पास उसकी जीविका चलाने के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी है और उस विशेष जमीन मिलने की हालत में उसकी शोषण की वृत्ति, मुनाफे की वृत्ति, बैठकर खाने की वृत्ति हो जायगी उसको हम रोकना चाहते हैं । उस वृत्ति को रोकने के लिए ही आपने त्याग किया था । हम नहीं चाहते कि आप वापिस उसी रूप में बड़ी बड़ी जमीनें हासिल करें कि जिन जमीनों पर काश्त आप खुद अपने हाथों से नहीं कर सकें, अपने आप उस जमीन पर हल नहीं जोत सकें । उस हालत में आपकी मनोवृत्ति में जो शोषण की छाप लगी हुई थी जिसको आपने छोड़ दिया है उसको आपने अगर किसी तरह से हासिल किया तो यह संशोधन जो कि बड़ा सीधा-सादा संशोधन है उस संशोधन की धारा १६ (बी) में यही लिखा गया है कि अगर किसी जागीरदार ने खुदकाश्त जमीन के अलावा किसी और तरीके से जमीन हासिल की है तो उसकी जांच करनी चाहिए ।······

श्री मदनसिंह (दांता) : मेरा मतलब सभी जागीरदारों से है ।

श्री मूलचन्द डागा : हम यह चाहते हैं कि हम उन्हीं पर परीक्षा करना चाहते हैं जो कि मजबूत है। जागीरदार मजबूत कौम है, उसकी मजबूती की परीक्षा होनी चाहिए।

श्री मदनसिंह (दांता) : इस मजबूती की परीक्षा तो और दी जायगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : हमारे एक पूर्व वक्ता ने कुछ धमकी भी दी और एक बोलने वाले ने कुछ महरबानी की बात भी की है। दोनों तरीके होते हैं। दोनों ही इसकी जांच कराना चाहते हैं कि खुदकाश्त की जमीन के नाम पर जब कि दूसरे प्रकार के रेवेन्यू प्रोसीजर रिपील हो चुके हैं, और उसके बाद में ऐसी दिक्कत पैदा हुई है कि अगर क्रिमिनल कोड के नीचे, या पीनल कोड के नीचे यह साबित हो चुका है कि एक व्यक्ति ने, जागीरदार ने, किसी ने इस प्रकार की जमीन हासिल कर ली है तो वापिस ली कैसे जाय ? यह बड़ा सीधा संशोधन है; जिस संशोधन से, मेरे ख्याल से, आप भी सहमत होंगे कि इस संशोधन को लाया जाय और माना जाय। सवाल इतना ही पैदा होता है कि इस संशोधन से जागीरदारों के साथ न्याय किया जा रहा है। जमीन बसा ली है, जमीन पर मकान बना लिये हैं। यह जो बातें होती हैं, मकान बना लिये हैं, हमने तो इमारतें खड़ी कर दी हैं, जमीन उपजाऊ बना दी है, जमीन मिल चुकी है, यह जो रीजन्स हैं और जो भूमि सुधार के कानून है वे एक दूसरे के विरोध में नहीं पड़ें। इसलिए यह संशोधन है। हम नहीं चाहते हैं कि आप उस जमीन को गलत तरीके से हासिल करें, क्योंकि एक तरफ तो आपने मुआवजे के रूप में हजारों और लाखों रुपये लिये हैं और उसके बाद में आपको खुदकाश्त के लिये जमीन मिल चुकी है और ऐसी हालत होते हुए भी आपने किसी और तरीके से जमीन हासिल कर ली तो यह आपके लिये शोभाजनक नहीं है। आप यह मानेंगे कि आप इन तरीकों से जमीन हासिल न करें जो समाज की परम्परा को बिगाड़ने वाले हैं, वरना पीछे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि जागीरदारों ने अपनी जागीरें और जमीनें छोड़ी थीं और त्याग किया था, लेकिन हमारे बड़ेरों ने कानून को हाथ में लेकर जमीन हड़प ली। यह अच्छी बात नहीं होगी। आज अखबारों में अफवाह फैल रही है कि जागीरदारों ने ज्यादा जमीन दबा ली है। यह आपकी परीक्षा का समय है, आपको त्याग करना चाहिये। आपको यह बात शोभा नहीं देती। आप यह मान चुके हैं कि राजस्थान हमारा देश है और इसमें नयी चेतना लाना चाहते हैं, आप किसानों की बहतरी की बात सोचना चाहते हैं और यहां पर समाजवाद कायम करना चाहते हैं तो इस समय ये रुकावटें और अड़चनें पैदा करना आपको शोभा नहीं देता। इसलिये यह जो संशोधन आया है उसे आपको मान लेना चाहिये। कानून तो पहले से ही है लेकिन उसके अन्तर्गत लोगों को और सुविधाएं देने के लिये थोड़ी बहुत रद्दोबदल इस संशोधन के जरिये करना चाहते हैं और इसीलिये यह संशोधन लाया गया है। सरकार ने यह बताया कि हम किस प्रकार से जमीन ले सकते हैं। इसके लिये एक ऑर्डिनेन्स निकाला गया था और राज्यपाल महोदय ने कहा था :

"The circumstances exist which render it to take immediate necessary action in this behalf."

तो वह जो ऑर्डिनेन्स निकला था, उसकी मंशा यह थी कि जागीरदारों की परम्परा को

(श्री मूलचन्द डागा)

बदनाम करने के लिये, कुछ ऐसे जागीरदार हैं जो जमीन को गलत तरीके से हड़प रहे हैं उनको रोकने के लिये यह कानून बनाया है। आपके जोश की मैं कद्र करता हूँ। यह कभी भी काम में आ सकता है। देश की भलाई के लिये आप इस जोश को काम में ला सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये काम में लेना चाहते हैं।

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) जो संशोधन पेश किया गया है वह बिल्कुल ठीक है और इसमें तरीका बताया गया है कि किस प्रकार से जांच होगी और उसके द्वारा यदि सरकार इस नतीजे पर पहुँचती है कि वास्तव में जितनी जमीन ली है वह ज्यादा है तो उसके लिये कुछ कदम उठायेगी। इसमें अपील का भी प्रॉविजन दिया गया है। यह सरल और सीधा सा संशोधन है। इसलिये इसको मानने में कोई अड़चन पैदा नहीं होनी चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): चेयरमैन महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न पर जो कि पाली से आने वाले सदस्य महोदय और दूसरे सदस्यों ने कहा है; मैं तो यहां की परम्परा को देखते हुए निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कटुता यदि दोनों तरफ से नहीं हो तो मैं ज्यादा अच्छा समझूंगा। मेरे पहले बोलने वाले, वक्ता महोदय, ने साफ तौर से अर्ज किया था कि यह सवाल जागीरदारों के वास्ते पैदा होता है और जागीरदार तो अब रहे ही नहीं हैं। जागीरदारों का तो प्रश्न ही खत्म हो गया है। इस प्रथा को खत्म हुए ही कई वर्ष हो गये, फिर इसका पिष्ट-पेशण क्यों किया जा रहा है और पीसे हुए को पीसने के लिए बार बार ये कटुक्तियें क्यों पैदा की जाती हैं ? जागीरदारों के नाम से ये चीजें लाना आज की परम्परा के लिये इस समय ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न अभी 'एबेयेन्स' में रहना चाहिये और इस वक्त तक कम से कम इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिये। कल प्रश्न उठकर तय हो चुका है कि दूसरे जो जमीदार और बिस्वेदार हैं उनका प्रश्न भी अभी आ रहा है और इसी एसेम्बली में इसके डिसाइड होने की संभावना है। एक बात यह देखनी चाहिये कि वह जो समुदाय है, जागीरदार जिनको कहा जाता है, और उनके बारे में जो बार बार कहा जा रहा है, कि वे जागीरदार तो जागीरदार रहे नहीं। जिस प्रकार दूसरे लोग भी कृषक हो चुके हैं उसी प्रकार वे लोग भी कृषक हो चुके हैं। जब तक वह सवाल यहां न आ जाय तब तक इस चीज को यहां लाना मैं देश-काल के विरुद्ध समझता हूं। जो इतना नजदीक में डिसाइड होने वाला है, उसके लिये सवाल आगे आने वाला है तो ऐसी जल्दी क्या है ? जागीरदार कहीं भाग कर थोड़े ही जाने वाले हैं। जागीरदार शब्द तो रहा ही नहीं, वे भी अब कृषक ही हैं। खेती करके और हासिल देकर अपना पेट भर रहे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने निवेदन किया है, सीलिंग का प्रश्न आ जायगा, तब यह प्रश्न आपसे आप हल हो जायगा। सीलिंग क्यों नहीं आ रहा है ?

श्री सभापति : आपके कहने के माफिक जागीरदार तो अब रहे ही नहीं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हां, वे तो अब

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

रहे ही नहीं, काश्तकार हो गये, भूतपूर्व जागीरदार कह दीजिये, जैसा वह प्रश्न आ रहा है और वे तो अब काश्तकार हैं, मैं उनको भी छोड़ता हूं। जो बिस्वेदार है उनके पास जमीन का दसवां हिस्सा भी नहीं मिलेगा, जितना उनको कॉल्ड काश्तकारों के पास मिलेगा, जिन लोगों ने जमीन दबा रखी है, नाना प्रकार की चेष्टाओं से, मैं कुचेष्टा से नहीं कहना चाहता क्योंकि असेम्बली में संयत भाषा में बोलना चाहिये। इतने ज्यादा भाग में उनकी जमीन होगी तो उस जमीन को लेने के लिये भी आॅर्डर या हुक्म होना चाहिये। जमीन लेने का हुक्म युनीफार्म होना चाहिये, यह खाली जागीरदारों के ही लिये क्यों लागू हो। क्या रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस बात के लिये भी प्रावधान रखेंगे कि वह भी प्रश्न आ रहा है जैसा कि बिस्वेदारों और जमींदारों के लिये आ रहा है और उनके पास बहुत सी जमीनें आपको इस प्रकार की मिलेगी कि हम लोगों से ज्यादा होगी। मेरे पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने इस बात के लिए कहा है कि बूंगल में और दूसरी जगह जागीरदार जमीन लेकर इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उस इलाके में आज के दिन पानी प्रचुरता के साथ में हैं, जिसके वास्ते वहां के महाराज ने प्रारम्भ के अन्दर भागीरथ के समान महान् विचारधारा को सामने रखकर यह काम शुरू किया था। वहां उनके आदमियों का रहना कठिन हो रहा था, उन्होंने इस बात के वास्ते यह सवाल किया और वहां जो जागीरदार रहने वाले थे, क्या खबर, किस कठिनता के साथ वे रहते थे, दूसरे साल, तीसरे साल यहां तक होता था कि उनको देश छोड़ कर परदेश में गमन करना पड़ता था। इसलिए सबसे पहला यह सवाल है कि अब तक यह प्रश्न आपके लिए है, हम लोगों को काफी इस बारे में कहना पड़ेगा। उधर से भी, इधर से भी; इस वास्ते सवाल उठाया कि १० वर्ष जागीरदारों के प्रश्न को समाप्त हुए हो गये, लेकिन उन लोगों का प्रश्न अब तक जारी है। उनके सवाल को खत्म कर दिया जाय। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूंगा कि उन्होंने आज खंदा पेशानी और बड़े हर्ष के साथ में इस सवाल के वास्ते हमारी विचार-धारा को तरजीह दी और यह प्रश्न उठाया, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। यह प्रश्न चल रहा है, जितने यह सवाल तय न हो जाय, जितने उन लोगों का, जिन जागीरदारों ने ज्यादा जमीन हथिया रखी है, प्रश्न न आ जाय, इस सवाल को उठा कर रखना ठीक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि जो दूसरों से खेती कराने वाले कृषक हैं, जो बिस्वेदारी और जमींदार हैं, जो दूसरों से खेती कराते हैं, उनमें से किसी के साथ में एक्जेम्शन होने की आवश्यकता क्या है? यह बार बार सामने आ गया है कि जागीरदारों को एक तरह से सिंगल आउट करके

(हंसी)

बलिदान के बकरे को आगे बढ़ाकर......

श्री मदनसिंह (दांता) : वह भी आपके जैसे होंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, 'सिंगल डाउन' का क्या मतलब हुआ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने सिंगल आउट कहा है, इस पर विचार करें, या

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

सिंगल आउट का मतलब डिक्शेनरी में देखें। अंग्रेजी का आपने ठेका नहीं ले रखा है। सिंगल आउट दूसरा है, सिंगल डाउन दूसरा है।

श्री सभापति : You continue your speech. It is not the Railway signal.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इस तरफ का सिंगल डाउन होता है तो उस तरफ का भी सिंगल डाउन होता है।

श्री सभापति: The Hon'ble member will not interpret the word because evetybody understand it.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हम लोग...'सिंगलआउट' खास वर्ड है...

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बोलिये।

(हंसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : (जारी) मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जितना आप हंसेंगे, उतना ठीक है।

एक जाति के वास्ते, उसकी विचार-धारा को कुचलने के लिए कोशिश कर रहे है, लेकिन सात वर्ष से उसके वास्ते कोई प्रश्न नहीं है। हम लोगों के सवाल के वास्ते तो तय हो गया, लेकिन आज जो जमींदार हैं, उनका सवाल नहीं आया है। हम लोगों के सामने, जागीरदार या काश्तकार या किसी दूसरी पार्टी का प्रश्न नहीं है। जैसा कि हम लोग टीथ एन्ड नेल से तैयार हैं कि जहां तक हो सके जागीरदारों का जो प्रावधान है उसको इस प्रकार मंजूर करते हैं कि उनको हटाया जाय। आज जैसा रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने फरमाया, हम लोगों के साथ में आप लोगों ने भी काफी पक्ष लिया है, उस विचारधारा को तरजीह दी है, उसके लिए धन्यवाद है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चीज के वास्ते उतावले न होकर, सब जगह युनीफॉर्मिटी हो जाय, यह चीज अभी तक इस हिसाब से आई नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पहले जागीरदारों, बिस्वेदारों का सवाल तय हो जाय, उसके बाद यह आना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, इस छोटे प्रश्न को लेकर कटु वातावरण सदन में पैदा किया जा रहा है, मेरे ख्याल से यह उचित नहीं था। एक दलील यह दी गई कि जागीरदार अब काश्तकार हो गये, इसलिए यह प्रश्न उठता नहीं, लेकिन जहां जागीरदार कानूनी तौर से काश्तकार हो जाय, उनके बारे में यह बिल प्रावधान नहीं रखता लेकिन जो गैर कानूनन, फरेब या मिसरिप्रज़ेन्टेशन से काश्तकार हुए हैं, उन पर यह कानून असर करने वाला है।

दूसरा प्रश्न है कि कई माननीय सदस्यों को भ्रान्ति हो गई है कि जो खुद काश्त के लैंड रिकार्ड हो गई, यह उनके मामलों को ओपन करेगा। यह भ्रान्ति है, क्योंकि खुद काश्त की डेफीनिशन में दिया हुआ है कि जो लैंड अगर रिकार्ड में खुद काश्त है, तो वह खुद काश्त रहेगी। अतः खुद काश्त का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि जो कि जागीरदार और सरकार के बीच में आपस में मुआहदा हुआ है, जिस पर यह बिला ड्राफ्ट किया गया है और खुद काश्त की जमीन देना तय किया है, उसमें देखना है कि पूरी शरायतों को देखकर यह तय किया

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कि कितनी जमीन जागीरदार की होगी। इन सारी चीजों को देखते हुए यह मुआहदा किया और जो चीज चली आ रही हैं, सरकार उस ओर से पाबन्द है। सरकार उस चीज से इन्कार नहीं करती। अब यह देखना है कि इस बिल से क्या असर पड़ता है, क्या सरकार अपने मुआहदे से इन्कारी कर रही है? कानून का सिद्धान्त है "One who speaks equity must come with clean hands." जो जागीरदार यह चाहता है कि खुद काश्त की जमीन रखे, उनके लिये यह जरूरी हो जाता है कि उसे उतनी ही जमीन मिले जिसके लिए वह कानूनी तौर से अधिकारी है। यह न हो कि उनके पास जमीन काफी मौजूद हो और उस जमीन के मौजूद होते हुए फरेब से, धोखे से, मेरे ख्याल से, दूसरी जमीन ले ले, तो उसका निराकरण करना जरूरी है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आप जागीरदारों के अधिकारों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जो जागीरदारों से वायदे किये हैं, वे कहां छीने जा रहे हैं? उसमें केवल यह चीज है कि जिन जागीरदारों ने गलती की है, उनके लिए यह कानून है। यदि किसी ने मिस रिप्रज़ेन्टेशन से, फ्रॉड से कुछ किया है, जो दूसरों को हानि पहुंचने वाला हो जाता है, उसका निराकरण करना होगा। ऐसी सूरत में इन सारी चीजों को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि फरेब, धोखा और असत्य चीजों को जारी रखें। इतिहास बताता है कि जो गरीब हैं, समाज के इस अंग को हम पनपाना चाहते हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अलॉटमेन्ट के रूल्स के अनुसार अलॉटमेन्ट होना चाहिए। माननीय सदस्य भूमि वितरण के रूल्स का मुलाहिजा करेंगे, उसमें जो क्राइटेरिया रखा है, अगर उस क्राइटेरिया में नहीं आता और लैंडलेस टीनेन्ट बन कर, मिस रिप्रेजेन्टेशन से, फ्रॉड से जमीन अलॉट कराता है तो उनको भी वसूल करने का, अलॉटमेन्ट को खारिज का प्रॉविजन इसमें रखा है। यह नहीं है कि केवल जागीरदारों के लिये काम में लाया जा रहा हो। यह तो नेचुरल जस्टिस है कि चाहे पटवारी की गलती से हुआ हो चाहे एस० डी० ओ० की गलती से हुआ हो या और किसी की गलती से हुआ हो या फ्रॉड से जमीन अलॉट कर दी गई हो, तो न्याय का तकाजा है कि जितनी भूमि उसको कानून से मिलनी चाहिये थी वही उसके पास रहनी चाहिये और बाकी की जमीन ले ली जानी चाहिये। ऐसा कहा गया कि धारा ४१ के मातहत ३ साल की सजा दी जा रही है। यह इस तरह कहा गया मानों यह धारा नई बनाई गई हो। यह तो पहले ही से है। क्रिमिनल व सिविल प्रोसीजर कोड में मौजूद है कि गलती से, फरेब से जो चीज किसी को प्राप्त हो जाय तो उसको पहले की स्थिति पर ला देना चाहिये। तो ऐसी कोई चीज इस बिल में नहीं रखी है कि जिससे जागीरदारों के साथ जो समझौता किया, वह टूटता हो।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तमलाल।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल सदन के समक्ष पेश हुआ है, बहुत ही उपयुक्त है। इसके बारे में कहा जाता है कि जागीरदारों के लिये ही यह बिल क्यों लाया गया है, जिन काश्तकारों को जमीन का अलॉटमेंट हो गया

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

है उनके लिये क्यों नहीं लाया गया? जिन्होंने फ्रॉड से जागीरें ले ली हैं उनके लिये क्यों नहीं कानून पास किया? मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा इस ओर कि राज्य की सरकार का परम् कर्त्तव्य है कि जहाँ धोखेबाजी, मिसरिप्रजेन्टेशन से कोई कार्य होता है, उसे बन्द किया जाय, उसको बन्द करने का उसकी आवश्यकतानुसार कानून पास कराया जाय, उसी को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने यह संशोधन बिल पेश किया है।

यह कहा गया कि काश्तकारों को जमीन का अलॉटमेंट हुआ उसका इसमें जिक्र नहीं है, उस अलॉटमेंट में फ्रॉड हुआ हो, उसके बारे में इसमें प्रोविजन नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अलॉटमेंट कमेटी में माननीय सदस्य भी बैठते हैं, वहां अलॉटमेंट काश्तकारों को किया जाता है, उसमें भी अगर फ्रॉड किया जाता है तो उसे भी ठीक किया जाता है।

कहा जाता है कि हमें जागीरदार क्यों कहा जाता है, तो मैं यह कहूँगा कि टीनेन्सी एक्ट में खुदकाश्त रखा गया है! वहां सिर्फ टीनेन्ट और सब टीनेन्ट ही रखना चाहिये था। तो इसलिये इससे सम्बधित हर एक्ट के आगे 'जागीरदार' शब्द लगाया जाता है।

ऐसा कहा गया कि फ्रॉड से जागीरें सरकार ने ले लीं, कोई फ्रॉड से नहीं ली गई, लेने से पहले धारा सभा ने कानून पास किया...

श्री मदनसिंह दांता : समझौते के आधार पर ली गई हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : अगर फ्रॉड यह धारा सभा करती है तो आप भी फ्रॉड करने में शामिल हैं और हम भी फ्रॉड करने में शामिल हैं।

श्री मदनसिंह दांता : हमने और आपने दोनों ने मिल कर जमीनें दी हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : बार बार धमकियां दी जाती हैं कि हम यह या वह कर देंगे, तो इससे गवर्नमेंट घबराने वाली नहीं है। प्रजातन्त्र का एक तरीका है कि कोई भी कानून हो उसे किसी एक व्यक्ति द्वारा पारित नहीं किया जा सकता, धारा सभा द्वारा ही पारित किया जाता है। वैसी सूरत में वहां इस तरह का चैलेंज देना प्रजातन्त्र को चैलेंज देना है। प्रजातन्त्र को मानने वाले यहां बैठते हैं तो...

श्री मदनसिंह : यह प्रजातन्त्र को नहीं दी गई थी, फ्रॉड करते हैं उनको दी थी।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं निवेदन करूंगा कि आज भी मैं जिस इलाके से आया हूँ वहां एक गांव जाजोता है, वहां के किसान यहां नीचे आये हुए बैठे हैं। जागीरदार साहब या और कोई साहब जाकर देखें, उनकी क्या हालत है? वहां १५००० बीघा जमीन है उसमें से ३०० बीघा जमीन १५० काश्तकारों की है और बाकी सब जागीरदारों के कब्जे में है। क्या यह न्याय है, इसी को न्याय कहते हैं? कहते हैं हम अन्याय पर तुले हुए हैं!

श्री मदनसिंह दांता : क्या यही न्याय है कि बिड़लाजी अकेले अपार सम्पत्ति पर कब्जा किये बैठे हैं?

श्री पुरुषोत्तमलाल : बिड़ला को छोड़ा नहीं जायगा, उनके लिये इन्कमटैक्स और सुपरटैक्स के कानून बने पड़े हैं। फिर यह तो भारत सरकार का काम है। यह तो इस प्रकार

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

का प्रगतिशील बिल है, इसकी अवहेलना कर इस प्रकार की बातें करके इसे आगे ले जाना चाहते हैं तो यह उपयुक्त नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार करके इस बिल को पास करेंगे।

कल तक जमींदारी और बिस्वेदारी प्रथा को एबोलिश करने के बिल को प्रवर समिति में भेजने की बात की गई, तो बड़े जोरों से कहा गया कि हमें न्याय करना है; पर आज अपने ऊपर बात आती है तो उसके खिलाफ बातें करते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज जो बिल सदन में आया है वह न्याय के लिये आया है, उसे समझ कर शीघ्र से शीघ्र पास करना चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय चेयरमैन महोदय, इस बिल को लेकर जिस तरह की गरम बहस सदन में हो रही है मैं उसको ठीक नहीं समझता हूं। देखा जाय तो इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि किसी से जायज चीज छीन ली जाय। इस सदन का कोई माननीय सदस्य नहीं चाहता कि नाजायज़ चीज किसी ने की है तो उसके लिये उसको सजा नहीं मिले। कोई आदमी किसी की चीज को दबा कर बैठ गया है तो उससे रिकवरी न हो! फ्रॉड से, गलती से या गलत इन्फॉर्मेशन के जरिये किसी चीज को दबा कर बैठ गया है तो उसकी कानून में सजा है, वह सजा दी जाती है। पर इसमें उसकी रिकवरी करने को कहा है, उस गलती या फ्रॉड के जरिये वह जमीन उनके कब्जे में रही है और उससे उस व्यक्ति ने जो नाजायज़ फायदा उठाया है, उसकी रिकवरी करने के लिए इस बिल में लिखा हुआ है। In the reasons for the Ordinance it is said:

"Section 41 provides for the punishment of persons making false statements. A new provision was added, thereby empowering Government to enforce refund or restoration of any benefit obtained by a person on the basis of such false statement."

तो इसलिये इस बिल में क्लॉज़ लिया गया है, क्लॉज़ ४ में ५१ को अमेंड किया जाता है, वह इसलिये किया जाता है कि गलत स्टेटमेंट के आधार पर किसी ने फायदा उठाया है उसको रिकवर करने के लिये। तो मैं समझता हूँ माननीय सदस्य को इसमें एतराज नहीं होना चाहिये, इसको जागीरदार, नोन-जागीरदार इश्यू नहीं बनाना चाहिये कि जागीरदारों को परेशान करने के लिये यह किया जा रहा है। चाहे जागीरदार हो, चाहे और कोई हो, गलत स्टेटमेंट देकर, कानून में जो फायदा उन्हें नहीं मिलना चाहिये था, वह फायदा उठाया है तो उसकी रिकवरी करनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो उनको फुसलाकर ऐसा कराया गया और उसमें एग्ज़िक्युटिव का, कलेक्टर व कमिश्नरों का हाथ था; हो सकता है कि उसमें रेवेन्यु मिनिस्टर का भी हाथ हो और उन्होंने स्टेटमेंट दिलाया। मैं कहता हूँ कि इसमें चाहे किसी का हाथ हो, लेकिन fraud is fraud after all. जिस किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, चाहे वह कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो उसको उसका रिज़ल्ट भुगतना चाहिये। लेकिन जो जस्टिस है और जो लोगों को नहीं मिली है और जो जस्टिस को एवोइड करके चले हैं और

(श्री पी० के० चौधरी)

जिन्होंने नाजायज़ तरीके से या गलत स्टेटमेंट दिया है और उनके गलत स्टेटमेंट से उनको फायदा पहुंचा है, उसको रिकवर करने की बात है। इसीलिये उसको जागीरदारी और नोन-जागीरदारी इश्यू नहीं बनाना चाहिये। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि किसी को दबाया जाता है। कोई भी काश्तकार या कोई भी दूसरा व्यक्ति है, अगर वह गलत स्टेटमेंट देकर या बैल खरीदने के लिये रुपये लेकर शराब पी जाता है या तकाबी ट्रैक्टरों के लिये लेकर दूसरे काम में लगाता है, तो यह कानून उसके काम में आ सकता है। इसलिये किसी ने भी गलत स्टेटमेंट दिया है या गलत फायदा उठाया है तो उसके लिये यहां पर प्रॉविजन होना चाहिये। यदि नहीं रखते हैं तो इससे बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि लूज मोरल के लोग तो सभी वर्गों में होते हैं और वे लोग कानून के जो भी लूप होल्स होते हैं या डिफेक्ट्स होते हैं उनसे हमेशा फायदा उठाना चाहते हैं। उनको रोकने के लिये ऐसे कानून लाना ही जरूरी है। इस प्रकार के कानून लाने की वजह ही यही है। कानूनी संस्थाओं ने कहा है, 'Fraud always runs ahead an offence'.

हम जब कानून बनाते हैं तो कानून तब बनते हैं, जब ऑफेन्स पहले ओकर होते हैं। पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी यही कहा है और माना है कि यह सही है। इसलिये इसके लिये काफी एक्सपीरियेन्स है, लोगों को उन्होने बताया है कि दुनियां के कानून बनते हैं और जो बनाते हैं उन्होंने कहा है कि पहले ऑफेन्स ओकर होते हैं और बाद में कानून बनाते हैं। कानून हम दूसरों से प्रोटेक्शन के लिये बनाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो जागीरदारी रिजम्प्शन कानून पहले बन जाता। उस समय लूप होल्स को ध्यान में नहीं रखा गया। अगर किसी प्रकार के लूप होल्स का आपको ध्यान होता तो वे सभी कानून में पहले ही आ जाते। आज आप एक भी ऐसा कानून नहीं देखेंगे जो ऐसा हो कि पहले बना हो। पहले मरडर हुआ और उसके बाद मरडर को रोकने के लिये कानून बनाया गया जिससे कि दूसरे लोगों को मदद मिले। इसी प्रकार पहले लोग चोरी करते हैं उसके बाद कानून उसको बन्द करने के लिये बनता है। इसी प्रकार से लोगों ने फाल्स स्टेटमेंट दिये हैं तो फिर सरकार क्या करती है कि एसेम्बली में इतनी बहस करे और गर्मा-गर्म वातावरण पैदा करे। यह चीज ओकर हुई है और फ्रॉड हुआ है। इसलिये मैं मानता हूँ कि दांता भी इससे राजी होंगे कि फ्रॉड जो हो रहा है उसको रोकना चाहिये। उनके दिल में ऐसी बात कभी नहीं है कि फ्रॉड को चालू रखा जावे। कोई यह नहीं चाहता कि एक व्यक्ति फ्रॉड करता है तो उसका बेटा भी यही करे। इसके अलावा आज हमारा, सारे हिन्दुस्तान का ध्यान खाद्य स्थिति की ओर लगा हुआ है। हमारी प्रोसपेरिटी जो है वह एग्रीकल्चर सक्सेस पर डिपेन्डेड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे के ८ वर्षों में हमारी सरकार ने ८ करोड़ रुपयों का अनाज लिया है और इसके अलावा करोड़ों रुपयों का अनाज लोन लेती आई है। हमारे सामने सब से बड़ी समस्या है, वह फूड प्रोब्लम की है और वह तभी ठीक हो सकती है जब हम जमीन का इन्तजाम ठीक तरह से कर सकें। इसलिये जमींदार हो या जागीरदार हो, इसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान उनको देना चाहिये और फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिये। फ्रॉड को रोकने का एक ही तरीका है और वह यह कि उन लोगों पर

(श्री पी० के० चौधरी)

कानून लागू किये जावें जिससे वे आयन्दा फ्रॉड न कर सकें और टीक हो जावें। जिस समय जमीनों का हल हो जावेगा, तो दूसरी बातों का भी हल अपने आप हो जावेगा। इसलिये इसके बारे में माननीय सदस्य को बराबर यकीन दिलाना चाहिये। हमें छोटे से छोटे फ्रॉड को रोकना है, या जो लोग फ्रॉड से फायदा उठाते हैं या जिनने उठाया है, उन लोगों के लिये यह रेमेडी है। इसको इस प्रकार का इश्यु नहीं बनाया जावे और फ्रॉड को रोका जावे।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय चेयरमैन महोदय, जो सरकार की ओर से सदन के अन्दर बिल पेश किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, यह एक ऐसा अमेन्डमेन्ट है जो बहुत ही लाज़िमी है। इस अमेन्डमेंट पर किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिये था, चाहे हम लोग इधर के हों चाहे उधर के बैठने वाले हों, क्योंकि इस अमेन्डमेंट में ऐसा प्रोविजन है कि जो व्यक्ति भूतपूर्व जागीरदार थे और जिन्होंने, जमीनें खुदकाश्त में जितनी मिलनी चाहिये थीं उससे ज्यादा जमीन किसी तरह से प्राप्त कर ली, चाहे किसी तरह से हो, चाहे किसी सम्बन्धित अधिकारी को रिश्वत देकर, चाहे मिनिस्टर महोदय से मिलकर, यदि किसी जागीरदार ने नाजायज फायदा उठाया तो उसको दंड मिलना चाहिये। सभापति महोदय, इस अमेन्डमेंट का विरोध करके हम एक प्रकार से गैर कानूनी कार्यवाही को करने के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं एक बात को मानता हूँ कि चाहे गैर कानूनी काम करने में कोई भूतपूर्व जागीरदार हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, जो कानून को तोड़े, उसको अवश्य सजा मिलनी चाहिए। पहले कानून के जरिये इस प्रकार के लोगों को सजा नहीं दी जा सकती थी और इसी वजह से बीकानेर के कई उद्योगपतियों ने नाजायज फायदा उठाया। कुछ मेरी तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भावावेश में आकर कहा कि जागीरदारों को मार रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहूँगा कि उनकी यह जो धारणा है वह टीक नहीं है। जागीरदारी प्रथा तो समाप्त हो गई और उनको मुआवजा दिया गया है। इस मुआवजे के सम्बन्ध में अभी अभी मेरे एक माननीय मित्र कह रहे थे कि जागीरों के एवज में जो मुआवजा मिला है वह काफी ज्यादा है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से काफी फेसिलिटीज़ दी गई हैं। जागीरदारों को मुआवजा ज्यादा दिया गया, खुदकाश्त के लिये जमीन ज्यादा दी गई, इसी तरह से कोई पर्मिट भी लेना होता है तो जागीरदारों को पहले देते हैं। जागीरदारों के गांवों में जो खुदकाश्त की जमीन होती है उसमें मुरब्बे भी दिये हुए हैं। राजस्थान केनाल एरिया में खातेदारी राइट्स देना नहीं चाहते, लेकिन जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के नीचे खुदकाश्त की जमीन केनाल एरिया में जागीरदारों को दे रखी है और उनको खातेदारी राइट्स भी मिल चुके हैं। इसमें सरकार ने काफी उदारता का परिचय दिया है। मेरे जागीरदार साथी जो भावावेश में बातें कर रहे हैं, उनके प्रति हमदर्दी है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब किसी के अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो मन काफी विचलित हो जाता है। मन विचलित हो जाने के कारण काफी ऐसी बात कहने लग जाता है जो समयानुकूल नहीं होती। इन शब्दों के साथ सदन से निवेदन करूंगा कि यह कानून बहुत अच्छा कानून है, इसलिये इसे जल्दी से जल्दी पारित करें।

४. ३. म. प.

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल पेश हुआ है यह बिल सीधा और सच्चा बिल है । इसमें यह बात बताई गई है कि जो जमीन धोखे से ले ली गई है उसको वापिस ले लिया जाय और उसमें तीन साल की सजा का भी प्रावधान रखा है । यह सचमुच हमारे चरित्र पर निर्भर करता है । इसके पेश होते ही कुछ हमारे उधर बैठने वाले मित्र यह समझ बैठे हैं कि इसका सीधा वार उन पर होगा । मैं नहीं समझ पाता कि जागीरदारों में कोई ऐसे लोग हों । मैं बड़े अदब के साथ और नम्र शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से, जो जागीरदार थे या आज भी कहलाते हैं, यह कहना ठीक समझता हूँ कि उन्हें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, यदि वे सच्चे और ईमानदार हैं तो । यह भी उधर से कहा गया कि इस राज्य में हमारी जमीन, हमारे मकान, जायदाद आदि छीन लिये हैं । यह कहना उनकी भूल है, सभापति महोदय । ये जागीरें, जो उनसे ली गई थीं ये उनकी नहीं थीं, जनता का तकाजा था, जो जनता की चीज उनके पास थी, जनता ने उसे वापिस मांगा । राजस्थान प्रान्त की बहबूदी के लिये माँगा और उसमें आपने सहयोग दिया......

श्री मदनसिंह दांता : कहीं आपने भाषण में सुन लिया होगा ।

श्री सूबेदारसिंह : (जारी) भाषण में सुना है, किन्तु यह तथ्य है कि आपने अपनी जागीरें समझौते के आधार पर दीं, जिस प्रकार आपको मिली थीं, कहीं किसी राज्य स्थापित करने के उपलक्ष में या तलवारें चलायीं, उनके लिये । तो जनता में जब समझौता हुआ, जनता ने आपसे उनको वापिस ले लिया । आपने अपने पास से दिया कुछ नहीं । इसके लिए आपको भी यह सोचना पड़ेगा कि दुनियां किधर जा रही है, प्रजातंत्र की तरफ......

श्री मदनसिंह (दांता) : केरल की तरफ ।

श्री सूबेदारसिंह : आप केरल की बातें करते हैं, जागीरें तो रूस और चीन में भी समाप्त हुईं । लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है, जनतन्त्र के आधार पर यहाँ कार्य हुआ, आपको जागीरों के एवज में मुआवजा दिया गया । यह कोई भूलने की बात नहीं है, हेर-फेर क्यों होता है······

श्री मदनसिंह : पाकिस्तान में क्या हुआ है ?

श्री सूबेदारसिंह : हमें उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं और न हम उधर जाना ही चाहते हैं । पूज्य बापू के नेतृत्व में हमने व्रत लिया है कि हम मन से, वचन से और कर्म से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे ; इसीलिये कांग्रेस सरकार का साफ व्यवहार रहता है, वे मन से, वचन से किसी का बुरा करना नहीं चाहते । आपने जनता के साथ सहयोग दर्शाया और जनता के कहने पर आपने इतनी बड़ी जागीरें सौंप दीं । इसमें सिर्फ उन लोगों के लिए कहा गया है, जिन जागीरदारों ने धोखा देकर जमीनें ले लीं, उनसे वापिस लेने की बात है । इसके लिये तो आपको एकमत होकर कह देना चाहिए, वापिस ही नहीं ली जानी चाहिए, बल्कि ऐसी हरकतें करने वालों को सजा भी होनी चाहिए। एक बात का अवश्य दुःख होता है, इस प्रकार गवर्नमेन्ट और जागीरदारों के बीच समझौते के मुताबिक जागीरें ली गईं लेकिन जो काश्तकार पहले से जमीन पर आबाद थे

(श्री सूबेदारसिंह)

उनको भी बेदखल कर दिया गया। शायद सरकार ने उसको मान भी लिया, वे काश्तकार पुश्तों से काश्त करते आ रहे हैं, उन्हें बेदखल नहीं किया जाना चाहिये। अगर बेदखल किया जाता है तो उसके बदले में जमीन दी जाती।

कुछ मित्रों ने पहले से ही ज्यादा जमीन ले रखी होगी या दूसरे इलाके में भी अपने नाम से जमीन ले ली होगी। ऐसी हालत में मैं मेरे मित्रों से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि धोखा देने से धोखा खाने वाला अच्छा है। हो सकता है कि कलेक्टर को धोखा देकर या जो इसके लिये कमेटी है उसको धोखा देकर, आपने जमीन हासिल की होगी। तो मेरा यह कहना है कि धोखा देने से धोखा खाने वाला अच्छा है। यहां पर बैठे हुए कमेटी की सिफारिश पर कलेक्टर ने आपको जमीन अलॉट कर दी होगी। वैसी हालत में जब जांच हुई तो मालूम पड़ गया। जब वापिस मांगते हैं, तो उसमें आपको परेशानी किस बात की? यह जो बिल आया है उसके लिए हमें बड़ी सहृदयता और गौरव के साथ इसे स्वीकार करना चाहिये। जब आपने बड़ी-बड़ी जागीरें दे दीं, अपने प्रान्त की भलाई के लिये सब कुछ दे दिया, तो जब आपके चरित्र का इम्तहान हो रहा है, तो आपने जो कुछ जमीन धोखे से ले रखी है, उसे वापिस कर दें। यह तो आपको करना ही है, आप मना कर नहीं सकते। मैं कहना तो नहीं चाहता, ये आपकी जागीरें ब्रिटिश शासन के समय भी थीं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ हुई, आप मुझे माफ करें, ब्रिटिश शासन को हटाने में कांग्रेस, जनसंघ और रामराज्य परिषद् वाले भी ये नारे लगाते थे कि हम राजाओं का राज्य नहीं रहने देंगे, जागीरें नहीं रहने देंगे। आज देश को कांग्रेस के जरिये स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसका कॉन्स्टीट्यूशन बना, उसके मुताबिक चुनाव हुए और विधान सभाएं बनीं, आप भी जनता से चुनकर आये। उन्हीं नारों के आधार पर आप यहां आये, लेकिन जब आपके स्वार्थ पर कुठाराघात होता है तो आप चिन्ता करते हैं, मैं जागीरदार भाइयों से ऐसी आशा करता हूं। सबने तो ऐसा कार्य नहीं किया, हो सकता है, एक-दो ने धोखा देकर जमीन ले ली होगी तो क्या आप उसको इसी तरह रखना पसन्द करेंगे? नहीं, आप भी यह नहीं चाहेंगे। आज फिर से आप हमारे साथ में आये हैं, इसलिये जो काश्त करते हैं उनके साथ काश्तकारों का सा बर्ताव होगा। यह भी कहा गया कि कुम्भाराम ने काफी जमीन ले ली है। मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जब सीलिंग का समय आयगा तो उनसे भी, जो ज्यादा होंगी, वह छीन ली जायगी। बिड़ला और टाटा की भी बात कही गयी। वह भी समय आने पर सब ठीक हो जायेंगे। जनता की मांग के खिलाफ जो टकरायेंगे, वे रह नहीं सकते, निश्चय ही बर्बाद हो जायेंगे। समय आने पर फैक्ट्रियों का भी नेशनलाइजेशन होगा। जनता का जो तकाजा है उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिये मैं नम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो आपकी कोई सम्पत्ति नहीं थी, वह आपसे जनता ने ले ली, जिसको जरूरत थी, उसने ले ली। इससे आपका लेना देना है क्या?

श्री मदनसिंह दांता: सीलिंग को रोकना फ्रॉड नहीं है क्या?

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, जागीर रिजम्प्शन बिल का जो आठवां संशोधन सदन के सामने आया

(श्री मोहरसिंह)

है उस पर कई सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। इस अमेन्डमेन्ट को देखकर यह कहना पड़ेगा कि यह समयोपयोगी और वास्तव में एक अच्छा अमेन्डमेन्ट रखा है। कृषि-सुधार के लिये यह जरूरी है और आज हम इस सिद्धान्त को मानकर चलते हैं कि जमीन जोतने वाले की होनी चाहिये, यह कृषि-सुधार का मूलभूत आधार है। इससे जहां-कहीं भी इधर उधर होते हैं, वहां हमारा यह सिद्धान्त टूटता है, वहां हमारे कृषि सुधार की स्थिति पर आघात पहुँचता है। तो इस समस्या को लेकर यह अमेन्डमेन्ट रखा है, जिसकी मंशा में औचित्य मालूम होता है। हो सकता है तरीकों में भेद हो। पर मंशा दोनों पक्षों की ठीक है। जो जमीन प्रारम्भ में गलत तरीके से या फरेब से ले ली गई हो, वह वापिस की जावे और गलती करने वाले के खिलाफ सजा की कार्यवाही हो। जहां तक कानून का और औचित्य का सवाल है, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर यह न हो तो काम नहीं चल सकेगा, कोई क्रान्तिकारी सुधार हम आगे नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी बताया गया, राजस्थान केनाल के आने का नाम सुनकर वहां के बहुत से पुराने जागीरदारों ने फरेब से बहुत सी आस पास की जमीन अख्तियार कर ली है या खुदकाश्त के नाम से ले ली है। और भी कई जगह के केस मालूम हुए हैं इस तरह के, काफी जमीन हस्तगत की है। कहीं राजपुरा का जागीरदार कहीं, ददेरवा का जागीरदार; वास्तव में इस तरह से काफी जमीन ले ली गई है। अतः इसके लिये जो यह अमेन्डमेन्ट आया है सो ठीक है। वह जमीन वापिस होनी ही चाहिये। गलत बयान देकर जो जमीन ले ली गई है उसके लिये सजा का भी प्रॉविजन है, वह भी औचित्य से दूर नहीं है। उसमें भी कोई अनौचित्य मुझे तो नहीं दीखता। एक साथी ने यह भी बताया कि इसमें बेईमानी करने में, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का भी कम हाथ नहीं है। तो मेरा तो यह कहना है कि कानून सबके लिये एक है, और एक होना चाहिये। फिर एक ने यह भी कहा कि आज सरकारी पार्टी के लोगों ने भी इस तरह से काफी जमीन ले रखी है, तो उनके लिये भी कानून एक सा होगा। होना भी चाहिये। मेरा जहां तक समझना है, इस प्रकार की चीज समझकर सरकार चलेगी।

इन सब बातों के साथ हमेशा एक चीज हमें सामने रखकर चलना चाहिये कि जमीन उसको मिले जो उसको जोतता है, नहीं तो अनाज की पैदावार में दिक्कत आवेगी। गलत ढंग से जमीन पड़ी न रहे, यह भी देखना होगा। ज्यादा से ज्यादा जमीन जोतने वालों के पास जावे, यह ध्यान रखना है। इस मंशा से यह प्रस्ताव लाया गया है, इसलिये इस अमेन्डमेन्ट का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : राजस्थान में जागीर पुनर्ग्रहण आदि जो भूमि सुधार के कानून बनाये गये, वे इसलिये बनाये गये थे कि जितनी भी जमीन है वह जोतने वालों को मिले और सरकार और काश्तकारों के बीच सम्बन्ध सीधे कायम हों, बीच वाले हट जावें। पर बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आई कि जिससे जागीर पुनर्ग्रहण कानून करीब करीब बे असर होने लगा और खुदकाश्त में जितनी जमीन वाजिब समझी जानी चाहिये, उससे कहीं अधिक जमीनें जागीरदारों ने कहीं २ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर और उन लोगों को रिश्वतें देकर या अन्य तरीकों से फुसलाकर अपने

(श्री सम्पतराज जैन)

नाम पर पटवारी के पास के अन्य सरकारी कागजातों में इन्दराज करवाकर हस्तगत कर लीं। इसलिये जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट में इस आठवें संशोधन अध्यादेश की जरूरत पड़ी है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि चाहे उधर के सदस्य हों या इधर के हों, जो किसानों का हित चाहते हैं और यह चाहते हैं कि जमीन उसके पास जावे जो उसको जोतता है और बोता है और जिसका उस पर वाजिब अधिकार है, उनको इस अध्यादेश में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। वे इस अध्यादेश पर ठंडे दिल से भूमि सुधार के पोइन्ट ऑफ व्यू से विचार करें। जागीरें सौंपना खुशी से आपने माना है, फिर अगर व्यक्तिगत स्वार्थ वश गलती से कहीं किसी ने इन्द्राज करा लिया है और उस गलती को सुधारने के लिये कोई अध्यादेश आता है तो उसका तो आपको हार्दिक समर्थन, करना चाहिये। इस दृष्टि से मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): माननीय चैयरमैन महोदय, मैं, इससे पहले कि, जो इसका अपोजीशन हो रहा है, उस पर बोलूं, मैं सबसे पहले सरकार की इस ऑर्डिनेन्स पॉवर को इस्तेमाल करने की मनोवृत्ति का विरोध करूंगा और यह विरोध बराबर करता रहूंगा जब तक कि अमेन्डमेन्ट आवेगा। मैं यह नहीं समझ सका अभी तक कि आखिर जब हमने देश में जनतन्त्र प्रणाली अपना ली है और हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे यहां प्रोपरली फंक्शन करे और उसका रिज़ल्ट जनता के सामने आवे, उस प्रणाली को न अपना कर यह राजस्थान सरकार इस लेजिस्लेचर बोडी को इतना कम काम में लेना चाहती है कि जैसा अभी एक मित्र ने बताया कि ५ महीने और २६ रोज हो जाने के बाद जब इस लेजिस्लेचर को बुलाने की आखिरी मजबूरी की सीमा आ गई तब बुलाया है। ऐसी स्थिति में अगर यह सरकार इस लेजिस्लेचर से काम नहीं लेना चाहती तो साफ कह दिया जावे कि राजस्थान में इस लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं, यहां जनता के रिप्रज़ेन्टेटिव्ज़ की राय की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति रूल चाहते हैं। सरकार इस ऑर्डिनेन्स पॉवर को ६ महीने तक एक्सर्साइज़ करना चाहती है। मैं नहीं समझता कि वह कॉन्स्टीट्यूशनल इन्स्टीट्यूशन्स का क्यों नहीं फायदा उठाना चाहती है? वह क्यों डरती है, यहां उसका बहुमत है, यहां जो चाहे करा सकती है पर फिर भी वह इससे कतराती है। यह क्यों? आखिर अब तो जाकर राजस्थान में डेमोक्रेसी कायम हुई। अभी लेज़िस्लेचर कायम हुई और अभी से आप उसकी उपेक्षा करने लग गये। कम से कम डेढ़ साल होने आये, इस डेढ़ साल तक मैं अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जाकर अपने रिप्रज़ेन्टेटिव्ज़ को यह नहीं कह सकता कि मैंने १॥ साल में यहां कोई ऐसे कानून बनाने में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो जो जनता के लिये महत्वपूर्ण हों या उनके हित में हों। जो महत्वपूर्ण कानून हैं उनका श्रेय तो ऑर्डिनेन्सों ने ले लिया और ऑर्डिनेन्सों के द्वारा सरकार ने छः महीने में असेम्बली बुलाई और वह भी तब बुलाई जब आप मजबूर हो गये बुलाने के लिये। इससे लगता है कि इस लेजिस्लेचर का आप मैग्ज़िमम यूज़ नहीं लेना चाहते और प्रान्तों में अब तक दो-दो, तीन-तीन बैठकें हो गईं। ऑर्डिनेन्स पॉवर आज भी कॉन्स्टीट्यूशन में है। पहले हमारे गवर्नर और गवर्नर-जनरल ऑर्डिनेन्स की पॉवर एक्सरसाइज़ करते थे और उनके अगेन्स्ट में हम बहुत जोर से आवाज़

(श्री श्रीमानसिंह)

उठाते थे और इस बात को जोर देकर कहते थे कि जो कानून हो लेजिस्लेचर के सामने आना चाहिये। लेजिस्लेचर का मैक्जिमम यूज होना चाहिये। जिस चीज को हम जोरों से क्रिटिसाइज़ करते थे वही आज हम आसानी से कर रहे हैं। तो यह हालत हमारी आज है।

मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी की सही भावना अगर ऊपर होगी नहीं, अगर ऊपर वाले ही ठीक तरह से डेमक्रेसी को नहीं अपनावेंगे तो नीचे लोकल बोडीज़ और पंचायत वगैरह भी ठीक तरह से डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन नहीं कर सकेंगी क्योंकि वे भी आखिर ऊपर वालों को देख कर चलना चाहती हैं और बुराइयों में, खराब बात में, गलत चीजों में आदमी नकल बहुत जल्दी करने लगता है। वे भी पूछते हैं कि सदन की बैठक नहीं हो रही है, क्या कोई महत्वपूर्ण कानून नहीं बन रहा है, यह ऑर्डिनेन्स क्यों जारी होता है ? तो उनको क्या कहा जावे ? उनको क्या यह कहा जावे कि गवर्नमेन्ट ही यह ऐसी है, यह नहीं बुलाती। आपको नुमाइन्दों की राय नहीं चाहिये। अगर एक-दो सैशन बीच में और कर लिया करते और उनमें ये कानून ले आते तो ऑर्डिनेन्सों की जरूरत नहीं पड़ती। इन ऑर्डिनेन्सों में जो बातें हैं, मैं उनकी बातों से, उनके सिद्धान्तों से सहमत हूँ, पर आप ऑर्डिनेन्स पॉवर एक्सरसाइज़ करें, इस पॉवर का कभी समर्थन नहीं कर सकता।

अब मैं इस बिल में जो सिद्धांत हैं उन पर आता हूं और यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य क्यों इसके लिए अपोज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वह आइडेन्टीफाई करते हैं जागीरदार और बिस्वेदार के इन्टरेस्ट को। दूसरी तरफ आर्ग्यु करते हैं कि ऐसी युनिफार्मिटी रखने के लिए करना चाहिए। तीसरी तरफ आर्ग्युमेन्ट देते हैं कि यह तो एक किसी कास्ट के ऊपर या वर्ग विशेष के ऊपर लागू होता है। मैं यह कह देता हूं कि यह खामियां या गलतियां जो कुछ हुई, वह इस कारण कि जैसा मैंने कहा था कि यह जो खुदकाश्त का क्लॉज था उसकी ड्राफ्टिंग में लेकुना रह गया और उस लेकुना की वजह से इसका युटीलाइज़ेशन मैग्ज़ीमम किया। जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया कि १० हजार बीघा जमीन खुदकाश्त में ले ली तो यह खुदकाश्त में आई कैसे ? उसका कारण यह होगा कि वहां पर पेपर्स नहीं थे। फ्यूडल स्टेट के टाइम में रेवेन्यू आफिसर नहीं थे और जो तीस-पैंतीस रुपये के पटवारी होते हैं उनसे दर्ज करवाई थीं जमीनें और वे भी पैसे देकर दर्ज करवा ली, क्योंकि यहां तक हो सकता है कि एक बड़े ठिकाने के रिज़म्पशन के अन्दर, गजट के अन्दर नाम ओमिट हो जाता है उसके लिए राज्य सरकार को एक एक्स्ट्राआर्डिनरी गजट निकालना होता है। तो फिर पटवारी तो एट एनी टाइम लाएबल है कि पेपर्स को टेम्पर कराया जा सकता है और टेम्पर कराके, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, जागीरदारों ने अपने खुदकाश्त के अन्दर इतनी जमीन ले ली कि जिस मकसद से समझौता जागीरदारों ने किया था उसका मकसद यह था कि आप खुदकाश्त के लिए अपने एरिया के अन्दर पचास बीघा जमीन है, तो २५० बीघा ले लो। समझौते के अन्दर बेटर टर्म्स बारगेन की ले ली गई, लेकिन यह उसमें नहीं था कि सारी जागीर को ही खुदकाश्त कर लो और पुराने टिनेन्ट्स को आप इजेक्ट कर लीजिए। फिर मैं नहीं समझ सकता कि

(श्री श्रीभानसिंह)

पीजेन्ट्स और जागीरदार को आइडेन्टीफाई करते हैं, यह कभी नहीं हो सकता कि जागीरदार, जमींदार और विस्वेदार कभी अपने इन्टरेस्ट को आइडेन्टीफाई कर दें। यह तो राजस्थान के अन्दर स्ट्रक्चर रहा है कि हमेशा टीनेन्ट्स ने अपनी आवाज उठाई है और रूलिंग क्लास और उनके इन्टरेस्ट को क्लैश करती है। जो शासन करने वाले हैं और दूसरों की महनत से और पैसे से अपने स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं और मेग्जिमम इनकम लेते हैं और दूसरी ओर वह पोवर्टी के लिए कन्डैम होते हैं। यही उनकी हालत है; ill fed, ill-clad and ill-housed.

यह उनकी हालत रहती है। वह दोनों के इन्टरेस्ट के लिए कहते हैं कि जमींदार और जागीरदार दोनों के इन्टरेस्ट एक हैं। मैं नहीं समझता कि दोनों के इन्टरेस्ट कहां पर कौनसाइड करते हैं? क्योंकि जहां तक एग्रीकल्चर की प्राग्रेस थी उसको अपने इन्टरेस्ट की वजह से जागीरदार ने रिटार्ड किया। जब आपकी जागीर रिज्यूम हुई तो आपने मेग्जिमम फायदा लिया और वह फायदा ऑनेस्टली नहीं लिया। वह फायदा आपने फ्रौड्यूलेन्टली और मिस-रिप्रजेन्टेशन करके लिया और इस तरह काश्तकारों के हकों पर इस इन्सटीट्यूशन द्वारा उनके स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग पर कुठाराघात करते आये, हम उनको नीचे सप्रेस करते आये। इस चीज को आज हम देख रहे हैं और फिर भी इस डेमोक्रेसी के टाइम में ड्राफ्टिंग लेकुना रह गया और उसका एडवान्टेज लिया गया। वह भी ऑनेस्टली नहीं है फ्राड्यूलेन्टली और मिस-रिप्रजेन्टेशन करके। यह उन जागीरदारों को, जिनके पास इन्कम है, जिनका रहन सहन अच्छा है; जिनके पास पैसा है, शोभा नहीं देता कि वह मिस-रिप्रजेन्टेशन से जमीन ले लें। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अपोजीशन है वह मुझे इस तरह का लगता है कि जिसका कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। आप यहां जनता के रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं और जीतकर आये हैं; ठीक है, मगर पूरे राजस्थान का दृष्टिकोण लेकर इसे देखना चाहिए। व्यक्तियों के साथ अन्याय भी हो सकता है और मैं यह नहीं कहता कि अगर किसी जागीरदार ने हजारों बीघा जमीन ले ली है और वह भी मिस-रिप्रजेन्ट करके, उनसे यह नहीं लेनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि उनसे वह जमीन लेनी चाहिए क्योंकि उनको कोई हक नहीं था मिस-रिप्रेजेन्ट करने का। चाहे उनकी हालत गिरते गिरते टिनेन्ट्स के बराबर आती है तो भी उनको कॉन्सीकेन्सेज भुगतने चाहिए। अगर फ्राडुलेन्टली कोई पैलेस बना लेता है या महल बना लेता है और फिर वह कहता है कि मेरा तो लिविंग ही इससे है तो क्या यह कोई टोलरेट करेगा; उसको टोलरेट नहीं किया जा सकता, चाहे इसके लिए उस पर फाइन हो या इम्प्रिजनमेन्ट हो। यह तो अपने अपने एक्शन्स की बात है। अगर किसी के एक्शन्स अच्छे होंगे तो उसके रेट्रोगेशन अच्छे होंगे, अगर किसी के एक्शन्स खराब होंगे तो we should be prepared. तो जो चीज खराब है उसको दूर करने के लिए कानून बनता है। तो जिनके पास काफी जमीन है और पेपर्स से जमीन ली है तो ठीक है और यह क्लियर है कि किसी ने फ्रॉडुलेन्टली और मिस-रिप्रजेन्टेशन से जमीन ली है तो उन पर एक्शन होना चाहिए। अगर इसकी खिलाफत की जाती है तो इससे

(श्री श्रीभानसिंह)

तो ऐसा लगता है कि सिर्फ खिलाफत के लिए ही खिलाफत की जा रही है। चाहे फ्रॉड कोई भी करे, सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। इसके लिए बिड़ला की एग्जाम्पल और डालमिया की एग्जाम्पल हमारे सामने है। डालमिया ने फ्रॉड किया तो उस पर भी केस चल रहा है। अगर यह गवर्नमेन्ट ही फ्रॉड को सपोर्ट करेगी तो गवर्नमेन्ट नहीं रह सकती। यह तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि नीचे की जो मशीनरी है उससे पेपर्स डेस्ट्रॉय करा दिये। इसलिए यह जो अमेन्डमेन्ट है यह काफी अच्छा है और अमेन्डिंग बिल को स्वीकार करना चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति, राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन आफ जागीर्स (८वां अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ के तहत जो संशोधन रखा गया है, इस संशोधन को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह संशोधन बहुत साफ है और इसको स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों के सामने इस प्रकार के अनेक उदाहरण होंगे, जहां जागीरदारों ने कुछ ऐसी जमीनें अपने नाम से गलत तरीके से लिखवा ली हैं जिनको उनके जेली या काश्तकार काश्त किया करते थे और जो कानूनन उनको मिलनी चाहिए। अभी राजस्व मन्त्री महोदय यहां विराजमान हैं। अपने इलाके का एक केस उनके सामने लाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने सारी शक्तियां इस संशोधन के साथ अपने हाथ में ले ली हैं। "Not with standing anything contained in Section 19 or in the rules made under this Act, the State Government, upon a complaint in writing made in that......" तो स्टेट गवर्नमेन्ट ही पॉवरफुल है। तो राजस्व मन्त्री महोदय के सामने एक कम्प्लेन्ट लाया हूँ और वह इस तरह की है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर गालवा के जागीरदार ने कितने ही वर्षों से काश्त की जाने वाली उन काश्तकारों के नाम की जमीन मांजी साहब के नाम से लिखवा ली है और उसके अन्दर एस० डी० ओ० का हाथ है और उसने साथ दिया है और उन काश्तकारों को अदालत में यह बतलाया गया कि यह जमीन उनके नाम से बांट दी गई है और जब एक महीने की मियाद गुजर गई और पट्टे लेने के लिए गये तो मालूम हुआ कि वह जमीन जागीरदार की मां की है। इसलिए वे अब बेचारे अपील भी करने के काबिल नहीं रहे हैं। यह तो एक उदाहरण दिया है। ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तहसील डिगोद का भी एक उदाहरण है। लेकिन मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को लेकर हम जहां आपसे चाहते हैं कि जो इस तरह के गलत तरीके से जागीरदारों ने अपने कब्जे में जमीन कर ली है उसे सही काश्तकारों को दिलवाया जाय। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह कार्य राज्याधिकारियों की भूल से नहीं हुआ बल्कि जान बूझकर उन्होंने ऐसा किया है और इसका कारण यह है कि उन्होंने उसमें कुछ खाया है।

तो मैं इसमें चाहता हूं कि जिस प्रकार का संशोधन वह ला रहे हैं वह इस प्रकार का संशोधन आप कल जब इस पर विचार हो तो लायें कि इस प्रकार से राज्याधिकारी भी दंडित होंगे, जिन्होंने जान बूझ कर, यह जानते हुए कि शायद २–३ साल से फलां काश्तकार काश्त कर रहा था और आसामी की तरह से

Page No.91

(श्री दयाकृष्ण विजय)

और दूसरी तरह के काश्तकार की तरह से काश्त कर रहा है, उन काश्तकारों के खाते में बंधना चाहिए था वह खेत लेकिन दूसरे जागीरदार के खाते में बांध दिया है। इस प्रकार के जिम्मेदार सारे अधिकारियों को दण्ड मिलना चाहिए। इस प्रकार से कार्यवाही करके कि जागीरदारों ने ऐसा किया है, यदि उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो वह एक पक्षीय कार्यवाही होगी, क्योंकि एक पक्षीय कार्यवाही से सरकारी रेकार्ड नहीं बदले जाते हैं। सरकारी रेकार्ड तो दोनों की मन्शा से ही बदले जा सकते हैं। यदि बड़े से बड़ा आदमी पहुँच जाय तो भी पटवारी रेकार्ड को तब्दील नहीं करता है लेकिन पटवारी की जेब में पैसा पहुंच जाता है, तो पैसे की कीमत सब बड़े आदमियों से ज्यादा है। वह सब काम करवाता है, तो आखिर जिस प्रकार से इस प्रकार का इन्द्राज जिसने किया है वह अधिकारी भी उतना ही दोषी है, उनको भी उतना ही दंड मिलना चाहिए। फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दोनों ही आदमी जिम्मेदार हैं गलती का इस प्रकार का प्रावधान इसमें नहीं है। केवल जागीरदार से जमीन लेना ही इसमें रखा गया है। यह ठीक है कि जमीन लेनी चाहिए, लेकिन अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा जिस प्रकार के अलॉटमेंट देखने को मिल रहे हैं उनके कुछ नजारे में आपके सामने रखना चाहता हूं।

अलॉटमेंट कमेटी ने इस प्रकार की जमीन अलॉट कर दी है कि जो चरागाह की जमीन है या शमशान की भूमि है श्मशान की भूमि पर से जब कभी वे उठाये जाते हैं, तो क्या होता है कि यह तो अलॉटमेंट कमेटी ने किया है। इसमें न कुछ होगा न जाना और आना पड़ेगा। सारे झगड़े वहां चलकर खत्म हो जाते हैं। लोग भाग मिलते हैं तहसीलदार से, एल. डी. ओ. की कोर्ट तक जाते हैं लेकिन होना जाना कुछ नहीं। सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने भी इस प्रकार से जमीनें श्मशान में बांध दी हैं। सारी चीजें हो गई। ज्यादा गलती एक तरफ से हुई हो, ऐसा नहीं है। जागीरदारों की तरफ से ही हुई हो, ऐसा नहीं है। सरकारी अधिकारियों की तरफ से भी होती हैं। हमको उन बातों को ध्यान में रखना है।

यहां पर जागीरदारी समाप्त हुई और जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनसे संभवतः सामूहिक गलतियां हुई हैं उनको लाना संभव नहीं था। तो मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बिल के साइमलटेनियसली, इसके बराबर ही या इसके अन्तर्गत इस तरीके का एक बिल और लाते कि जितना भी अलॉटमेंट कमेटी द्वारा अलॉटमेंट होता है और वे लोग जो जमीनें रखते हैं, लेकिन अपने आपको लैण्डलेस बताते हैं और जमीनें अलॉट करा लेते हैं, ऐसे लोगों को भी सजा मिलेगी और उनसे जमीन वापिस लेने का प्रावधान होना चाहिए। हम केवल एक जगह रद्द करते हैं और दूसरी जगह चुप हो जाते हैं यही बात होती है कि माननीय मंत्री महोदय पर पक्षपात का आरोप लोग लगाते हैं और लोगों की आत्माओं पर ठेस पहुँचती है। जैसा जागीर रिजम्पशन बिल आया है वैसे ही अब जमींदारी का बिल आज आ रहा है। जब कि जागीरदारी एबोलिशन बहुत पहले आ गया है और जागीरदारी खत्म कर दी गई है। अब सीलिंग का प्रश्न है। सीलिंग का ऐसा प्रश्न है कि उससे न जागीरदार छूटते हैं और न जमींदार छूटते हैं, न बड़ा काश्तकार सुखी होता है और न छोटे काश्तकार दुखी होते हैं। लेकिन आप सीलिंग का प्रश्न

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कब से ला रहे हैं ? सीलिंग के डर के मारे लोगों ने जमीनें बांट ली हैं। अपने भाई-बेटों के नाम जमीनें कर दी हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम जमीनें कर दी हैं। कुछ इधर-उधर जमीनें बदल दी हैं। आज उस बांटे जाने के लिए, ट्रान्सफर को रोकने के लिए बिल लाया जा रहा है तो वह कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ पड़ेगा। ट्रान्सफर की रोक-थाम करनी ही थी तो आपको सीलिंग लाना चाहिए था। न मालूम किस वजह से रोक रखा है। उस बिल को पहले लाइये। इससे अगर किसी ने जमीन नाजायज़ तौर पर ले ली है, किसी ने अपने पास कर ली है तो वह अपने आप समाप्त हो जाती है। इस चीज को रोकने का एक ही साधन है और वह सीलिंग है। सीलिंग को नहीं ला रहे हैं। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट कभी सिलेक्ट कमेटी को और कभी दूसरी कमेटी को सुपुर्द करने की बात की जाती है, लेकिन इस प्रकार के संशोधन लाकर किसी एक पक्ष को हानि पहुँचाने की मंशा प्रकट की जाती है। हालांकि यह ठीक है कि इस प्रकार के केस मैंने आपके सामने रखे हैं उनको लिया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए। यदि उनको नहीं करते हैं तो ऐसे बिल से लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचती है कि हम ही हम को परेशान किया जाता है, दूसरे लोगों के साथ रियायत की जाती है। इस प्रकार की अगर बात नहीं है तो जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता जागीरदार बन्धुओं (भूतपूर्व) ने आज यहां कहा है कि हमारे लिये इस प्रकार के कानून बनाये जाते हैं, वह वास्तव में विचारणीय बात हो जाती है। आखिर केवल उन्हीं लोगों के लिये इस प्रकार के कानून बनाने के लिये पहल की जाती है जब कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में हजारों बीघा जमीन लिये हुए बैठे हैं। बड़े बड़े चौधरी बैठे हैं, जिनके लिए हम मौन हैं। इसलिये सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने में हम पहल नहीं करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उनके साथ पक्षपात होता है। उसको दूर करने के लिए मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन चीजों को आप पहले लायें ताकि दूसरों की आत्माओं को ठेस किसी प्रकार से नहीं पहुँचे। लेकिन आज इस प्रकार का संशोधन आया है, वह संशोधन बहुत सरल और सीधा है। लेकिन उसमें दोनों पक्षों की गलतियों पर दोनों पक्षों को दण्ड देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इसकी धारा ४१ के अन्तर्गत जो यह अधिकार इम्प्रिजनमेंट का है, वह बहुत अधिक है। इस तरह से इम्प्रिजनमेंट करने की बात रखते हैं तो उससे काश्तकारी नष्ट हो जायगी। यदि आप सरेन्डर कराते हैं, जमीन को वापिस लेते हैं तो वही दण्ड काफी है। यदि उन्होंने किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट किया है जमीन में, तो इम्प्रूवमेंट का मुआवजा देने का प्रावधान इसमें नहीं है। जमीन वापिस लेते समय, जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट उस जमीन में किया है, उस जमीन के इम्प्रूवमेंट का मुआवज़ा उनको मिलेगा या नहीं ? अब आप कहेंगे कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने नाजायज़ तरीके से कब्जा किया है। मैं मानता हूँ कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नाजायज तरीके से धोखा देकर उसको अपने कब्जे में किया है। लेकिन कई लोगों ने उसमें इस प्रकार का इम्प्रूवमेंट किया है, उस पर काफी पैसा लगा है, ऐसी जमीन की तरक्की के लिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को लाने से पहले यदि इसमें ये बातें और दुरुस्त कर दी जांय

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कि यदि हम जमीन को वापिस लेते हैं और जिन लोगों ने इम्प्रूवमेंट कर लिया है तो उनको इम्प्रूवमेंट का कम्पेनसेशन मिलना चाहिए। सरकारी अधिकारी ने गलती की है तो उसको भी दण्ड मिलेगा या नहीं? इसका भी इसमें प्रावधान होना चाहिए।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में लोगों को लैण्डलेस नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हर आदमी को जमीन काश्त करने के लिए मिले। ऐसे कुछ केसेज़ हमारे सामने भी आ सकते हैं कि जिनकी इसमें कोई सीमा नहीं रखी गई है कि यदि किसी जमींदार या भूतपूर्व जागीरदार ने जमीन ली है, वह उस सीमा से जो कि टिनेन्सी एक्ट की धारा ४२ के अन्दर दिखाई है कि ३० बीघा इर्रिगेटेड और ६० बीघा अनइर्रिगेटेड, अगर बढ़ती है, तो वह ट्रान्सफर नहीं हो सकेगी या किसी के नाम खरीद वगैरह नहीं हो सकेगी इस प्रकार की यदि सीमा हो जाती है और कोई जमीन, नाजायज तरीके से ली गई है और वह सीमा से अधिक नहीं बढ़ती है तो उस व्यक्ति पर दण्ड लगाया जाकर उसे लैंडलेस नहीं किया जा सकेगा, वह जमीन पर काबिज रहेगा। उसको डिसपजेस किया जा सके, इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। इसलिये जो संशोधन लाया गया है वह अधूरा है। जो तीसरी बात निवेदन की इसके अन्तर्गत, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संशोधन को लाने से पहले मिल कर इस बारे में विचार कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि हम इसको लाने में जल्दी करते हैं और रिजम्प्शन एक्ट के अन्तर्गत किसी पक्ष के साथ ज्यादती हो जाय तो यह अच्छा नहीं है। इसलिये आपसी समझौते की भावना से विचार हो सके तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना बहुमत के कारण किसी के साथ अन्याय कर बैठें तो उचित नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि सहानुभूति के साथ बैठ कर आपस में विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय सभापति जी, जिस संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा हो रही है, वह संशोधन विधेयक एक अध्यादेश के रूप में हमारे यहां लागू हो चुका है। सरकार की जो मंशा थी, उस मंशा को कार्यरूप से परिणत किया जा चुका है और अब सरकार इस पर विधान सभा की मुहर लगवाना चाहती है। सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में सरकार को आर्डिनेन्स लाने की क्यों आवश्यकता हुई। इस बारे में माननीय राजस्व मन्त्रीजी का स्टेटमेन्ट इसके साथ में लगा हुआ है। हालांकि इस प्रकार के स्टेटमेन्ट के साथ साथ राजस्व मन्त्री महोदय का एक भाषण भी होना चाहिये था, जिसके आधार पर, जो त्रुटियें थीं, जिनके कारण राजस्थान सरकार को मजबूर होना पड़ा, एक ऑर्डिनेन्स लागू करने के लिये, उन पर सदन ठीक प्रकार से विचार कर सकता। मोटे रूप से बात लिख दी गई कि कुछ जागीरदारों ने गलत स्टेटमेंट देकर गलत रिकॉर्ड के आधार पर खुदकाश्त की जमीन प्राप्त कर ली है और इस एक्ट के अन्तर्गत चल रही प्रोसिडिंग्ज में कुछ गलत स्टेटमेंट्स दिये हैं।

सभापति महोदय, जहां तक कानून के बाह्य रूप को देखा जाय वहां तक मैं समझता हूँ किसी को इस बारे में आपत्ति नहीं हो सकती

(श्री भैरोंसिंह)

कि इस प्रकार का कानून राजस्थान में नहीं बनना चाहिये। यह भी सही है कि इस प्रकार की कई शिकायतें हैं कि कई जागीरदारों ने सरकारी अधिकारियों से मिलकर गलत रिकार्ड बनवाकर ऐसी जमीन पर अधिकार कर रखा है। लेकिन कई ऐसी भी शिकायतें हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही जिन जागीरदारों ने की है उन जागीरदारों को इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये प्रोत्साहन दिया गया है। प्रोत्साहन किसकी तरफ से मिला, इसका उल्लेख अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया था और इस प्रसंग में उन्होंने बताया कि यदि हमने किसी जमीन को जी चाहे किसी तरीके से ली है और सरकार अनुचित समझती है उस तरीके से जमीन पर अधिकार प्राप्त किया है, वैसी सूरत में हमारे सामने दो मुद्दे खड़े होते हैं। पहली बात तो यह खड़ी होती है कि उसने स्वयं ने कोई इस प्रकार की कार्यवाही की है, जिसके कारण उसको जमीन मिली है या यह कार्यवाही सरकारी अधिकारियों के सहयोग से की है। सभापति महोदय, यदि सरकारी अधिकारियों के सहयोग से यह कार्यवाही की जाती है तो फिर यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि इस जमीन के अन्दर जितने इम्प्रूवमेन्ट्स हुए हैं उनका क्या हाल होगा? आज यह कहा जा सकता है कि जिस समय राजस्थान में भूस्वामी संघ का आन्दोलन चला था, सभापति महोदय, उस समय राजस्थान सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न किया गया था कि राजस्थान के जागीरदार इस आन्दोलन में भाग न लें और उन्होंने जगह जगह घोषणा की थी और सरकार की ओर से पब्लिसिटी करवाई गई थी कि जितने जागीरदार हैं, उनमें से जिनके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं है, वे समय निकलने के बावजूद भी खुदकाश्त कमिश्नर के पास दरख्वास्त पेश करें और उसके अन्दर, जहां कहीं भी जमीन मिल सकती है, उसका उल्लेख करके जमीन प्राप्त करें। यह उस समय की घटना है, जिसके कारण राजस्थान सरकार लीनियेन्ट रही। किसी एक जागीरदार ने दरख्वास्त पेश की कलेक्टर के पास, तो कलेक्टर ने तहसीलदार के पास जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी और सैटलमेन्ट विभाग की रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं समझी और जागीरदारों के लिखने पर ही उनको जमीनें मिल गईं और वह इसलिये कि भूस्वामी आन्दोलन में जागीरदार भाग नहीं लेंगे, इस प्रश्न को सामने रखकर सरकार ने जमीन अलॉट करने में लीनियेन्सी दिखाई। यह सही बात है। इस प्रकार की लीनियेन्सी दिखाने के कारण कई भूस्वामी, जो इसमें सक्रिय भाग ले रहे थे, वे सक्रिय भाग न लेकर हां में हां मिलाने लगे और जैसा प्रचार सरकार करना चाहती थी, वैसा ही प्रचार उन्होंने किया, एक तरफ यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो यह कानून उचित है क्योंकि उन्होंने लालच में आकर सेबोटेज किया था उसकी सजा उनको मिलनी चाहिये। लेकिन यह प्रश्न केवल इतना सा नहीं है, इससे भी ज्यादा समस्याएं इसमें छिपी हैं। इस बात के लिये कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राजस्थान में काश्तकारी कानून के अन्तर्गत खातेदारी का अधिकार काश्तकार को दिया है। जहां पर जागीरदारी खत्म हो गई, रिजम्पशन की तारीख से वे भी खातेदार बन गये। अब प्रश्न आता है कि कौनसी जमीन झगड़े की है झगड़ा अलॉटमेन्ट वाली जमीन का है। जागीरदारों ने पटवारियों से मिलकर रेकार्ड बनवाये और जमीन पर अधिकार कर लिया उसका झगड़ा नहीं है। मैं समझता हूं

(श्री भैरोंसिंह)

रिज़म्पशन नहीं हुआ, उससे पहले चाहे गलत तरीके से अधिकार किया है, चाहे किसी भी प्रकार से किया है वह ज़मीन इस संशोधन के अन्तर्गत नहीं आती। इस संशोधन का सम्बन्ध है सरकार ने जो जमीन अलॉट की है, उससे। उस जमीन के लिये यदि उन्होंने गल्त स्टेटमेन्ट दिया है तो उसको वापिस ले सकते हैं। यहां पर दो भाग करने पड़ेंगे। एक भाग तो वह होगा कि जागीरदारों ने रिज़म्पशन से पहले जिस जमीन पर अधिकार कर लिया था, जागीरदार के नाते किसानों से जमीन ले ली थी, उस जमीन पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेन्स नहीं कर सकते। जिनको खातेदारी राइट्स उस जमीन पर एक्रू हो चुके हैं उनको नहीं छीन सकते। अब प्रश्न आता है ऐसे जागीरदारों का जिनको सरकार ने भूमि अलॉट की है दरख्वास्तों पर उनको वापिस ले सकते हैं। अब प्रश्न आयगा कि अलाटमेन्ट करने की भी कोई सीमा होगी। आज किसी जमीन को अलॉट किया, उसके बाद जनता को जानकारी होती है या नहीं, लेकिन उस जगह रहने वाले लोगों की जानकारी हो जाती है कि अमुक जगह सरकार के आदेश से फलां आदमी को अधिकार प्राप्त हुआ है। अभी सवाल आया कि कई लोगों को कुछ समय तक का पता नहीं लगता, लेकिन आखिर में पता लगेगा। आज मैं सभापति महोदय, विश्वास के साथ कहता हूं कि इसके द्वारा किसी छोटे और आम श्रेणी के जागीरदार पर असर पड़ने वाला नहीं है, बड़ों-बड़ों पर असर पड़ने वाला है। सीलिंग से भी जमीन जायगी और इस प्रकार के कानून से भी जायगी। जानी चाहिये उसका विरोध नहीं है लेकिन जानी चाहिए ढंग से, जानी चाहिये, न्याय से। इस प्रकार का संशोधन कर दिया कि जिसके पास जमीन ज्यादा है उनसे ले ली जायगी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े जागीरदारों का रवैया वैसा है जैसा पहले था, उसमें अन्तर बहुत कम आया है, जैसा रवैया उनका पहले था वैसा ही अब है। यह भी मुमकिन है कि गांवों में आपस में संघर्ष है और कानून में व्यवस्था है कि कोई भी आदमी दरख्वास्त पेश कर, और यदि कोई दरख्वास्त पेश नहीं करे और सरकार को मालूम हो जाय कि अमुक आदमी ने गलत रेकार्ड बनाकर जमीन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है।

एक्शन लेने का तरीका क्या होगा? सरकार जिस आफिसर को चाहती है, उस आफिसर से मामले में इन्क्वायरी करायेगी, इन्क्वायरी करने के बाद उसको चान्स मिलेगा या नहीं, उस आदमी की हियरिंग होगी या नहीं, उस आदमी को डिफेन्ड करने का मौका मिलेगा या नहीं, इसकी व्यवस्था नहीं है और इस तरह यह आर्डर एक तरह आरबीट्रेरी आर्डर होगा। हमारे मिनिस्टर साहब को किसी तरह की सूचना मिले और वे एक आदमी की दरख्वास्त ले लें, और उस पर वे आर्डर कर दें कि अमुक तहसीलदार जांच करे, कि उस व्यक्ति ने जमीन किस ढंग से प्राप्त की है? मुमकिन है, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जागीरदार के खुद काश्त के मामले को चला कर, कम्पेन्सेशन के मामले को चला कर, इन्टेरिम कम्पेन्सेशन को चला कर, पर्सनल प्रोपर्टी के मामले को चला कर, उन्हें तय करने में जिस प्रकार रिश्वतखोरी बढ़ रही है मैं समझता हूँ कि उसे राजस्थान सरकार या मंत्री महोदय रोक नहीं सकते। ऐसी कई नजीरें हैं, जिनके आधार पर मैं ऐसा समझता हूँ, मैं कुछ नजीर यहां पर

(श्री भैरोंसिंह)

देता, लेकिन उनमें काफी समय लगेगा, अगली दफा जब मैं इस सम्बन्ध में बोलूंगा उस समय नजीर पेश करूंगा कि खुदकाश्त, कम्पेन्सेशन, पर्सनल प्रोपर्टी के मामलों को लेकर किस प्रकार रिश्वतखोरी बढ़ रही है। अगर सरकार को खुली छुट्टी दे दें, तो ऐसे जागीरदारों से दरख्वास्त लेकर, अपनी तरफ से तहसीलदार को हुक्म दे सकते हैं, नायब तहसीलदार को हुक्म दे सकते हैं, एस. डी. ओ. को हुक्म दे सकते हैं जो एस. डी. ओ हां में हां मिलाने वाले हैं जो एस. डी. ओ. कोई काम करके तरक्की प्राप्त करना चाहता है, जिस तहसीलदार को एस. डी. बनना और किसी प्रकार ऐसी कार्यवाही करके रिटन लेना है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सर्विसेज़ में मंत्री महोदयों के कारनामों को देख कर डिमोरलाइजेशन होता जा रहा है, उनका स्टेटस हमारे पॉलिटिकल हस्तक्षेप के कारण नीचा गिरता जा रहा है। आज ऐसे राजस्थान के अधिकारियों की संख्या कम नहीं है, जो बड़े-बड़े नेताओं या किसी मन्त्री को खुश करने के लिए न्याय या अन्याय की चिन्ता न करते हुए उनकी विशेज़ के अनुसार काम कर उसका रिटर्न चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को खुला अधिकार दिया जाय तो उसका दुरुपयोग होगा। अगर माननीय राजस्व मन्त्री कहें कि एक मामला उनकी नजर में आया, जिसमें कार्यवाही हुई और उसके बाद क्योंकि सरकार के पास ऐसे अधिकारी नहीं थे जिसके जरिये से जमीन के ऊपर उसका कब्जा करा दें, मैं समझता हूं कि उनकी बात सही है, उनके सामने एक कठिनाई है कि जो आदमी गलत तरीके से जमीन पर अधिकार कर ले, उस गलत तरीके के कारण उसका अधिकार रहना चाहिए या नहीं? लेकिन एक प्रश्न है सभापति महोदय कि गलत तरीके से किसी ने जमीन हथियाई है, लेकिन उसने सरकार के कहने पर ही उस जमीन को कब्जे में लिया है, जब उस आदमी ने सरकार के आर्डर इश्यू होने के बाद जमीन पर कब्जा किया है तो उसके बारे में थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा कि उसका अधिकार जायज है। तब यह क्वेश्चन आयेगा कि उसका अधिकार नाजायज है जिस सरकार के कहने पर कब्जा किया है, तो जायज हुक्म को नाजायज मानकर कार्यवाही करेंगे तो यह एक आरबीट्रेरी आर्डर होगा। सरकार एक पार्टी है, इसलिए सरकार निर्णय नहीं कर सकती। अगर निर्णय सरकार को करना है, तो मैं समझता हूँ कि हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उस गलत कार्यवाही के लिए सरकार को पार्टी बनाकर, और जागीरदार को दूसरी पार्टी बनाकर, उस मामले को रेवेन्यु बोर्ड में ले जाया जाय और रेवेन्यु बोर्ड से निर्णय कराये कि किसकी गलती के कारण कब्जा हुआ है, कौन कसूरवार है। जो कुसुरवार है उसको दण्ड दिया जा सकता है क्योंकि उस कुसुरवार के कारण ही उस पार्टी को नुकसान हुआ है। अब उसको किस ढंग से कम्पेन्सेशन दिया जायगा? जब गलती करने वाले को पता लग जाय कि गलती करता है और उसको करेक्ट करता है। मैं समझता हूँ सभापति महोदय, इन कारणों से, मुझे भय है, और आज की जो व्यवस्था चल रही है, उसको देखते हुए मेरे सामने इस प्रकार के कई उदाहरण आते हैं कि जहां किसी जागीरदार से राजनैतिक संघर्ष हुआ, राजनैतिक कारणों से मतभेद हुआ, या कहीं अन्य कारणों से मन्त्री महोदय से झगड़ा

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ, कार्यकर्त्ताओं से झगड़ा हुआ तो उस जागीरदार को एक बात के लिए शिकार बना दिया जायगा, या तो उसका कम्पेन्सेशन रुकवा दिया जायगा, या पर्सनल प्रोपर्टी पर कब्जा कर लिया जायगा, उसकी खुदकाश्त पर कब्जा कर लिया जायगा, पोलिटिकल एम्बीशन को फुलफिल करने के लिए। जिस एक्ट के आधार पर उनकी सहायता की जाती है, बड़े-बड़े जागीरदारों के लिए जिस प्रकार कम्पेन्सेशन की व्यवस्था की जाती है, उस प्रकार कम्पेन्सेशन की व्यवस्था न की जाय, उसकी व्यवस्था रीहेबिलिटेशन के आधार पर होनी चाहिए, जागीरदार रिहेबिलिटेट हों, जागीरदारों का रीहेबिलिटेशन हो, ऐसे जागीरदारों का, जिनको आवश्यकता है। जिस तरह कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उस समय बड़े-बड़े जागीरदारों को समाप्त किया और उनको मुआवजा मिला। उनके मुआवजे की व्यवस्था की और उस व्यवस्था के आधार पर कई जागीरदारों को कांग्रेस में मिलाने में सफल हुए, उस समय कुछ उनसे वायदे किये और जिस समय भूस्वामियों का आन्दोलन हुआ, उस समय कुछ वायदे किये। आज जब देखा कि आज वह स्थिति आ गई है कि वे लोग सरकार का विरोध नहीं कर सकते, सरकार की वह स्थिति आगई है कि अगर वे लोग विरोध करेंगे तो उनके कम्पेन्सेशन के मामले को लेकर कह दिया जायगा। जागीरदार आज कमजोरी महसूस करते हैं, उनकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जागीरदारों की कमजोरी का प्रश्न है, उसको अगर न्याय की दृष्टि से देखें तो क्या वह सरकार के लिए न्यायोचित मार्ग हो सकता है ? सभापति महोदय, अब एक प्रश्न आता है, जिसका जिक्र अभी कोटा से आने वाले, माननीय सदस्य ने किया था कि राजस्थान के अन्दर जल्दी से जल्दी सीलिंग लागू होने वाला है। मुझे इसमें सन्देह है क्योंकि सीलिंग के सम्बन्ध में जिस प्रकार का सरकार का रवैया रहा है, जिस समय जमींदारी एबोलिशन बिल आया, उस समय कहा था और कई दफा पहले भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि सीलिंग की रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट आई, काफी समय की प्रतीक्षा के बाद, लेकिन अब सीलिंग बिल कब पेश होगा ? वैसे सूचना है कि इस सैशन में पेश कर दिया जायगा, लेकिन लागू कब होगा, उसका आश्वासन नहीं मिला है। अब एक प्रश्न आता है कि जिन जागीरदारों के पास जमीन बहुत ज्यादा है, वह जमीन सीलिंग के आधार पर ली जायगी, मैं समझता हूँ कि ली भी जानी चाहिए और उसका रि-डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। अब खुदकाश्त आदि का प्रश्न तय करना है, वह राजस्थान की विधान सभा के समक्ष बिल आने पर तय होगा। आज परिस्थिति यह है कि किसी जागीरदार ने इतनी जमीन पर अधिकार कर लिया है, जो जमीन किसी रूप में उसके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है, उस सूरत में किसी अन्य को भूखा मारने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य ज्यादा टाइम न लें तो आज समाप्त कर दिया जाय; कल ये कन्टीन्यू करें।

श्री भैरोंसिंह : टाइम तो लगेगा।

श्री सभापति : दो मिनट में समाप्त नहीं होगा ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक ३१ अक्टूबर, १९५८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ४ बजकर ५५ पर शुक्रवार, दिनांक ३१ अक्टूबर, १९५८ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ३० अक्टूबर, १९५८)

स्कम्भ

सभापति-तालिका

निम्नांकित सदस्यों को सभापति-तालिका के लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत किया गया:—

१. श्री लालसिंह शक्तावत
२. ,, सतीशचन्द्र अग्रवाल
३. ,, आबिदअली
४. ,, होतीलाल ।

राजस्थान पशुरोग विधेयक, १९५८ १०७९

(पारित)

उपरोक्त विधेयक, जिसके समस्त खण्ड विचारार्थ लिये जाकर स्वीकृत किये जा चुके थे, आज सदन द्वारा पारित किया गया ।

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८ १०८०

(विचारार्थ स्वीकृत)

इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव कल प्रस्तुत किया गया था उसे आज राजस्व मंत्री द्वारा वापिस लिया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया । इस पर श्री श्रीभानसिंह ने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री श्रीभानसिंह ने अपना संशोधन वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

स्कम्भ

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९५८ ११४७

(पारित)

उपरोक्त विधेयक पर आज खण्डश: विचार किया जाकर सदन द्वारा उसे पारित किया गया ।

राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स ।

(अष्टम संशोधन) विधेयक, १९५८ ११५५

(विचारार्थ)

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इस पर की गई बहस में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री तनसिंह
२. रावराजा श्री सरदारसिंह
३. डॉ० बहादुरसिंह
४. श्री अनूपसिंह
५. ,, भीमसेन
६, ,, मदनसिंह
७. ,, मूलचन्द डागा
८. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
९. श्री सोहनलाल भटनागर

स्कम्भ स्कम्भ

१०. ,, पुरुषोत्तमलाल शर्मा
११. ,, पी० के० चौधरी
१२. ,, गिरधारीलाल
१३. ,, सूबेदारसिंह
१४. ,, मोहरसिंह
१५. ,, सम्पतराज जैन
१५. ,, श्रीमानसिंह
१७. ,, दयाकृष्ण विजय।

———

परिशिष्ट १ (अ)

(कृपया प्रश्न संख्या २३१ का उत्तर देखिये)

सूची

		स्वीकृत	भरी	खाली
कोटा:	प्रथम श्रेणी के डॉक्टर	१	१	०
	द्वितीय श्रेणी के डॉक्टर	२	१	१
उदयपुर:	जूनियर स्पेशलिस्ट	१	१	०
	प्रथम श्रेणी के डॉक्टर	१	१	०
	द्वितीय श्रेणी के डॉक्टर	२	१	१
बीकानेर:	जूनियर स्पेशलिस्ट	१	१	०
	प्रथम श्रेणी के डॉक्टर	७	३	४
	द्वितीय श्रेणी के डाक्टर	४	४	०
जोधपुर:	सीनियर स्पेशलिस्ट	१	१	०
	प्रथम श्रेणी के डाक्टर	५	४	१
	द्वितीय श्रेणी के डाक्टर	७	६	१
जयपुर:	सीनियर स्पेशलिस्ट	२	१	१
	जूनियर स्पेशलिस्ट	१	१	०
	प्रथम श्रेणी के डाक्टर	६	५	१
	द्वितीय श्रेणी के डॉक्टर	५	५	०
	योग	४६	३६	१०

परिशिष्ट १ (ब)

सूची

नाम	बाल रोगी	अंत: रोगी	योग
कोटा	१७७५१	१६६२	१६४३
उदयपुर	१२७८४	१०५३	१३८३७
बीकानेर	११२२५	५६४५	१७१७०
जोधपुर	३६३१७	६३२७	४५६४४
जयपुर	२८७३७	४४५४	३३१६१

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ३० अक्टूबर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१०२९	अन्तिम से २	रावराज सरदारसिंह	रावराजा श्री सरदारसिंह
१०३८	१८	Govenment	Government
१०४०	अन्तिम से ४	Govenment	Government
१०५१	अन्तिम	अदेशानुसार	आदेशानुसार
१०५४	१०	अस्पाताल	अस्पताल
१०५५	२०	पढ़े	पड़े
१०७२	१५	vaery	vary
१०७५	अन्तिम	पूर्ती	पूर्ति
१०८२	अन्तिम से ६	सालने	सामने
१०८५	१४	प्रोकेट	पॉकेट
१०८५	अन्तिम से ८	कमेटी में भेजने के	कमेटी को भेजने में
१०८६	,, ७	श्रीमाधोपुर	श्री माधोपुर
१०९१	१	(श्री नाथूराम मिर्धा)	(श्री अध्यक्ष)
१०९५	५	feedal	feudal
१०९६	अन्तिम से ८	इयलिए	इसलिए
११०१	१	followe	follow
११०२	४	distibuted	distribution
११०३	शीर्ष	१००३	११०३
११०४	शीर्ष	१००४	११०४
११०४	२३	thonsand	thousand
११०४	अन्तिम से ७	Jagirbar	Jagirdar i
११०६	२३	Kuow	Know

१	२	३	४
११०६	अन्तिम से ८	thls	this
१११२	१८	राजरव	राजस्व
१११६	१७	इम्म्लीमेंटेशन	इम्प्लीमेंटेशन
११२१	२१	एबालिशन	एबोलिशन
११२१	अन्तिम	समस्वा	समस्या
११२२	३	बड़ाने	बढ़ाने
,,	३	द्दमीशन	कमीशन
११२४	१३	श्रग्युमेंटस	आर्ग्युमेंट्स
११२६	१७	thrt	that
११२७	२०	एब्रौलिशन	एबोलिशन
११३१	२	१. ४६ प० म,	१. ४६ म० प०
११३४	८	चैयरमैन	चेयरमैन
११४०	१३	लेंड	लैंड
११४३	६	जागीदार–जमींदार	जागीरदार–जमींदार
११४५	शीर्ष	राजस्थान जमींदारी तथा	राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी (उत्पादन) विधेयक
११४६	शीर्ष	बिस्वेदारी (उत्पादन) विधेयक	राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक
,,	१५	pui to vote	put to vote
११४७	शीर्ष	जमींदारी विधेयक	राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्पादन विधेयक
११४७	७	**राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक—१६५८**	**राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १६५८**
११४७	१२	Amendment B ll	Amendment Bill
११४६–५०	शीर्ष	राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी (उत्पादन) विधेयक	राजस्थान वन(संशोधन) विधेयक
११५१–५५	शीर्ष	,,	,,
११५२	१६	ar what	or what ?

१	२	३	४
११५२	अन्तिम से २५	Hon'ble Minister	Hon'ble Minister
११५५	शीर्ष	राजस्थान जमींदारी विधेयक	राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक
११६५	द्वितीय एवं तृतीय लाइन	चली गईं, जागीरदारों से आपने सब कुछ ज्यादा जमींन मिल जावे तो अच्छा रहे	ज्यादा जमीन मिल जावे तो अच्छा रहे
१२०४	२	युनिकार्मिटी	युनिर्फार्मिटी
१२०८	अतिम से ११	रज्याधिकारियों की	राज्याधिकारियों की

———